राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १६६४ का १८वां दिवस [संख्या १४

गुरुवार, दिनांक २० अगस्त, १६६४

विधान सभा की बैठक ८.२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

सिंचाई, राजस्व, गृह. स्वास्थ्य, नियुक्ति, खाद्य, स्वायत्तशासन, खाद्य तथा सप्लाई, कृषि विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला !

घग्घर की बाढ़ से हानि

३४७. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इस वर्ष घग्घर की बाढ़ से कितनी हानि हुई है ?

(२) बाढ़ की रोकथाम के लिए भारत सरकार से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और कितनी और होने को है ?

(३) राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार के समक्ष बाढ़ को रोकने संबंधी क्या योजना पेश की गई है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) इसके आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं।

(२) अभी तक कोई नहीं। मामला विचाराधीन है।

(३) राज्य सरकार ने भारत सरकार को घग्घर की बाढ़ के अधिकांश बहाव को एक ड्राइवर सन नहर द्वारा सूरतगढ़ के दक्षिण के दहड़े (डिप्रेशन) में डालने की योजना पेश की है।

श्री विजयसिंह झाला : अब तक जो आंकड़े आपके पास में आए हैं, उनके अनुसार कितना नुकसान हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि नुकसान को रुपयों में आंका नहीं जा

(श्री दौलतराम सारण)

सका है लेकिन अभी जमीन करीब ६६,५०० एकड़ डूब में आई है, जिसमें से २५ हजार एकड़ फसल की थी और सरदारगढ़ और अमरपुरा दोनों गांव डूब गये हैं और कई चर्श फ्लड से घिर गये हैं। कई जगह रेलवे लाइन तोड़नी पड़ी है पानी को निकालने के लिए, कई माइनर नहरों को तोड़ना पड़ा है। अब इस सोर का रुपयों में हिसाब अभी आंका नहीं जा सकता क्योंकि सारा स्टाफ, रिवेन्यू का और नहरी फ्लड्स की निगरानी और लोगों की प्रोटेक्शन में लगा हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर): क्या यह सही है कि बाढ़ का पानी पाकिस्तान की सीमा को पार कर गया है।

श्री दौलतराम सारण : जी हां।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : वाटर लेवल कम हो रहा है या बढ़ रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : पानी का लेवल तो कम ही है। इस समय राजस्थान नहर साइफन पर पानी ४६७२ क्यूसेक्स है जबकि पहले १२,६०० क्यूसेक्स था।

श्री हरदत्तसिंह (नौहर) : इस समय से आपका मतलब कब से है ?

श्री दौलतराम सारण : इस समय से मेरा मतलब कल से है।

प्रश्न संख्या ३४८

श्री अध्यक्ष : श्री शीशराम ओला।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मोहनराज।

प्रोसीक्यूटिंग सब-इंस्पेक्टर के ग्रेड

३४९. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर्स का जिनकी न्यूनतम योग्यता बी. ए., एल एल बी. है, ग्रेड १२०—५—१४०—१०—२२५ है जब कि राज्य सरकार के राजस्व विभाग के तहसीलदार व नायब तहसीलदार का, जिनकी न्यूनतम योग्यता बी. ए. है, ग्रेड १५५—१०—२८५—१५—४३५—२५—४८५ है और एस. एच. ओ. का जिनकी न्यूनतम योग्यता इन्टरमीडियेट है ग्रेड भी पी. एस. आई. के बराबर ही है ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की नीति के फलस्वरूप प्रोसीक्यूशन सर्विसेज में भारी असन्तोष व्याप्त है और इसी कारण कुछ योग्य और ईमानदार पी. एस. आईज. ने त्याग-पत्र देकर वकालत शुरू कर दी है ?

(३) क्या राज्य सरकार पी. एस. आई. सर्विसेज के ग्रेड मे न्यायोचित वृद्धि करके पी. एस. आई. व पी. आई. का एक ही रनिंग ग्रेड करने का विचार रखती है जब कि एग्जीक्यूटिव से जुडिशियरी के अलग होने के कारण अब पी. आई. के अलग पद की आवश्यकता नहीं रही है।

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर की न्यूनतम योग्यता बी. ए. एल.एल. बी. है तथा

Page No. 3

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

इन्सपेक्टर की न्यूनतम योग्यता हायर सैकेन्ड्री है। दोनों का ग्रेड एक ही है जो १३०-५-१५५-१०-२३५-२५० हैं किन्तु प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर को २५) माहवार प्रोसीक्यूशन भत्ता भी मिलता है। राजस्व विभाग के तहसीलदार व नायब तहसीलदार की न्यूनतम योग्यता बी. ए. है व ग्रेड १५५-१०-२८५-१५-४३५-२५-४८५ है।

(२) जी नहीं। न तो इस प्रकार का कोई असन्तोष ही पाया गया है न किसी प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर ने इस कारण त्याग पत्र ही दिया है।

(३) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। यह सही नहीं है कि एग्जीक्यूटिव से जुडिशियरी के पृथक होने के कारण पी. आई. के पद की आवश्यकता नहीं रही।

श्री मोहनराज : मंत्री महोदय ने बताया है कि इसके फलस्वरूप प्रोसीक्यूशन सर्विसेज़ में से किसी ने त्यागपत्र नहीं दिया है। क्या मंत्री महोदय यह महसूस नहीं करते कि जो प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्सपेक्टर्स हैं उनकी योग्यता अधिक होते हुए भी उनको कम वेतन में रखने से उनके अंदर असंतोष होना स्वभाविक नहीं है!

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनके स्वभाव का मुझे ख्याल नहीं हो सकता। क्या उनका स्वभाव है, क्या नहीं, लेकिन तथ्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत नहीं हुआ।

श्री मोहनराज : आपकी जानकारी के लिए मैं यह निवेदन करूं कि कम से कम जोधपुर डिवीजन में पिछले दो साल के अंदर ७ प्रोसीक्यूटिंग इन्सपेक्टर्स ने इस्तीफा दिया और वकालत शुरू कर दी है। अगर आपको जानकारी इस तरह की नहीं आ रही है तो यह जानकारी देने वालों का दोष है। और असंतोष व्याप्त है यह स्वयं सिद्ध बात है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ४ इन्सपेक्टर्स ने जरूर इस्तीफा दिया लेकिन वह अपनी फेमिली सर्कमस्टान्सेज़ के आधार पर किया।

श्री मोहनराज : कम तनख्वाह से गुजारा नहीं हुआ, यह भी फैमिली सर्कम्स्टांस है, जिसको आप मन्जूर नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल।

रुंधपुरा बांध के जलप्रवाह फाटक की मरम्मत

३५०. **श्री बृजेन्द्रपाल(करौली)**: Will the Minister for Irrigation be please state:-

1. That inspite of repeated representations no repair work has been done to the Rundhpura Bund Sluice Gate ?

2. that the level of the pipe canal towards Saklupura village is higher than that of Rundhpura Canal?

3. that the pipe canals have broken down at many places ?

सिचाई-मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा):-

१. यह सही नहीं है।

२. जी हां।

३. जी नहीं।

Page No. 4

श्री बृजेन्द्रपाल : यह जांच कब करवाई गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जांच तो मेरे पास में अभी होकर आई है।

श्री बृजेन्द्रपाल : यह नंबर तीन में जो आपने जी हां कहा उसकी रिपेयर कब तक हो जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रिपेअर बरसात के बाद करेंगे।

प्रश्न संख्या ३५१

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह वर्मा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री देवीलाल ।

जय समुद्र से नहर निर्माण कार्य

३५२. श्री देवीलाल (सराडा) : क्या सिंचाई-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर जिले में जय समुद्र की इटाली खेड़ा व इटाली शाखा नहर कब बनाई गई ?

(२) इस पर कुल कितने रुपये खर्च हुए ?

(३) इससे कुल कितनी भूमि की सिंचाई होगी ?

(४) अभी इससे कितनी सिंचाई हो रही है ?

(५) इस नहर के निर्माण के सिलसिले में आखिरी भुगतान कब हुआ ?

(६) इस नहर की कुल लंबाई कितनी है ?

(७) अभी तक नहर में कितनी दूरी तक पानी गया है ?

सिंचाई-मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) १९५८ में

(२) रू० ६,२४,७९५ ।

(३) निर्धारित भूमि २१६३ एकड़ ।

(४) ६१५ एकड़ ।

(५) मई १९६० में ।

(६) २२५२ जरीब ।

(७) ६११ जरीब तक ।

श्री देवीलाल : इसमें पानी आने की गुंजाइश कम है, इसलिए डिफीकल्टी हो रही है।

श्री देवीलाल : जहां भी बनाई गई है, वहां अधूरी पड़ी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो अधूरी होगी, उसे जरूर पूरा किया जायगा।

श्री देवीलाल : जो नहर बन गई है वही अधूरी पड़ी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसे पूरा कराया जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : प्रश्न ४ के जवाब में बताया गया कि ९०० एकड़ भूमि की सिंचाई होती है, इसका क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पानी कम है।

श्री भीमसेन : (लूणकरणसर) : पानी कम है तो योजना बनाई क्यों ? क्यों इतना खर्चा किया जो फालतू गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये आप सब लोगों के कहने से बनती हैं।

श्री अध्यक्ष : Next.

पुलिस हिरासत में मृत्यु, थाना विजयनगर

३५३. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि श्री मोती जाट साकिन दौलतपुरा ता० ५–१०–६१ को प्रात: काल थाना पुलिस विजयनगर की हिरासत में मारा गया ?

(२) यदि हां, तो उक्त मोती को कब, क्यों और किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था ?

(३) क्या यह सही है कि मोती मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया ? यदि हां, तो काज-ऑफ डैथ क्या बताया गया और उसके शरीर पर किस किस तरह की कितनी कितनी चोटें पाई गई ?

(४) क्या इस मामले की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ? कृपया मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) मोती जाट की मृत्यु थाना विजयनगर की पुलिस की हिरासत में अस्पताल में दिनांक ५–१०–६१ को हुई न कि १५–१०–६१ को।

(२) श्री मोती जाट दिनांक ३०–९–६१ को दौलपुरा निवासी श्री रघुनाथ जाट की हत्या के सम्बन्ध में थाना विजयनगर के तत्कालीन एस० एच० ओ० श्री लक्ष्मी किशोर राय द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

(३) जी हां। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में उसकी मृत्यु निमोनिया व आंत्रशोथ के कारण होना बताया गया है। उसके शरीर पर ७ चोटें पाई गई थी। जिनमें दो स्क्रेप्स दो वृजेज एवं तीन एकीमोसिस हैं।

(४) जी हां, मजिस्ट्रेट ने भी अपनी धारा १७६ जा० फौ० की जांच से मौत का कारण निमोनिया एवं आन्त्र-शोथ माना है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : नम्बर ३ में आपने बताया कि चोटें थीं। तो ये चोटें किसकी थीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ब्लंट वेपन की थीं।

श्री मुरलीधर व्यास : किसने मारी थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह मसला सब-जुडिस है।

And they are facing the trial in the Sessions Court.

इसमें अफसर भी शामिल हैं।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जुलाई के महीने में केस सबमिट हुआ है और ये सारे सेशन कोर्ट के सामने हैं। ऐसी सूरत में शहादतों का विश्लेषण करना नियम के विरुद्ध जायगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जो अफसर अन्डर ट्रायल हैं वे सस्पेन्ड कर दिये गये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : किन किन अधिकारियों को सस्पेण्ड किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : जो इन्वाल्व्ड हैं वे सारे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : श्री एल० के० राय, श्री के० एल०, श्रीभजन, एस० आई०, आदि हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सब इन्सपेक्टर और डाक्टर को भी सस्पेण्ड किया है जिसके लिये मजिस्ट्रेट ने लिखा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। मैं दे दूंगा आपको बाद में।

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी मन्त्री महोदय के पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह मुकद्दमा प्राइवेट इस्तगासा के रूप में है, या गवर्नमेन्ट ने किया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : विजयनगर का एक सुनार था, उसने दर्खास्त पेश की थी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास और इस दर्खास्त पर यह मुकद्दमा चला। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने शहादत ली और सबमिट किया केस।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट ने अपनी तरफ से केस रजिस्टर करके ऐसे मामलों में प्रोसीक्यूशन क्यों नहीं कराया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गवर्नमेन्ट ने नहीं कराया, यह तो बात ठीक है और अगर यह नहीं कराता तो गवर्नमेन्ट कर देती। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा।

श्री भैरोंसिंह : उसकी मृत्यु के बाद प्राइवेट इस्तगासा पर ट्रायल शुरू हुआ है और गवर्नमेन्ट ने कोई कार्यवाही तब तक नहीं की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गवर्नमेन्ट ने सैक्शन १७६ के सम्बन्ध में इन्क्वायरी शुरू की और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने अपनी फाइन्डिंग्स दे दी। फिर बाद में मूव कर सकते थे केस इन्स्टीट्यूट करने के सम्बन्ध में। इस दरमियान में स्वर्णकार ने दर्खास्त दे दी।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसमें मजिस्ट्रेट भी अन्डर ट्रायल हैं ? जिस मजिस्ट्रेट ने इन्क्वायरी की उसके खिलाफ भी जिस मजिस्ट्रेट ने उसको कमिट किया स्ट्रिक्चर्स पास किये हैं कि मजिस्ट्रेट डाक्टर और पुलिस ने इस मौत को छिपाया है और मुलजिम को भी छिपाया है ?

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस नहीं हो सकती।

श्री जुझारसिंह

श्री मुरलीधर व्यास : १५। १०। को मारा गया तो क्या इसको पुलिस अधिकारियों ने मारा ?

श्री अध्यक्ष ; श्री जुझारसिंह । यह बात अगर कह दी जावे तो फिर मुकद्दमा ही खतम हो जावे ।

श्री जुझारसिंह

सीलिंग के लिये क्षेत्र निश्चित करने के सिद्धान्त

354. **श्री जुझारसिंह (चेचट)** : Will the Revenue Minister please state :-

1. Is it a fact that the ceiling on the land holdings in Rajasthan has been fixed on an area which will give one yield of 300 maunds of wheat or its equivalent in value in other crops a family ?

2. Is it a fact that no uniform formula has been applied to work out the area of ceiling in different parts of the State i. e. while "Rent rate" has been considered the basis at one place, the "Crop cutting" formula has been applied at the other while both have been avoided at some places ?

3. What area of land is expected to give an yield of 300 maunds of wheat in Tehsil Sangod of district Kota and Tehsil Khanpur of District Jhalawar (adjoining areas) both on the "Rent-Rate" and "Crop cutting" basis respectively ? Kindly also in form the 'comperative yield per acre in districts Churu and Jhunjhunu on the basis of "Rent Rate" and the "Corp Cutting" figures together with the area of ceiling fixed for both and the formula applied to work it out.

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद-लड्ढा) :–

(उत्तर हिन्दी में)

(१) माननीय सदस्य का ध्यान राजस्थान टेनेन्सी एक्ट १९५५ की धारा ३० ग के स्पष्टीकरण की ओर आकर्षित किया जाता है। पांच या पांच से कम सदस्यों के किसी परिवार के लिये अधिकतम क्षेत्र तीस स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि है, तथा एक स्टेन्डर्ड एकड़ से तात्पर्य भूमि के उस क्षेत्र से है "जिसमें उसकी पैदावार क्षमता, स्थिति, किस्म जमीन तथा अन्य निर्धारित ब्यौरों के हवाले से, प्रतिवर्ष दस मन गेहूं पैदा होने की संभावना निर्धारित तरीके से पाई जायें, तथा गेहूं पैदा करने की क्षमता नहीं रखने वाली भूमि की दशा में, एक स्टेन्डर्ड एकड की गणना करने से प्रयोजनार्थ, उसकी अन्य संभावित पैदावर, निर्धारित स्केल (Scale) के अनुसार इस प्रकार निश्चित की जायगी कि उसका रुपयों मे मूल्य दस मन गेहूं के रुपयों में मूल्य के बराबर हो : किन्तु शर्त यह है कि स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से कोई अधिकतम क्षेत्र निश्चित करने में कुओं द्वारा सिंचित (चाही) भूमि की पैदावर का रूपयों में मूल्य किसी असिंचित : (बारानी) भूमि के तत्समान क्षेत्र की पैदावर के रूपयों में मूल्य के बराबर लगाया जायगा ।

(२) अधिकतम क्षेत्र निश्चित करने के लिये जिन सिद्धान्तों का अनुसरण किया गया है वे राजस्थान (टेनेन्सी) भूमि का अधिकतम क्षेत्र निर्धारण सरकारी नियम, १९६३ जो

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

राजस्थान राजपत्र, विशेषांक, भाग ४...ग दिनांक १ दिसम्बर १९६३ में प्रकाशित किये गये थे, के परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं जैसा कि उक्त परिशिष्ट के पैरा ३ मे उल्लिखित है, विभिन्न वर्गों (Classes) की भूमि तथा भिन्न भिन्न फसलों की पैदावर के अनुमान (क) चालू बन्दोवस्त के समय तैयार किये गये पैदावार के अनुमानों और (ख) कहीं कहीं नमूने के तौर पर किये गये सर्वेक्षणों या वार्षिक फसल कटाई के परीक्षणों (Experiments) के आधार पर तैयार किये गये। उस दशा में जब पिछले बन्दोबस्त के समय तैयार किये गये पैदावार के अनुमान प्राप्त थे तथा बन्दोबस्त किये हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ था, पैदावर निश्चित करते समय ऐसे अनुमानों पर विचार किया गया था। जहां ऐसे अनुमान प्राप्त नहीं थे और पिछले कुछ वर्षों में कहीं कहीं नमूने के तौर पर किये गये सर्वेक्षणों के आधार पर पैदावर के अनुमान प्राप्य थे वहां इन पर विचार किया था। उन फसलों के संबंध में जिन पर वे परीक्षण नहीं किये थे, बन्दोबस्त अधिकारी अथवा बन्दोबस्त आयुक्त ने स्वयं अपने अनुमान तैयार किये।

(३) विधान सभा में प्रश्न का उत्तर देते हुए इस प्रकार की कोई सूचना देना सम्भव नहीं है। कोटा, झालावाड़, चुरू तथा झूंझूनू जिलों के भिन्न भिन्न गांवों की भूमि विभिन्न वर्गों के लिये अधिकतम क्षेत्र, राजपत्र, विशेषांक, दिनांक १ दिसम्बर १९६३ के पृष्ट १०११ से १०४७, ९९१ से ९९८, ८८१, से ८९१ तथा १००१ से १००८ पर क्रमशः दिये गये हैं। माननीय सदस्य भूमि का अधिकतम क्षेत्र निर्धारण नियमों के संलग्न पत्र १ में किसी भी जिले की किसी भी तहसील के किसी भी विशिष्ट, गांव के किसी विशिष्ट भूमि वर्ग का अधिकतम क्षेत्र, जो वे जानना चाहें, देख सकते हैं।

श्री जुझारसिंह ; क्या मन्त्री महोदय यह बतावेंगे कि सांगोद तहसील में क्राप कटिंग के हिसाब से एवरेज लगाया तो इस तहसील का सैटलमेन्ट कब हुआ था और इसमें और सैटलमेन्ट की रेंट रेट में कितना फर्क है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २०० के करीब तहसीलें हैं अब इनमें सैटलमेन्ट कब कहां हुआ और क्राप कटिंग एवरेज में और रैंट रेट में कितना अन्तर है यह सब बताना सम्भव नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य जो बात जानना चाहते हैं तो मैं निवेदन कर दूं कि यह कोई नई बात नहीं है। पहले भी एक ऐतराज इस तरह का उठाया था और पत्र भी उन्होंने इस बारे में सरकार को लिखा था तो सारी जांच करके जितने मुद्दे उन्होंने उठाये थे उन सब की लिखित सूचना माननीय सदस्य के पास भेजी जा चुकी है जिससे मैं समझता हूं उनको सन्तुष्ट होना चाहिये।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो मन्जूर किया है कि उनके दो स्टेण्डर्ड हैं मेजरमेन्ट के। क्राप कटिंग और रैंट रेट। जहां सैटलमेन्ट नहीं हुआ वहां क्राप कटिंग को स्टेण्डर्ड बनाया है। पर मन्त्री महोदय को जानकारी के लिये मैं निवेदन करूंगा कि सांगोद तहसील का सैटलमेन्ट हुए चार पांच साल से ज्यादा का अरसा नहीं हुआ है। वहां सैटलमेन्ट की रेट तीन चार मण पर एकड़ आती है तो वहां इसको स्टेण्डर्ड नहीं मानकर क्राप कटिंग को माना है जो करीब करीब उसका डबल होता है रैंट रेट से। तो, जहां सैटलमेन्ट रेट

(श्री जुझारसिंह)

मौजूद हो और जिसे हुए ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में ऐसी जगह क्रांप कटिंग को आधार मानना कहां तक उचित है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील सांगोद के बारे में रैंट रेट को भी आधार बनाया जा सकता हैं। वहां क्राप कटिंग एक्सपेरीमेन्ट भी हुआ था और वह भी हाल ही में हुआ था। उनको भी आधार बनाया जा सकता है। तो जो आधार बनाया गया है वहां वह गलत नहीं है।

श्री जुझारसिंह : क्या आप यह नहीं मानते कि आपकी एक एजेन्सी एक आधार बनाती हैं, दूसरी दूसरा आधार बनाती है और इससे डबल हो जाता है ? क्या आपने यह ध्यान दिया है कि इसमें हन्ड्रेड परसेन्ट का फर्क पड़ जाता है ?

प्रश्न संख्या ३५५

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

(अनुपस्थित)

(कृपया आगे देखिये)

श्री रामकिशन (वैर) : इस पर यह है....

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस हो सकती है लेकिन यह तो जानकारी करने का समय है। जानकारी कीजिये।

श्री रामकिशन : सीलिंग एक्ट पास किया था उस समय गेहूं १२)रु. मन लेते थे। अब गेहूं का भाव बढ़ गया है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत

विकास अधिकारी

३५६ श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस समय राज्य की सेवा में कितने विकास अधिकारी हैं जो केडर के नहीं हैं, और उनमें से पांच साल से अधिक से कितने हैं ? इनमें से कितने प्रसार अधिकारियों में से पदोन्नति हुए हैं।

(२) क्या सरकार इनको आर. ए. एस. में कन्फर्मेशन देने के लिये विचार कर रही है ?

उप-मंत्री, विकास (श्री चन्दनमल वैद): (१) नोन केडर विकास अधिकारी की संख्या ५७ है। इनमें से ५२ विकास अधिकारी प्रसार अधिकारी से पदोन्नत किये गये हैं। ऐसे विकास अधिकारी जो ५ साल से अधिक के हैं उनकी संख्या २२ है।

(२) नोन केडर विकास अधिकारी को आर. ए. एस. में स्थायी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

पीने के पानी की व्यवस्था

३५७. श्रीमती नगेन्द्र बाला (छबड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

(१) क्या यह सही है कि शाहबाद तहसील के गांव वालों को पीने के लिये ५–५ और ७–७ मील दूर से पानी लाना पड़ता है और वह भी साधारण भरे हुए खड्डों का गंदा पानी पीने के उपयोग में आता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में शीघ्र ही पीने के पानी की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(२) यदि हां, तो किन साधनों द्वारा और कब तक ?

उप–मन्त्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) पंचायत समिति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त होने पर अवश्य सहानुभूति पूर्वक विचार किया जावेगा।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगी कि इस प्रकार की दरख्वास्तें दी गई हैं और उन पर कोई विचार नहीं किया गया है ? आपके रिकार्ड में आयी हैं ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका उसूल यह है कि पंचायत समिति जब रेजोल्यूशन पास करती है और कलेक्टर उसको सर्टीफाई करता है तब ही वह फिर अन्डर कन्सीडरेशन आता है। दरख्वास्तों में यह पता नहीं लगता कि क्या इम्पोर्टेन्ट है। प्रोसिजर यह बना हुआ है कि पहले पंचायत समिति अपना रिज्योल्यूशन पास करे, उसको कलेक्टर से सर्टीफाई कराये तब उसको एन्टरटेन किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूलसिंह।

भाखरा नहर के मोगों में रद्दोबदल

३५८. **श्री मनफूलसिंह** (सूरतगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) भाखरा नहर पर सन् १९६३ और ६४ में आज तक कुल कितने मोगों का रद्दोबदल हुआ है ? और क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या भाखरा में जो नई मशीनों के मोगे लगाये हैं, उनको भी लगाने के बाद बदला गया है ? अगर हां, तो कितने मोगे बदले गये हैं और क्यों ?

उप–मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) भाखरा नहर सन् १९६३ व ६४ में क्रमशः २२८ व १६५ मोगों का चक बन्दी के रिवीजन व काश्तकारों की मांग पर रद्दोबदल किया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मनफूलसिंह : यह इतना रद्दोबदल कैसे हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : आपको हमने सूची प्रस्तुत की है उसके अनुसार ६३ में २०२ मोगों का परिवर्तन चक बन्दी के कारण हुआ है। किसानों की मांग पर २६ का हुआ। १९६४ में १३६ का हुआ है और किसानों की मांग पर २९ का हुआ है।

श्री मनफूलसिंह : मशीन के मोगे लगाने के बाद क्या आवश्यकता पड़ गयी ?

श्री दौलतराम सारण : जब रिवाइज्ड चक बन्दी होती है तो पिछले अनुभव से सिंचाई ठीक प्रकार से हो सके इसलिए मोगों में परिवर्तन किया जा सकता है।

श्री मनफूलसिंह : ६२ में रिवाइज़ हो गये हैं लेकिन ६३-६४ में भी फिर उनको बदला गया है। इसका क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : फिर भी परिवर्तित होते रहते हैं। अनुभव के आधार पर यदि वे ठीक नहीं हैं तो परिवर्तित किये जा सकते हैं।

प्रश्न संख्या ३५६

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३६०

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३६१

श्री दुर्गालाल बाढ़दार

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३६२

श्री हरिप्रसाद शर्मा

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३६३

श्री अब्दुल जब्बार

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

कृषि फार्म, दुर्गापुरा

३६४. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) दुर्गापुरा सहकारी कृषि फार्म किस तारीख तो बनाया गया था ? तब से अब तक इस फार्म के बनाने में कितना धन खर्च हुआ और कितनी आमदनी हुई ?

(२) उपरोक्त फार्म के अन्तर्गत कुल कितनी एकड़ भूमि है और कितनी एकड़ में फसल तैयार की जाती हे ?

(३) सन् ६२ व ६३ में उपरोक्त फार्म में गेहूँ की पैदावार कुल कितने एकड़ पर की थी और दोनों सालों में अलग अलग कितना गेहूँ पैदा हुआ ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) राजकीय बीज उत्पादन फार्म दुर्गापुरा दिनांक ६-२-५६ को स्थापित किया गया उस समय केवल ६८ एकड़ भूमि मिल सकी। ३५ एकड़ भूमि अक्टूबर सन् १९६३ में ली गई, खर्च व आमदनी मार्च सन् १९६४ तक निम्न प्रकार हैं :—

खर्च		आमदनी
अनावर्तक	८७,८२५	३३,६६२ रुपया
आवर्तक	७३,१८७	
	१,६१,०१२)	

(श्री भीमसिंह)

(२) इस फार्म के अन्तर्गत १३३ एकड़ भूमि है । ५५ एकड़ में फसल की जाती है ।

(३) सन् १९६२–६३ में ३.९० एकड़ भूमि में गेहूँ बोया गया इसमें ९७ मन २२ सेर गेहूँ पैदा हुआ । सन् १९६३–६४ में १०.९० एकड़ में गेहूँ बोया गया इसमें ३५७ मन गेहूँ पैदा हुआ ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या काफी सीड तैयार हो गया है जो राजस्थान के सब ब्लाक्स में सप्लाई हो जाय ?

श्री भीमसिंह : ऐक्सपेरिमेन्टल फार्म है और एक्सपेरिमेन्टल बेसिस पर ही गेहूँ तैयार किये जाते हैं उसका फर्दर ट्रायल होता है । डिस्ट्रब्यूशन का फार्म नहीं है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह फार्म नुकसान में चल रहा है या फायदे में ?

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

श्री नृसिंह उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड, बीकानेर

३६५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) श्री नृसिंह उपभोक्ता सहकारी भंडार लि० बीकानेर को केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत कब लिया गया ?

(२) कलेक्टर (सप्लाई) बीकानेर द्वारा उपरोक्त सहकारी भंडार को चीनी व विदेशी गेहूँ आदि वितरण का कार्य कब सौंपा गया ?

(३) उपरोक्त भंडार का निरीक्षण कब कब व किन किन अधिकारियों द्वारा किया गया ? तथा उन्होंने निरीक्षण पुस्तिका में क्या टिप्पणियां दी हैं ?

(४) उपरोक्त सहकारी भंडार के कार्य के सम्बन्ध में सहकारी विभाग की क्या राय है ?

(५) उपरोक्त सहकारी भंडार से चीनी व गेहूँ आदि वितरण का कार्य किस अधिकारी की आज्ञा द्वारा कब व क्यों वापिस लिया गया ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) दिनांक २४–७–६३ से ।

(२) चीनी व विदेशी गेहूँ के वितरण का कार्य क्रमशः मई १९६३ तथा नवम्बर ६३ को सौंपा गया था ।

(३) निरीक्षक व भूतपूर्व सहायक रजिस्ट्रार सहायक समितियां बीकानेर द्वारा क्रमशः दिनांक ६–३–६३ व १०–३–६४ को निरीक्षण किया गया निरीक्षण प्रतिवेदनों में इस विभाग से सम्बन्धित कोई विशेष उल्लेखनीय टिप्पणी नहीं है । भंडार के मार्गदर्शन हेतु विभागीय निर्देश अवश्य दिये हैं ।

(४) कार्य संतोषजनक बताया है ।

(५) जनता की शिकायतें भंडार के खिलाफ सही पाये जाने पर जिलाधीश बीकानेर की आज्ञा से दिनांक १०–३–६४ को ।

श्री भीमसेन : जनता की शिकायतें क्या थीं और किस आधार पर जांच की गई थी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जनता की यह शिकायत थी कि यह सहकारी समिति चीनी और गेहूँ देने के साथ साथ माचिस, सनलाइट साबुन इत्यादि चीजें लेने के लिए मजबूर करती है। वे चीजें न लेवें तो चीनी और गेहूँ नहीं देती है, इस शिकायत पर हमारे डिस्ट्रिक्ट ओफिसर ने जांच की और उस शिकायत को सही पाया। इस कारण देना बन्द कर दिया गया।

श्री भीमसेन : इस प्रकार की शिकायत आई तो चीनी और गेहूँ में तो कोई गड़बड़ी नहीं की जाती थी? क्या उसका वितरण संतोषजनक था?

श्रीमती कमला बेनीवाल : लेकिन कोई अन्य वस्तु न चाहे और उसको चीनी और गेहूँ ही आवश्यक हैं तो दूसरी चीजों के लिए तो मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरी चीजें लेने के लिए मजबूर किया तो आखिर यह भी एक शिकायत ही है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या यह सही है कि वह चीनी ब्लेक में बेचता था और उसको वहां के लोगों ने पकड़ी है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : वह शिकायत नहीं आई।

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह

मंडियों के विकास हेतु कमेटी का निर्माण, जिला गंगानगर

३६६. **श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जिला गंगानगर में मंडियों के विकास, व्यवस्था व नियमन के लिए सरकार द्वारा कोई कमेटी नियत है?

(२) अगर हां, तो इस कमेटी का निर्माण कब और किस आधार पर किया गया और इसके सदस्य कौन हैं?

(३) इस कमेटी के निर्माण के बाद इस कमेटी ने कब कब और कहां कहां मीटिंगें कीं और इसने बनने के बाद भादरा व गोगामेड़ी मंडियों के निर्माण में क्या प्रगति की?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) इस कमेटी का निर्माण दिनांक ३१ जुलाई, १९५६ को भाखरा क्षेत्र की मंडियों के विकास के उद्देश्य से किया गया था। वर्तमान में इसके निम्नलिखित सदस्य हैं :—

(क)	चेयरमैन	उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर।
(ख)	सदस्य	जिलाधीश, गंगानगर।
(ग)	,,	अधिशासी अभियन्ता, भवन एवं पथ निर्माण विभाग, मंडी डिविजन हनुमानगढ़।
(घ)	,,	श्री जी. पी. बिस्सा, हनुमानगढ़
(च)	सचिव	भाखरा मंडी, विकास समिति हनुमानगढ़ जंक्शन।

श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : इसमें नोन ओफिशियल मेम्बर क्यों नहीं रखा गया?

श्री रामकिशन (वैर) : मंत्रीजी की आज कल आवाज धीमी हो गई है। कुछ सुनाई ही नहीं दिया।

श्री हरदत्तसिंह : प्रश्न के भाग ३ का तो जवाब ही नहीं दिया। इसका तो जवाब दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I am sorry.

(३) इस कमेटी के निर्माण के बाद कमेटी ने २६ बैठकें की है जिनका दिनांक वार और स्थान वार ब्यौरा इस प्रकार है।

यह करीब डेढ पेज में है। आप चाहें तो सुनाऊं।

श्री अध्यक्ष : नहीं। सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरदत्तसिंह : यह जो आपने फरमाया कि ५६ से कमेटी का निर्माण हुआ है। क्या यह सही नहीं है कि ६२ के आम चुनावों के बाद सदस्यों की नामावली तब्दील कर दी गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस विकास समिति की नामावली समय समय पर परिवर्तित होती रही है। यह बात नहीं है कि केवल ६२ में ही परिवर्तित किया गया हो।

श्री हरदत्तसिंह : क्या यह सही नहीं है कि ६२ के आम चुनावों से पहले इस कमेटी में जो गैर सरकारी सदस्य थे वे उस जिले के तमाम विधान सभाई सदस्य थे अब कोई विधान सभाई सदस्य मेम्बर नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : विधान सभा के सदस्यों का कोई विशेष प्रश्न नहीं है। उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये यह वाजिब बात हो सकती है। लेकिन इस समिति का निर्माण सन् ५६ में हुआ, तब से समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। इस बात का कोई आधार नहीं कि किस एम० एल० ए० को लिया जाय और किसको नहीं। जैसी भी परिस्थितियां सामने आई उनमें जिनको रखना उचित समझा गया, रखा गया। पंचायत समिति आदि जिनका प्रतिनिधित्व होना चाहिये उनको दिया गया।

श्री हरदत्तसिंह : सन् ६२ से पहले जो गैर सरकारी सदस्य इस कमेटी के होते थे वे उस जिले के तमाम विधान सभाई सदस्य होते थे। माननीय मंत्री महोदय ने जिन परिस्थितियों का जिक्र किया मैं मानता हूँ कि इस चुनाव के बाद परिस्थितियां बदलीं। वहां सिवाय एक कांग्रेसी एम० एल० ए० के बाकी सब गैर कांग्रेसी एम० एल० ए० चुनकर आये इसलिये किसी भी एम० एल० ए० को इस कमेटी का मेम्बर नहीं लिया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी बात नहीं है।

श्री मनफूलसिंह : क्या सरकार अब विचार रखती है कि गंगानगर जिले के जितने एम० एल० ए० हैं उन सबको इस कमेटी का सदस्य बनाने के लिये तैयार हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष, इस कमेटी को बहुत बड़ी बनाकर इसका काम नहीं चल सके ऐसा बनाने का सरकार का इरादा नहीं है। इस बात पर जरूर विचार किया जायगा कि जनता के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाय।

श्री हरदत्तसिंह : एक सदस्य श्री बिस्सा जो गैर सरकारी सदस्य हैं, इस कमेटी में उनको लिये जाने का क्या आधार है ?

Page No. 15

श्री मनफूलसिंह : क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जनता के प्रतिनिधियों को इस समिति में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो ?

श्री हरदत्तसिंह : सरकार ने श्री गंगाप्रसाद बिस्सा को इस कमेटी के भीतर गैर सरकारी सदस्य के रूप में रखा है उनको लिये जाने का क्या आधार है ? क्या सिफारिश है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इनको इस समिति में लेने का जो आधार रहा है सरकार के मस्तिष्क में वह यह है कि वे इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, इस क्षेत्र की सारी परिस्थितियों से परिचित हैं। इस वजह से इनकी जानकारी का लाभ समिति को मिले, यह उद्देश्य इनको लेने का रहा।

श्री हरदत्तसिंह : यह बिल्कुल गलत है ये बीकानेर के निवासी हैं। यह कहना कि कि ये इस जिले के निवासी हैं बिल्कुल गलत है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इनकी जिन्दगी का अधिकांश भाग इस क्षेत्र में बीता है।

श्री अध्यक्ष : इसलिये अब तो छुट्टी वो रिटायर हो गये हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपमंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसके अनुसार ६२ से पहले गैर सरकारी सदस्यों की तोर पर उस जिले के एम० एल० ए० ही थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया यह गलत बात है। ६०, ६१, ५६ में भी जब इस समिति का निर्माण किया गया कोई भी मेम्बर एम० एल० ए० नहीं था। धीरे धीरे इसमें उनको रखा गया और धीरे धीरे हटाये गये।

श्री राधाकृष्ण गोयल : ६२ के आम चुनावों के शीघ्र पहले एम० एल० ए० गैर सरकारी सदस्य के रूप में इस समिति में थे। बाद में क्राइटेरिया बदला गया जिससे एम० एल० ए० को न रखा जाय। यह किस भावना का द्योतक है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारी भावनायें शुद्ध हैं। एम० एल० ए० को प्रतिनिधित्व दिया जाय इस पर विचार किया जा रहा है और किया जायगा।

श्री हरदत्तसिंह : कम से कम जो सूरतगढ़ से माननीय सदस्य आये हैं, जो आपके ही हैं, उनको तो ले लिया जाय ?

श्री मनफूलसिंह : प्रश्नकर्त्ता का यह आशय है कि उन्हीं को लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : दोनों को ही ले लिया जाय।

Next

प्रश्न संख्या ३६७

श्री नत्थीसिह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३६८

श्री प्रभुलाल सेन्टर।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

भरतपुर-बयाना सड़क पर पुल की मरम्मत

३६९. श्री सांवलियाराम (रूपवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या भरतपुर से बयाना की तरफ १३ मील पर जो २०मोरा है उसकी चौड़ाई ११ फीट है ?

(२) क्या बस व अन्य गाड़ियां जो उस पुल से गुजरती हैं उनको चौड़ाई कम होने की वजह से कठिनाई रहती है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उस पुल की पटाव की पट्टियां हर साल टूट जाती हैं ?

(४) क्या सरकार इस पुल को मजबूत बनाने व चौड़ा करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पी० डब्ल्यू० डी० से संबन्धित है अतः उनको ट्रान्सफर किया गया है। वे अपनी टर्न पर इसका जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में पहले भी निवेदन किया जा चुका है कि यदि किसी मंत्री से संबन्धित प्रश्न नहीं है, और वह दूसरे विभाग को भेज दिया जाता है, तो उसकी जानकारी तुरन्त यहां दी जानी चाहिये। जब कि प्रश्न को आपके पास भेजे हुए १५–२० दिन का समय हो जाता है और उसके बाद यहां आकर आप कहते हैं कि यहां फलां मिनिस्टर को भेज दिया; यह उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उप-मंत्री महोदय इस सेशन में आज ही बोले हैं और आज ही यह कह दिया।

श्री सांवलियाराम : इसका जवाब जरूर दिलाया जाय अध्यक्ष महोदय।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मिनिस्टरों की डायरी आपके पास होनी चाहिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, हमें भी जो सवाल ट्रान्सफर होते हैं हम भी उनका जवाब देते हैं।

श्री अध्यक्ष : Next.

चोरियां तथा उनकी बरामदगी

३७०. वैद श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

मार्च १९६२ से जुलाई ६४ तक करोली इलाके में कितनी चोरियां हुई तथा उनमें से कितनी चोरियां बरामद हुई ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : कुल १०४ चोरियां हुई जिनमें से ६९ चोरियां बरामद हुई।

वैद श्री गोविन्द सहाय : चोरियां दर्ज कितनी नहीं की गई ?

श्री अध्यक्ष : इसका भी कोई रेकार्ड रखते हैं क्या ?

वैद श्री गोविन्द सहाय : बहुत से लोग दर्ज कराने जाते हैं लेकिन उनको दर्ज नहीं किया जाता है। मैं खुद भी साथ गया हूँ लेकिन शिकायतें दर्ज नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष : Next.

Page No. 17

पंचायतों को जमीन, चित्तौड़गढ़ एवं गंगरार तहसील

३७१. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कितनी पंचायतों को राज्य सरकार की निर्धारित नीति के आधार पर तहसील चित्तौड़गढ़ एवं गंगरार में १५ बीघा जमीन अलोट हो चुकी है और कितनी पंचायतों की दरख्वास्तें विचाराधीन है और क्यों ?

(२) उपरोक्त तहसीलों से सौंपी गई जमीन को किन किन पंचायतों ने आबाद की है और कितनी पंचायतों ने आबाद नहीं की ?

(३) क्या यह सही है कि सिंचित क्षेत्र की पंचायतों को अब तक इस प्रकार की जमीन अलोट नहीं हुई है ? अगर हां, तो क्यों और भविष्य में कब तक हो जायगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) तहसील चित्तौड़गढ़ में १६ ग्राम पंचायतों और तहसील गंगरार में १४ पंचायतों को १५ बीघा भूमि अलोट हो चुकी है। तहसील चित्तौड़गढ़ की एक पंचायत का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है।

(२) किसी भी पंचायत ने अलोट शुदा भूमि आबाद नही की है।

(३) जी नहीं। सिंचित क्षेत्र की ६ पंचायतों को भूमि अलोट हुई है।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : क्या मंत्री महोदय यह बताने कि कृपा करेंगे कि आबाद नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह संबन्ध मेरे विभाग से नहीं है। ग्राम पंचायतों को १५ बीघा जमीन अलोट की जाय उस निर्णय के फलस्वरूप अलोट की गई है। उसके बाद विकास पंचायतों को करना चाहिये।

प्रश्न संख्या ३७२

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३७३

श्री हनुमानसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री भानुप्रसाद कराड़िया।

कुण्ड कारखाने बनाने हेतु जमीन-ग्राम बसवा

३७४. श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम बस्वा तहसील बस्वा के अनुसूचित जाति (रेगरों) के कुण्ड कारखानों को फोड़ा जा रहा है ? यदि हां तो क्यों ? क्या इन्हें अन्य स्थान पर कुण्ड कारखाने बनाने हेतु भूमि पहले देना आवश्यक है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): जी हां। इन रेगरों को दूसरी जगह केवल ५०० गज के फासले पर जमीन देने की तजबीज विचाराधीन है।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह करीब मामला डेढ़ साल से चल रहा है। कम से कम लाखों रुपये का माल पड़ा रह गया। कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनके खिलाफ ९१ सेक्शन के तहत फैसला हुआ, कलेक्टर के यहां अपील हुई। वहां से यह फैसला हुआ कि वहां से इनको हटाया जाय। लेकिन उनको आलटरनेटिव जमीन दी जाय इस बात की व्यवस्था की है। कानूनी फैसले के विपरीत होते हुए भी सरकार ने उनको आलटरनेटिव लैन्ड देने की व्यवस्था की है।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : क्या वहां कारखानों के लिये भी जमीन रखी जायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया ५०० गज की दूरी पर ही भूमि दी जाने वाली है यह एस० डी० ओ० के विचाराधीन है जल्दी ही उस पर निर्णय होकर उनके लिये उचित व्यवस्था होगी।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : क्या आप इस बात का आश्वासन देंगे कि वहां कारखाने के लिये भी जमीन मिलेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रकार के आश्वासन की आवश्यकता नहीं है।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : अध्यक्ष महोदय, वहां से लोगों को बेदखल किया जाता है। रंगाई के जो कारखाने हैं उनको बड़ा नुकसान हो रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक भी आदमी बेदखल नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : Next.

उदयसागर का पानी और जिंक स्मेल्टर

३७५. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयसागर का पानी जो अभी तक सिंचाई में काम आता है, वह भविष्य में जिंक स्मेल्टर को पानी देने के पश्चात् सिंचाई में नहीं दिया जा सकेगा ?

(२) जिंक स्मेलटर में कितना पानी हर वर्ष काम आयेगा, व इसमें पानी देने के पश्चात् किन किन गांवों में सिंचाई में कटौती की जावेगी व किन किन गांवों को पूर्णतया सिंचाई का पानी मिलता रहेगा। सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या जिंक स्मेल्टर को पानी देने पर जिन कृषकों को पानी नहीं मिल सकेगा उनको अन्य विधि से पानी देने की योजना बनाई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय-डांगी) : (१) जी नहीं। जिंक स्मेल्टर को देने के बाद बचे हुए पानी से सिंचाई की जायेगी।

(२) जिंक स्मेलटर को १७० मिलियन घन फुट पानी देने की तज़बीज है गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां। उन क्षेत्रों में तकाबी देकर कुएं बनाने की योजना है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जोधसिंह चौहान : क्या सरकार यह नहीं सोचती है कि उनके वहां पर पिलाई

Page No. 19

(श्री जोधसिंह चौहान)

होती है और अनाज ज्यादा पैदा होता है और आप कहते हैं कि हम उस पानी की जगह तकावी देंगे इससे उनको नुकसान होगा। जब आप उनका पानी लेते हैं और तकावी कुएं बनाने के लिए देंगे तो वह तो हर किसान को पानी मिलता है उससे ज्यादा अनाज होता था तो आप उनको उसका मुआवजा नहीं देंगे ?

श्री दिनेशराय डांगी : इसमें मुआवजे का प्रश्न पैदा नहीं होता। उनसे पानी लेते हैं तो उनको कुएं खोदने के लिए तकावी देंगे जिससे उनके कुए खुद जायेंगे।

श्री जोधसिंह चौहान : इस पानी से कितने एकड़ भूमि की पिलाई होती थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मंत्री) : ४ हजार एकड़ में पिलाई होती हैं और तकावी देने के बाद में ३ हजार एकड़ की पिलाई ज्यादा होगी।

श्री जोधसिंह चौहान : ५ हजार एकड़ भूमि की पिलाई होती है। शायद आपके पास सूचना गलत है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उससे बड़ा नुकसान होगा। अभी हमारे यहां पर अनाज की कमी है और आप लोगों का पानी बन्द कर रहे हैं। उनका पानी लेने के पहले आपको वहां पर पानी लाने की योजना बनानी चाहिए और फिर स्मेल्टिंग प्लान्ट को देना चाहिए। वहां पर जयसमन्द से पानी आ सकता है, पहाड़ों के ऊपर से पानी आ सकता हैं। उनका पानी बन्द नहीं होना चाहिए जब तक कि उनके लिए पानी की सुविधा न हो जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल

प्लाट्स का वितरण

३७६. श्री शंकरलाल (सादड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अध्यक्ष नगरपालिका, बड़ी सादड़ी द्वारा अवैधानिक तरीके से दिये गये प्लाट्स संबंधी प्रश्न दिनांक ११-९-६३ को पूछा गया था उसके उत्तर के अनुसार अध्यक्ष द्वारा प्लाट्स अवैधानिक तरीके से दिये गये हैं, और कम कीमत में दिये गये हैं और यह कहा गया था कि इस मामले की पूरी तरह से जांच करवाई जायेंगी और सूचना सदन को प्राप्त होगी ? यदि हां, तो अब तक उक्त विषय में क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है।

श्री शंकरलाल : यह प्राप्त कहां से करना है ?

श्री अध्यक्ष : कब उत्तर दे सकेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : आगामी टर्न पर ?

श्री शंकरलाल : मैंने सवाल पूछा है कि क्या यह सही है कि अध्यक्ष नगरपालिका बड़ी सादड़ी द्वारा अवैधानिक तरीके से दिये गये प्लाट्स संबंधी प्रश्न दिनांक ११-९-६३ को पूछा गया था, उसके उत्तर के अनुसार अध्यक्ष द्वारा प्लाट्स अवैधानिक तरीके से दिये गये हैं, और कम कीमत में दिये गये हैं और यह कहा

(श्री शंकरलाल)

गया था कि इस मामले की पूरी तरह से जांच करवाई जायेगी, और सूचना सदन को प्राप्त होगी ? फिर प्रश्न कहां से पूछना चाहते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : इस संबंध में हमने कार्यवाही करने के लिये कलेक्टर और एस. डी. ओ. को जो कार्यवाही हेतु कहा गया था कि उस समय किन किन प्लाट्स की शिकायत है इसकी पूरी जांच होकर नहीं आई इस लिए इस संबंध में उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला : मंत्री महोदय, सिफारिश कर देते हैं और कलेक्टर का कहा हुआ रह जाता है ।

श्री अध्यक्ष : हां, पोस्टपोन कर रहे हैं इसको ।

श्री शीशराम ओला.

झुंझुनू जिले में सैटलमेंट

३४८. श्री शीशराम ओला (खेतड़ी) : [श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) द्वारा पूछा गया] क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि झुंझुनू जिले में जमीन का सेटलमेन्ट हुए लगभग २४ वर्ष हो गए हैं जब कि सेटलमेन्ट की मियाद केवल २० वर्ष की ही थी ?

(ख) यदि हां, तो अब दुबारा सैटलमेन्ट न करवाए जाने का क्या कारण है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि झुंझुनू जिले में राजस्थान के समस्त इसी प्रकार की जमीन के जिलों से लगान अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने दूसरे जिलों के बराबर इस जिले का विचार किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद-लड्ढा) : (क) झुंझुनू जिले में कुल ७०३ ग्राम हैं जिनका बन्दोबस्त भिन्न भिन्न वर्षों में भिन्न भिन्न अवधि के लिये हुआ था जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) निश्चित प्रोग्राम के अनुसार कई अन्य जिलों में कार्य चल रहा है, वहां से स्टाफ खाली होने पर यहां कार्य कराने पर विचार किया जायेगा ।

(ग) पंचपाना क्षेत्र ठिकाना खेतड़ी, व बारदारी क्षेत्र का बन्दोबस्त छटे बांटे के लागू होने से पहले हुआ था । लगान के अनुपात के लिए निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह अधिक है । उस वक्त के कानून व परिस्थितियों के मुताबिक यह लगान आयद हुआ था जैसा कि राजस्थान में और भी कई जगह हुआ था । धीरे धीरे नये संशोधन बन्दोबस्त करवा कर के लगान की प्रणाली राजस्थान भर में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में दिये गये प्रावधानों के अनुकूल बनाई जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्रीमती सुमित्रा : क्या सीकर और नागौर जिले के मुकाबिले में झुंझुनू जिले की लगान की दरें दुगनी हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कम्पेरेटिव स्टडी नागौर की इस समय मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि वहां और यहां की दरों में क्या अंतर है ।

Page No. 21

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान में झुंझुनू जिला ऐसा है कि जिसमें २० वर्ष के बाद सेटलमेन्ट नहीं हुआ और बाकी के सब जिलों का अवधि में ही हुआ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि जो सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, उसमें बता दिया है कि कौन से क्षेत्र का सेटलमेन्ट ड्यू हो चुका है अथवा कितने वर्ष हुए ड्यू हुए को और कितने एरिया का सेटलमेन्ट कब ड्यू होगा यह सारी बातें बता दी हैं। और माननीय अध्यक्ष, मैं यह भी बात कहूं कि इस हद तक मानने के लिए तैयार हूं कि कुछ क्षेत्रों में लगान की दरें जो उस समय जिस प्रपोर्शन से लगाई जाती थीं उसके हिसाब से लगाई गई होने की वजह से कहा जा सकता है कि वह किसी सीमा तक अधिक हों। इसी वजह से राजस्थान सरकार ने पंचपाना क्षेत्र के ३६१ गांव, ठिकाना खेतड़ी के १६२ गांव, बारदरी क्षेत्र के ४६ गांव में जब तक रिवीज़न सेटलमेन्ट का नहीं हो तब तक एडहाक बेसिस पर रुपये में २ आना की लगान की छूट दी गई हैं। इस तरह से यदि वहां पर कुछ लगान की दरें अधिक है तो रिवीज़न न हो तो भी दौराने रिवीज़न भी एडहाक बेसिस पर २ आना प्रति रुपया की छूट दे दी है। इसलिए यदि रिवीज़न के रेट्स हलके से वैरी भी होते है तो इसका काश्तकारों पर असर नहीं पड़ता हैं। राजस्थान के अन्दर काफी क्षेत्र इस प्रकार के थे कि जहां सेटलमेन्ट नहीं हो सका। धीरे-धीरे रिवीज़न करके हम उसको धीरे २ पूरा कर रहे हैं। अभी भी राजस्थान के काफी हिस्सों में सेटलमेन्ट ड्यू हो गया हैं। हमारे फाइनेन्शिल रिसोर्सेस को देखते हुए जितना कार्यक्रम हम हर साल ले सकते हैं, उतना ले रहे हैं। झुंझुनू की विशेष परिस्थिति होने के कारण इतने गांव जिनका हवाला अभी दिया है उनमें २ आना प्रति रुपया छूट दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : यह कब से दी गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पिछले साल से।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, क्या झुंझुनू जिले के अलावा राजस्थान में और भी जिले हैं जिनके बन्दोबस्त को ड्यू हुए १६ साल से अधिक हो चुके हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसे कई जिले हैं। आज राजस्थान का आधा क्षेत्र सेटलमेन्ट के लिए ड्यू हो चुका है। इसलिए झुंझुनू को ज्यादा पीरियड सेटलमेन्ट की अवधि को ड्यू हुए हो गया है और ऐसे एक नहीं कई जिले हैं और तहसीलें तो बीसियों हैं।

श्रीमती सुमित्रा : यह बिल्कुल गलत है। वहां का सेटलमेंट सिर्फ १० वर्ष के लिए हुआ था और आज १६ वर्ष हो गये हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि यहां तो १० वर्ष की अवधि के लिए था लेकिन जहां २० वर्ष की थी वहां अब ४० वर्ष हो गये हैं। जैसे भीलवाड़ा जिला ले लीजिए जिसको मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, वहां ३६ वर्ष हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : भीलवाड़ा जिले की और यहां की रेट्स में कितना अन्तर है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यहां सेटलमेंट का सवाल है, रेटस का नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि चाहे रेट्स दोनों जगह की करीब करीब बराबर हैं।

श्री भैरोंसिंह : झुंझुनू जिले में जो सेटलमेंट नहीं हुआ उसके कारण से जो रेट्स बढी हुई हैं, उसमें अन्तर है क्या? भीलवाड़ा में ऐसा अन्तर आप महसूस नहीं करते?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह इसलिए उदाहरण दिया कि १० वर्ष से ज्यादा ड्यू हुए राजस्थान में नहीं हैं तो मैंने कहा कि ऐसे हिस्से हैं उस आधार पर तुलना कर रहा हूँ। झुंझुनू और भीलवाड़े का एक ही आधार है।

श्री भैरोंसिंह : झुंझुनू जिले में जिस आधार पर रेन्ट कम किया है क्या उस प्रकार के आधार भीलवाड़ा जिले में मौजूद नहीं है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भीलवाड़ा में, ऐसा आधार होना मैं नहीं मानता हूँ।

प्रश्न संख्या ३५१

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह बर्फा

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३५५

श्री मथुरेश बिहारी माथुर

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३५६

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थि—कृपया आगे देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

प्रन्यासों की स्थापना तथा बिना स्वीकृति के बनाये गये मकान

३६०. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जोहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय) संशोधन अध्यादेश, १९६२ के जारी होने के बाद खण्ड ४ के अधीन कहां कहां पर प्रन्यासों की स्थापना की गई?

(२) राज्य सरकार ने खण्ड ७ के अधीन कौन कौन सी स्कीम कहां कहां स्वीकार की है?

(३) अध्यादेश के खण्ड ९ के अधीन जयपुर शहर में कितनी और किस किस की दरख्वास्तें आई और उन पर क्या कार्यवाही की गई? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या सरकार ने खण्ड ९ में जोड़ी जाने वाली नई धारा ७३ के भाग (२) के अधीन कोई नियम बनाये? यदि नहीं, तो फिर दरख्वास्तों का निपटारा किस प्रकार किया जा रहा है?

(५) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अनेक व्यक्तियों ने अपने प्लाट्स को टुकड़ों में विभाजित करके बेच दिया है और उन पर बिना अनुमति के मकान बनाये जा रहे हैं?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(६) यदि हां, तो खण्ड ६ में धारा ७३ ए के भाग (३) के अधीन राज्य में कहां कहां पर मकान गिराये गये है और किस किस के ? जयपुर सुधार प्रन्यास द्वारा गिराये गये मकानों की मय उनके मालिकों की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(७) अध्यादेश के खण्ड१० के अधीन जो दो नयी धारायें जोड़ी गई हैं उस दृष्टि से क्या नियम बनाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री बरकतुल्ला खां) : (१) गंगापुर और हिन्डौन में।

(२) कहीं नहीं।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) जी हां। जन साधारण से आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए नियम राजपत्र में प्रकाशित कर दिये गये हैं। आपत्तियां विचाराधीन हैं। दरख्वास्तें विचाराधीन हैं।

(५) जयपुर ट्रस्ट की जानकारी में जो मामले आए उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस दिये गये हैं।

(६) अभी केवल नोटिस जारी किये गये हैं। मकान गिराने का प्रश्न नहीं उठता।

(७) उत्तर खण्ड (४) के अनुसार है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह गंगापुर और हिन्डौन में जो ट्रस्ट स्थापित किये गये हैं क्या यह सही है कि एक्ट बनने से पहले आर्डिनेन्स के तहत ही स्थापित किये गये थे।

श्री बरकतुल्ला खां : नहीं। ट्रस्ट एक्ट बनने के बाद किये गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने प्रश्न पूछा है कि ऑर्डिनेन्स की धारा ४ के अधीन कहां कहां पर ट्रस्टों का निर्माण किया गया है ?

My main object of asking the question was that, what action has been taken after the promulgation of the Ordinance ?

श्री बरकतुल्ला खां: No. ऑर्डिनेन्स बनने के बाद बोर्ड्स नहीं बनाये गये हैं बल्कि एक्ट बनने के बाद हिन्डौन और गंगापुर में बनाये गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय) संशोधन, अध्यादेश १९६२ के जारी होने के बाद खण्ड ४ के अधीन कहां कहां पर प्रन्यासों की स्थापना की गई, ऑर्डिनेन्स के तहत मैंने पूछा है। और यह क्वेश्चन मेरा २ साल से चल रहा है और आज नम्बर आया है तो उसका भी गलत जवाब है। जब आर्डिनेन्स की धारा ४ के तहत नहीं स्थापित किये गये हैं और बाद में एक्ट बना है तब बनाये गये हैं, लेकिन यह रिप्लाई क्यों दिया गया है कि ऑर्डिनेन्स की धारा ४ के तहत स्थापित किये गये हैं। अगर आप सही हैं तो उसके तहत स्थापित नहीं किये गये हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : मुझे अफसोस है कि गलतफहमी यह हो गई। मैं एडमिट कर रहा हूं कि जो बोर्ड्स बनाये गये हैं गंगापुर और हिन्डौन के वह आर्डिनेन्स के तहत नहीं बनाये गये हैं, बल्कि एक्ट पास होने के बाद बनाये गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक गल्ती और बताता हूं। मैंने पूछा है कि क्या सरकार ने खण्ड ६ में जोड़ी जाने वाली धारा ७३ के भाग (२) के अधीन कोई नियम बनाये हैं? यदि नहीं, तो फिर दरख्वास्तों का निपटारा किस प्रकार किया जा रहा है? आपका जवाब है, "जी हां।" जन साधारण से आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए नियम राजपत्र में प्रकाशित कर दिये गये हैं। आपत्तियां विचारधीन हैं। दर्ख्वास्तें विचाराधीन हैं।' और दर्ख्वास्तों की सूची में लिखा है कि निपटारा कर दिया गया है। जवाब में आप कहते हैं कि दरख्वास्तें विचाराधीन हैं, नियम बने हुए हैं, और आपत्तियां आमन्त्रित की गई हैं और दरख्वास्तें विचाराधीन हैं तो बनी गार्डन्स के बारे में जो डिवीजन के बारे में दर्ख्वास्तें दीं तो उसका फैसला भी हो गया तो गलत जवाब है।

श्री बरकतुल्ला खां : कोई गलत जवाब नहीं दिया गया है। मेरे पास जो जवाब आया है, उसके अनुसार जवाब दे रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो आप क्या इसकी जांच करायेंगे कि यह गलत जवाब क्यों दिया गया है? दर्ख्वास्तें विचाराधीन हैं. और दर्ख्वास्तों की सूची में आप कहते हैं कि फैसला दे दिया।

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक इसका ताल्लुक है कि जो कुछ इन्फर्मेशन भेजी है अगर वह सही नहीं है तो उसके बारे में जानकारी करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This question may by postponed.

श्री बरकतुल्ला खां : नहीं पोस्टपोन क्यों करें। मैं जवाब देने को तैयार हूं। जो सवाल था, वह मैंने एडमिट कर लिया है। इस तरीके से जो जवाब आया है वह मैं एडमिट कर रहा हूं कि इसके अन्दर आर्डिनेन्स के जरिये नहीं बल्कि एक्ट के तहत गंगापुर और हिन्डौन के बोर्ड्स बनाये गये हैं। That is an accomplished fact, I admit and I apologise.

श्री अध्यक्ष : भाग ४ के अनुसार अभी नियम नहीं बने हैं तो दरख्वास्तों का निपटारा किस आधार पर किया गया?

श्री बरकतुल्ला खां : ऐसा है कि नियम तो बने हैं और राजपत्र में शाया हो गये हैं और शाया होने के बाद दूसरी एप्लीकेशन्स आई हैं। उसके अन्दर क्वेश्चन यह उठा था, कि इन एप्लीकेशन्स को कैसे किया जाय और कुल बोर्ड्स ने अपनी कमेन्ट्री नहीं भेजी रूल्स पर, तो जो ड्राफ्ट रूल्स थे उसके बेसिस पर उनको किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ड्राफ्ट रूल्स को फाइनल रूल्स कैसे मान लिया?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ड्राफ्ट रूल्स पर आपने आब्जेक्शन्स इनवाइट किये हैं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और रूल्स फाइनल नहीं हैं तो एक्शन कैसे लिया गया है ? आपने यह बनीगार्डन्स के बारे में ७–२–६३ को जब रूल्स फाइनल नहीं हुए तो फैसला कैसे ले लिया ? This is in my perfect knowledge. Government should make enquiry. Thousands of rupees have been taken from this Banigardens. I don't say for you. You may make an enquiry into the matter. Why this division was allowed ?

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, हुआ ऐसा है कि जिस वक्त यह धारा ७३ के अन्दर मेरे दोस्त ने जो कि सवाल कर रहे हैं, उन्होंने एक एमेंडमेंट मूव किया था उस एन्मेंडमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद सब डिवीजन के जो पावर लेना चाहते हैं, वह सब–डिवीजन के पावर्स उस एक्ट में जिन लोगों को एलाट हुई जमीनें गवर्नमेंट के जरिये उनको सब–डिविजन की ऑथोरिटी मिल चुकी है । उस ऑथोरिटी को सरकम्वेन्ट करने की कोशिश की अन्डर रूल ३३ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल्स नहीं थे तो स्कीम सैन्क्शन कैसे की ?

Why this particular scheme ?

श्री बरकतुल्ला खां : अन्डर सैक्शन ७३ लीगल पोजीशन यह है, कि ला के बाहर भी बन चुके हैं, तो सैक्शन ७३ जो बना है और जो एमेंडमेंट एक्सैप्ट हुआ है इस हाउस के अन्दर, उसके बाद में लीगल ओपीनियन यह थी कि हम कोई एक्शन नहीं ले सकते तो कोशिश की रूल ३३ के जरिये कि एक्शन लिया जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाकी की जो दरख्वास्तें इससे पहले की हैं ५–१२–६३ की, २१–५–६३ की, २८–१०–६३ की, १–७–६३ की इन ३–४ दरख्वास्तों पर फैसला क्यों नहीं लिया गया ? यह दरख्वास्तें विचाराधीन क्यों हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक इसका ताल्लुक है उनकी लीगल ओपीनियन यह बनी कि लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने इस बात को डिसाइड किया और रूल ३३ के तहत में हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले साल के तरीके लोग–बाग सब-डिविजन नहीं करेंगे और जिस बाग का आप जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में सब–डिविजन के बारे में पूरी जानकारी करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

जागीरदारों को मुआवजों के भुगतान में परेशानियां

३६१. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सत्य है कि सरकार ने जागीरदारों का जागीर एक्ट के तहत मुआवजा रकम गुजारा व खुदकाश्त भूमि सहूलियत से मिल सके इसके लिए केन्द्रीय डिवीजनल व जिलावार सलाहकार कमेटियां व सम्पर्क अधिकारी राजस्थान महासभा की सलाह से नामजद किये थे ?

Page No. 26

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

(२) क्या यह सत्य है कि जब तक बड़े जागीरदारों के मामले तय नहीं हुए उपरोक्त कमेटियां व सम्पर्क अधिकारी कार्य करते रहे ?

(३) क्या यह सत्य है कि गत २ वर्ष से उपरोक्त कमेटियों की कोई मीटिंग नहीं हुई ? यदि मीटिंग बुलाई गई है तो कब ?

(४) क्या यह सत्य है कि छोटे जागीरदारों को उनके मुआवजे के हुक्म की प्रतिलिपि नहीं दी जाती है, उनके मुआवजे के बोन्ड्स की ट्रेजरियों में पहुँचने को सूचना नहीं दी जाती है और कई बार भटकने के पश्चात् बड़ी परेशानी उठाने पर बोन्ड्स व रकम नकदी दी जाती है और ब्याज नहीं दिया जाता है ?

(५) क्या सरकार छोटे जागीरदारों को बोन्ड्स व नकदी व ब्याज की सूचना देकर जल्दी चुकारा करने की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) यह सत्य है कि प्रतिलिपि नहीं दी जाती है। किन्तु बोन्ड के विवरण की सूचना दी जाती है ब्याज दिया जायेगा।

(५) जी हां, जल्दी चुकारा दिया जायेगा मगर सूचना ब्याज की गणना होने पर ही दी जायेगी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह कमेटी के कौन कौन सदस्य बनाये गये हैं अजमेर डिविजन में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप कमेटी की नामावली चाहते हैं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जी हां।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (१) श्री राजसिंह, हस्तमरारदार, सावर,

(२) श्री युसुफअली, हस्तमरारदार,

(३) कंवर श्री तेजसिंह

(४) श्री सुरेन्द्रसिंह।

(५) श्री हनुमानसिंह।

(६) श्री मेजर रामसिंह।

(७) दलपतसिंह।

(८) श्री हरिसिंह।

(९) श्री नरेशसिंह।

(१०) श्री तेजसिंह, जागीरदार गांवड़ी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मीटिंग नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बड़े जागीरदारों के केसेज़ निपट गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कारण यह है कि चूंकि जागीर रिज़म्पशन एक्ट के तहत जिस प्रकार के केसेज़ आते हैं वह इतने वैल सेटल्ड हैं कि हाई कोर्ट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या जागीर कमिश्नर के निर्णयों के द्वारा इस प्रकार

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

से कोई विशेष बाधा नहीं आ रही है। जल्दी में जिनको पेमेंट करने का सवाल है वह मैं निवेदन कर चुका हूँ। फिर भी यह कमेटी एक्जिस्ट करती है। इसकी एक मीटिंग जनवरी में बुलाई थी लेकिन किसी कारण से नहीं हो सकी।

एक माननीय सदस्य : Why are not they dissolved ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय अध्यक्ष, छोटे जागीरदारों को रुपया नहीं दिये जाने में कठिनाई होती है। जो कुछ भी आमदनी का जरिया था वह चला गया और जो छोटी सी रकम का मुआवजा देने का है उसमें देरी होती है और जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी की मीटिंग आज तक नहीं बुलाई गई है जागीरें जब से रिज्यूम हुई हैं। सरकार का क्या कहने का मतलब यह है कि आज तक प्रोसीडिंग चली हैं वह कराई जायं तो रिलीफ मिल जाय ? केवल यह आश्वासन देते हैं कि जल्दी कर रहे हैं। जिनको रुपया देने का है उनको दे दिया जायगा तो आपका भी भार कम होगा और लोगों को भी सहूलियत मिल जायगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डिप्टी कलेक्टर जागीर की पोस्ट को एबालिश कर दिया है और उनके द्वारा जो जागीर के केसेज़ निपटाये जाने वाले थे, वह एडिशनल कलेक्टर्स को दे दिये गये हैं। उनके पास काम अधिक होने की वजह से जो डिसपोजल का एवरेज है, पर्सेन्टेज है, वह इतना गिर गया है कि जिनके कारण पैंटी जागीरदार रोज जाते हैं और केसेज़ का डिसपोजल नहीं होता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है, अलग है, फिर भी मैं यह जानकारी देना चाहता हूँ कि सभी जगह डिप्टी कलेक्टर जागीर की पोस्ट एबालिश करके एडीशनल कलेक्टर या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को काम दे दिया है, यह बात सही नहीं है, लेकिन जहां पर कलेक्टर्स के पास काम कम था वहां पर कम काम होने वाले स्थानों पर जरूर ऐसी व्यवस्था की गई है।

(६.०० म० पू०)

... इसके बाद कई क्वार्टर्स से इस संबंध में कुछ रिप्रेजेन्टेशन्स आये। इस आधार पर यह सारा मामला जागीर डिपोर्टमेंट को लिक्विडेशन या खत्म करना, कहां पोस्टें रखना, कितनी रखना, वर्क लोड के आधार पर आवश्यक है, यह सारा मामला सरकार के विचाराधीन है। इसका जल्दी ही निर्णय किया जायगा और वर्क लोड के आधार पर व्यवस्था की जायगी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप निश्चित अवधि बता दीजिये कि लेटेस्ट कब तक कर देंगे ५ महीने, ६ महीने या साल भर में कब तक चुका दिया जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एरियर्स कब तक चुका दिये जायेंगे यह एक ऐसा जनरल सवाल है, जिसके लिये यह मालूम करना होगा कि कितने जागीरदारों का कितना एरियर है, कितना कंपनसेशन बनाना बाकी है इन सारी बातों को एक ही लाइन में जवाब देना मेरे लिये ठीक नहीं होगा। लेकिन जिनके बोंडस

Page No. 28

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बन चुके हैं, कम्पनसेशन तय हो चुके हैं उनको जल्दी दिया गया है, देते रहे हैं और देते रहेंगे। जागीरदार की सहूलियत के अलावा यह भी उद्देश्य है कि हम इस डिपार्टमेंट को हमेशा के लिये नहीं रखना चाहते, जल्दी इसका काम खत्म हो जाय तो वाइन्ड अप करना चाहते हैं।

श्री दलपतसिंह (आबूरोड) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सिरोही डिस्ट्रिक्ट के पिंड़वाड़ा तहसील में राजगुरु ब्राह्मणों को मुआवजा नहीं मिला और उनसे बीघोड़ी वसूल हो रही है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जब तक उनको मुआवजा नहीं मिले तब तक के लिये बीघोड़ी लेना तो बन्द कर दिया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्षजी, जहां कम्पनसेशन अब तक इन्टेरिम रूप से बिलकुल नहीं मिला है उनसे लगान नहीं वसूल करने के उचित आदेश दिये जा चुके हैं। अलावा इसके कहीं वसूल होता है और कोई प्रतिनिधित्व करते हैं तो उचित आदेश देते हैं। इस पर्टिकुलर मामले में हमारे पास कुछ रिप्रजेन्टेशन्स आये हैं और सरकार उन पर विचार कर रही है कि इसमें क्या किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बिलाड़ा तहसील के ग्रामों की नल योजना

३५१. **श्री चन्द्रसिंह बर्फा** (बिलाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार बिलाड़ा तहसील के नगर पीपाड़ सिटी में रूरल वाटर सप्लाई योजना के अन्तर्गत नल योजना से पानी की सुगम व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो वह कब तक क्रियान्वित हो जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या इसी योजना के अन्तर्गत सरकार इस तहसील के ग्राम हुँणगांव (कलां और खुर्द) हरियाड़ा वाला, रामासनी, रावर, ओलवी, गुजरावास, मालकोसनी में पीने के पानी की समस्या ट्यूब वैल द्वारा हल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) पीपाड़ सिटी की शहरी जल प्रदाय योजना सरकार के विचाराधीन है।

(२) अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं है।

अनधिकृत कब्जे के मामले–तहसील बसवा

३५५. **श्री मथुरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील बसवा के सेटिलमेन्ट रिकार्ड में जो भूमि चरागाह दर्ज है उसमें से कितनी भूमि पर अनधिकृत कब्जा है ?

(२) क्या अनधिकृत कब्जे वाले व्यक्तियों को बेदखली के नोटिस दिये गये ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को और कितने व्यक्तियों को वास्तव में बेदखल किया गया ?

(३) तहसील बसवा में कितने मामले अनधिकृत कब्जे के पड़े हुए हैं ?

Page No. 29

उत्तर

(१) १०२६ एकड़ चरागाह भूमि पर अनधिकृत कब्जा है।

(२) जी हां। १००१ व्यक्तियों को बेदखली के नोटिस दिये गये, ४२८ व्यक्तियों को ४३७ एकड़ भूमि से वास्तव में बेदखल किया जा चुका है।

(३) ५७३ फाइलें, इस समय ५६२ एकड़ भूमि की अनधिकृत कब्जे की बाबत चल रही हैं।

आसाम फ्लोर मिल्स, जयपुर के विरुद्ध शिकायतें

३५६. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि Assam Flour Mills, Jaipur को सरकार की ओर से आयात किया हुआ गेहूँ दिया जाता है ? यदि हां, तो जब से यह मिल स्थापित हुई है तब से वर्षवार कितना गेहूँ मिल को दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) आयात किया हुआ गेहूँ दिये जाने के नियम एवं शर्तें क्या हैं ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त मिल को कलेक्टर से 'No Objection Certificate भी लेना पड़ता है ? यदि हां तो किस २ वर्ष मिल ने यह सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और किस किस वर्ष नहीं ?

(४) क्या 'No Objection Certificate' प्राप्त करने की सूरत में मिल ने आटा राजस्थान के विभिन्न जिलों एवं दूसरे प्रांतों में बेचा है ?

(५) क्या इस मिल द्वारा आटा चोर बाजारी में बेचे जाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है या कोई कागजात पकड़े हैं ?

उत्तर

(१) जी हां, वान्छित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है।

(३) थोक व्यापारियों को अनाज निर्यात करने के सम्बन्ध में जिलाधीश द्वारा दिनांक ३०–६–६४ को नो-आबजेक्शन सर्टीफिकेट लेने के आदेश जारी हुए थे तथा वह आर्डर दिनांक ५ अगस्त ६४ को बिड्रा (withdraw) कर दिये गये। इस अर्से में मिल ने कोई सर्टीफिकेट प्राप्त नहीं किया।

(४) जोनल सिस्टम लागू होने के (दिनांक २३–३–६४) पहिले मील ने अन्य अन्य प्रांतों में अपना माल भेजा था जब से जोनल सिस्टम लागू हुआ तब से राजस्थान के विभिन्न जिलों में ही माल भेजा जाता है।

(श्री खाद्य मन्त्री)

(५) जी नहीं, जांच का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

अकाल और किसानों से लगान की वसूली, जिला बूंदी

३६२. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): क्या मंत्री, फूड एण्ड रिलीफ विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि इस वर्ष बून्दी जिले में भारी अकाल पड़ रहा है और खरीफ व रवी की फसलें नहीं हो सकी है ?

(२) क्या यह सही है कि वर्षा के अभाव में स्यालू की फसलें नहीं बोई जा सकीं तथा जहां पर बोई गई वहां बीज बेकार चला गया जिसका खसरा गिरदावरी एक प्रमाण है ?

(३) क्या यह सही है कि भारी ठंड के कारण इस वर्ष उनालू की फसलों को भारी नुक्सान हुआ है और ऐसी परिस्थिति में अनाज व चारे के अभाव में किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है ?

(४) क्या यह सही है कि इन तथ्यों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि शक्ति के साथ स्यालू की वसूली प्रारम्भ कर दी गई व जुर्माना सहित वसूलियां करना प्रारम्भ कर दिया ?

(५) ऐसे ग्रामों व ऐसे किसानों से स्यालू के स्थान पर उनालू की फसल आ जाने पर लगान जमा करवाने में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

१. यह सही नहीं है।

२. यह सही नहीं है।

३. यह सही नहीं है।

४. यह सही नहीं है।

५. अब यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। क्योंकि खरीफ तथा रबी दोनों फसलों का समय निकल चुका है।

नगरपालिका निम्बाहेड़ा में यूनानी हकीम का पद

३६३. श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या नगरपालिका निम्बाहेड़ा में सन् १९६१-६२ और १९६२-६३ में हकीम यूनानी दवाखाना की पोस्ट थी ?

(२) यदि हां, तो दवाखाने में औसतन कितने मरीज रोजाना आते थे ?

(३) क्या अब यह पोस्ट खत्म कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) हकीम मुतअल्लिका की सर्विसेज टर्मीनेट करदी गई या वे अब भी नौकरी में है ?

उत्तर

(१) जी हां।

Page No. 31

(श्री स्वायत्त शासन मन्त्री)

(२) औसतन २३ मरीज ।

(३) जी हां । बोर्ड द्वारा आयुर्वेदिक औषधालय चालू किये जाने के प्रस्ताव पर यह हकीम यूनानी दवाखाने की पोस्ट समाप्त करदी गई है ।

(४) हकीम मुताल्लिका को दिनांक १६–७–६२ से उनके ५५ वर्ष के हो जाने के कारण सेवा–मुक्त कर दिया गया है ।

नदबई की मंडी में कृषि भूमि पर मकान व दुकानें

३६७. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि नदबई (भरतपुर) की पूरी मंडी में मकान व दुकानें पूरी की पूरी बिना स्वीकृति लिये कृषि भूमि में बनी हुई है ?

(२) ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जिन पर केस चल रहे है ?

(३) सरकार इन केसेज् के बारे में क्या विचार रखती है ?

(४) क्या यह भी सही है कि इस मंडी के मकान व दुकानों के मालिक सरकार की इस संबंधी नीति से प्रतिदिन परेशान होते हैं और उनको आर्थिक हानि भी होती रहती है ?

(५) क्या सरकार इस मंडी की इस विकट समस्या को हल करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(१) नदबई (भरतपुर) : की कटरा मंडी में मकान व दुकान जो मंजूरी से बने हैं उनकी संख्या ५ है और जो बिना स्वीकृति कृषि भूमि में बने हैं उनकी संख्या ४८ है ।

(२) जिन व्यक्तियों पर केस चल रहे हैं उनकी सूची संलग्न है ।

(३) यह केसेज् रेवेन्यू कोर्टस् में विचाराधीन है ।

(४) राज्य सरकार के पास कोई शिकायत नहीं आई है ।

(५) सरकार के सम्मुख कोई समस्या नहीं रखी गई हैं ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

काली सिंध बांध में आई भूमि का मुआवजा

३६८. श्री प्रभुलाल 'सेन्टर' (खानपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) काली सिंध बांध एवं नहरों में तहसील खानपुर जिला झालावाड़ के एरिया में जो भूमि आई है, उसका मुआवजा तहसील खानपुर के काश्तकारों को किस हिसाब से दिया गया है ?

(२) इसी काली सिंध बांध व नहरों के कटाव में जो भूमि तहसील सांगोद जिला कोटा में आई है उसका मुआवजा किस हिसाब से दिया गया है ?

(श्री प्रभुलाल सेन्टर)

(३) जिला झालावाड़ एवं जिला कोटा में मुआवजा देने में फर्क रखने का क्या कारण है ?

(४) क्या सरकार इस फर्क को मिटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या विचार है ?

उत्तर

(१) जमीन के किस्म के मुआवजा में ६०) रु० से १५०) रु० प्रति बीघा तक दिया गया है।

(२) भूमि की किस्म व उपयोगिता को देख कर मुआवजा दिया गया है जो स्थान २ पर भिन्न २ है।

(३) मुआवजा भूमि आवाप्ति अधिकारी द्वारा संबंधित कानून तथा नियमों के आधार पर दिया जाता है। दोनों जिलों में फर्क होने का कारण संभवत: जमीन की किस्म स्थानों की उपयोगिता मार्केट प्राइस तथा स्थानाभाव हो सकते हैं।

(४) यह विषय राजस्व विभाग से संबंधित है। हालांकि उपयुक्त संदर्भ में यह आवश्यक नहीं है।

रिटायरमेन्ट के पश्चात् सेवाकाल में बढोत्तरी

३७२. श्री मानिकचन्द सुराणा, (कोलायत) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६२–६३ में राज्य सरकार द्वारा किन किन अधिकारियों को रिटायर होने की उम्र हो जाने के कारण राज्य सेवा में एक्स्टेन्शन दिया गया ? ऐसे अधिकारियों के नाम व डिवीजन की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या राज्य सेवा में एक्स्टेन्शन देने के लिये राज्य सरकार ने कोई नियम बना रखे हैं ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि नियमों के अभाव में राज्य सेवा में एक्स्टेन्शन का प्रश्न राज्य सरकार के लिये एक बिल्कुल डिस्क्रीशनरी रह जाता है ?

(४) उपरोक्त जिन अधिकारियों को राज्य सेवा में एक्स्टेन्शन दिया गया उनके अलावा कितने अधिकारियों ने राज्य सेवा में एक्स्टेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे ?

उत्तर

(१) शिक्षा विभाग के अध्यापकों को जो academic session के बीच रिटायर होते हैं सेशन के अन्त तक एक्स्टेन्शन दिया जाता है इसके अलावा केवल एक कर्मचारी का मामला सरकार के ध्यान में आया जिसे विधि विभाग की राय से एक्स्टेन्शन दिया गया।

(२) प्रचलित राज्यादेश के अनुसार एक्स्टेन्शन दिया जाना वर्जित है।

(३) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह वर्जित कर दिया गया है ?

(४) प्रार्थना-पत्र कई जाते रहते हैं जिनकी फहरिस्त बनाना संभव नहीं है लेकिन एक्स्टेन्शन किसी को नहीं दिया गया।

डाकुओं द्वारा आत्मसमर्पण

३७३. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या चट्टानी ग्राम प्रदेश (जैसलमेर) में नकदसिंह, इन्द्रसिंह, चन्दनसिंह व कर्णसिंह आदि १६ कुख्यात व उत्पात करने वाले डाकुओं ने गृह मंत्री के समक्ष आत्मसमर्पण किया था ? यदि हां, तो किस शर्त पर ?

(२) बरवक्त आत्मसमर्पण इन डाकुओं से कितने व कौन कौन से हथियार बरामद किये गये एवं किस पुलिस अधिकारी के सुपुर्द किये गये ?

उत्तर

(१) जी हां। ग्राम पीपला जिला जैसलमेर में इन चारों सहित १६ भाटी डकैतों ने दिनांक १७–६–६३ को बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण किया।

(२) बरवक्त आत्मसमर्पण कोई हथियार डाकुओं के पास में नहीं थे।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था

७६. श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने का प्रावधान है ?

(ब) कितनी जनसंख्या वाले गांवों में नल तथा कितनी जनसंख्या वाले गांवों में कुओं द्वारा व्यवस्था की जायेगी ?

(स) अब तक राजस्थान के कितने गांवों में पाइप लाइन द्वारा पानी सप्लाई करने का काम पूरा हो चुका है ?

(ल) लक्ष्य कितने गांवों में पाइप लाइन पहुंचाने का था ?

उत्तर

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी की व्यवस्था हेतु "नेशनल वाटर सप्लाई एण्ड सैनीटेशन" के अन्तर्गत रु० २०० लाख का प्रावधान रखा गया है।

(२) २५०० या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों में नल द्वारा तथा ४०० जनसंख्या वाले गांवों में कुओं द्वारा पेय जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयत्नशील है।

(३) वर्ष १९६३–६४ के अन्त तक ४८ गांवों में नल द्वारा पानी सप्लाई करने का काम पूरा हो चुका है।

(४) वर्ष १९६३–६४ के अन्त तक ५३ गांवों में पाइप लाइन पहुंचाने का लक्ष्य था।

राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट द्वारा मशीनों की खरीद

८०. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(१) राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट द्वारा १६५८ से १६६४ तक क्या क्या मशीनरी कितनी २ राशि की कब कब खरीदी कई ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त खरीद की गई मशीनरी में से काफी मशीनें राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के वर्कशाप में बेकार पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्यों और किस किस वर्कशाप में कितने कितने समय से ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र, तहसील प्रतापगढ़

८१. श्री हरलाल (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ में इस वर्ष भूमिहीनों के कुल कितने प्रार्थना-पत्र पेश हुए ? और उनमें से कितने भूमिहीनों को कितनी जमीन अलॉट की गई व कितनों को करना बाकी है ?

(२) इस तहसील में कुल कितने भूमिहीन परिवार हैं ?

उत्तर

(१) इस वर्ष तहसील प्रतापगढ़ में भूमिहीनों के १७७४ प्रार्थना-पत्र पेश हुये हैं। इस वर्ष में इस तहसील में भूमि का अलॉटमेन्ट नहीं हुआ।

(२) इस तहसील में कुल ६५८ भूमिहीन परिवार हैं।

सीड फार्म

८२. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् ६३-६४ में योजना के अनुसार राज्य में कितने सीड फार्म्स खुलने चाहिये थे और कितने खुले हैं ?

(२) यदि योजना के अनुसार न खुलकर कम खुले हैं तो उसका क्या कारण है ?

(३) दूसरी योजना काल में कुल कितने फार्म खोले जाने थे और उनमें से कितने खुले ?

उत्तर

(१) तीन फार्म खोले जाने थे दो खोले गए।

(२) उपयुक्त जमीन न मिलने से एक फार्म नहीं खोला जा सका।

(३) ४१ फार्म खोले जाने थे। ३८ खोले गये।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

नियुक्तियों में सुरक्षित स्थान

८३. श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को किस किस विभाग में उनके लिये सुरक्षित १२॥ प्रतिशत स्थानों पर नियुक्त किया गया है और किस किस विभाग में नहीं ? जिन विभागों में निश्चित प्रतिशत के अनुसार स्थान नहीं दिये गये हैं उसका कारण क्या है ?

Page No. 35

उत्तर

सन् ६३–६४, में जो नियुक्तियां भिन्न भिन्न विभागों में हुई हैं उनका विवरण इस प्रकार है :—

पद	कुल नियुक्तियां	अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों की नियुक्तियां	प्रतिशत
गजटेड	१२६	१०	६ प्र.श.
सबॉर्डिनेट	३६०	२१२	६०$\frac{२}{३}$ प्र.श.
मिनिस्ट्रियल	२७०	४४	१६ प्र श.
चतुर्थ श्रेणी	३४६	२११	६०$\frac{१}{४}$ प्र.श.

सेवायें नं० २, ३, और ४ में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की नियुक्तियों का प्रतिशत निश्चित प्रतिशत सेकहीं अधिक हैं, विशेषकर द्वितीय व चतुर्थ श्रेणी में गजटेड श्रेणी में मामूली कमी हैं, इसका कारण इन जातियों में निर्धारित योग्यता के योग्य व्यक्तियों का न मिलना है। इस श्रेणी में नियुक्तियां जन सेवा आयोग द्वारा होती हैं।

जिन विभागों से सूचना प्राप्त हुई, उसकी सूची संलग्न की गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भूमि का अलॉटमेंट और उसका नामान्तरकरण

८४. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) जयपुर शहर के चारों ओर १२:१२ माइल के क्षेत्र के अन्दर १ जनवरी, सन् १६६० से लेकर अब तक कितनी भूमि का नामान्तरकरण हुआ है ?

(२) जिनके नाम नामान्तरकरण हुआ हैं उनमें कितने भूमिहीन किसान हैं ?

(३) जिनके नाम नामान्तरकरण हुआ है उनमें कौन २ सरकारी अधिकारी, कौन २ विधान सभाई सदस्य (वर्तमान तथा भूतपूर्व) हैं, और कब २ और कितनी २ भूमि अलॉट हुई है ?

(४) कितने मामलों में नामान्तरकरण के लिये सरकारी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और कितनों में नहीं ?

उत्तर

(१) जयपुर शहर के चारों ओर १२-१२ माईल के क्षेत्र में ५ तहसीलों का क्षेत्र आता है। १२ माईल के क्षेत्र में १ जनवरी, १६६० से अब तक जितनी भूमि का नामान्तरकरण हुआ हैं उसका तहसील वाईज विवरण निम्न प्रकार हैं :—

१.	तहसील जयपुर	४८०२ बी.
२.	तहसील बस्सी	१३१। बी.
३.	तहसील सांगानेर	३३४६।।
४.	तहसील आमेर	२१७८।।। १
५.	तहसील जमवारामगढ़	२४१।। २

(२) जिनके नाम नामान्तरकरण हुए हैं उनमें भूमिहीन किसानों की संख्या तहसील वाईज इस प्रकार है :—

Page No. 36

(श्री राजस्व मन्त्री)

जयपुर	बस्सी	सांगानेर	आमेर	ज. रामगढ़
१७५	१४	१६०	३१	३१

(३) उपरोक्त नामान्तरकरणों में जिन राज्य कर्मचारी विधान सभाई सदस्यों को भूमि अलॉट होने पर नामान्तरकरण खोले गये हैं उनकी सूची निम्न प्रकार है :

नाम अलॉटी	क्षेत्रफल	वर्ष
१. श्री बृजमोहन भूतपूर्व सैनिक	१५	१६५६
२. श्री मोहनलाल रायसिंहानी राज्य कर्मचारी	३२। १	१६६०
	: क्लेमेंट डी. पी. :	
३. श्री कर्नल भोपालसिंह आर्मी ऑफिसर	१ बी.	१६६२

(४) नामान्तरकरण तस्दीक के लिये सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी।

नगरपालिका चित्तौड़गढ़ की वार्षिक आय

८५. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) :क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

चित्तौड़गढ़ नगरपालिका की वार्षिक आय क्या है ? राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है ? इस रकम में से कितना प्रशासन एवं कितना नगर के विकास में खर्च होता है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। चाही गई सूचनाएँ सूची में अंकित हैं।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

(६.१२ म० पू०)

पाली जिले में भूख हड़ताल से एक व्यक्ति की मृत्यु संबंधी स्थगन-प्रस्ताव पर मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय सदस्य श्री हरिराम चौहान, श्री मानिकचंद सुराणा, श्री मुरलीधर व्यास और श्री केदारनाथ ने दी है जिसका संबंध पाली जिले में भूख हड़ताल से एक व्यक्ति की मृत्यु से है। मंत्री महोदय इस पर स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : कम्युनिस्टों ने बाली में दिनांक १६-८-६४ से ५ दिन के लिये सांकेतिक भूख हड़ताल लगभग ८ बजे प्रातः एस. डी. एम. कोर्ट बाली के समक्ष प्रारम्भ की। उस भूख हड़ताल का उद्देश्य बढ़ती हुई मंहगाई एवं भ्रष्टाचार, खाद्य पदार्थों के संबंध में विरोध प्रदर्शित करना है। जो लोग भूख हड़ताल कर रहे थे, उनमें से श्री हामिदबेग र्यूमेटिज्म (गठिया) के पुराने मरीज थे और उनकी हालत १७-८-६४ को शोचनीय हो गई और वे बेहोश हो गये। लगभग १० बजे प्रातः काल उनके फेफड़े में कन्जेश्शन होने के कारण फेफड़ा कार्य करना बंद करने लगा। तत्काल उनको बाली अस्पताल में दाखिल कराया गया। बाली के मेडिकल ऑफिसर ने इलाज के लिये पाली अस्पताल में ले

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जाने की राय दी। फलस्वरूप मेडिकल ऑफिसर पी. ए. डब्लू. खां और प्राइवेट प्रेक्टिशनर कोमरेड डाक्टर श्री मदन .व्यास, कोमरेड सेंसकरण हामिद बेग को लेकर प्राइवेट टैक्सी में लगभग १.४५ सायं दिनांक १७-८-६४ को पाली के लिये रवाना हुए। हामिदवेग अचेत अवस्था में थे। जब पाली से १२ मील दूर ग्राम गूंदोज के करीब पहुंचे तब हामीदबेग का लकभग ४ बजे देहान्त हो गया। तत्काल वहां से लौटकर टैक्सी में हामीदवेग की लाश को बाली लाया गया जहां उक्त पार्टी रात को १०॥ बजे पहुंची। उसी रात को ११ बजे हामीदबेग की लाश को उनके निवास स्थान देसूरी लेजाने के लिये रवाना किया गया लेकिन बरसात बहुत ज्यादा होने के कारण वे आगे नहीं जा सके। १८ तारीख को श्री हामिदबेग की लाश को देसूरी में दफनाया गया था। उनके संबंधियों सहित लगभग ३५ आदमी वहां थे। हामीदबेग की मृत्यु का कारण बाली डाक्टर की राय में इस प्रकार है :—

Due to respiration failure, due to congestion of lungs of Shir Hamid Beg. He was a chronic patient of rhumatism.

ये एक दिन पूर्व ही भूख हड़ताल पर बैठे थे और भूख हड़ताल सर्वथा सांकेतिक थी। अत: अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की परिस्थिति नहीं थी। जैसे ही उनकी तबियत खराब हुई, शीघ्र ही उनको अस्पताल में ले जाया गया। अधिकारियों ने कोई बेपरवाही नहीं की। उनके बेपरवाह होने के कारण मृत्यु हुई ऐसा कहने में कोई तथ्य नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जैसा कि मंत्रीजी ने कहा, एक भूख हड़ताली बैठा था जो पहले से बीमार था ऐसा सरकार को मालूम था। सरकार ऐसा करती है कि कोई भूख हड़ताल पर बैठता है तो सरकार उसके स्वास्थ्य की जांच करवाती हैं और यहां तक मौका आता है कि कई दफा जबरन सरकार फोर्स फीडिंग करती है। क्या इस भूख हड़ताली की पहले दिन सरकार ने जांच की थी ? यदि नहीं की तो उसके बाद में जानना चाहता हूं कि जब उसको होस्पिटल ले जाया गया और वहां मालूम पड़ा कि उसका स्वास्थ्य खराब है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी थी या नहीं, कि सरकार अपनी तरफ से उसका इलाज मुकम्मिल कराती ? यदि सरकार महसूस करती है कि हमारी जिम्मेदारी है, तो क्या सरकार ने ऐसा प्रबन्ध किया कि जिससे उसकी जान बचाई जा सकती ? क्योंकि ऐसा मालूम हुआ कि डाक्टर ने कहा था कि ऑक्सीजन चाहिये, हमारे पास इसका साधन नहीं है। तब लोग एस. डी. एम. के पास गये और उनसे गाड़ी मांगी। दूसरे अधिकारियों से भी गाड़ी मांगी। लेकिन उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। सरकार को जब मालूम हो जाये कि एक हड़ताली आत्म हत्या कर रहा है तो सरकार को उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिये, लेकिन सहायता मांगने के बावजूद भी, उनको सहायता नहीं दी, क्या इस बारे में स्पष्टीकरण करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान। और भी जो सज्जन बोलना चाहें बोल लें उसके बाद जवाब दिया जाय।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : मंत्री महोदय ने यह स्टेटमेन्ट दिया है कि वह पहले

Page No. 38

(श्री हरिराम चौहान)

से बीमार था और उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही अधिकारियों की तरफ से नहीं बरती गई। मैं समझता हूं मंत्री जी का यह स्टेटमेन्ट बिल्कुल गलत है। हमारे पास जो जानकारी है, और जो तार वहां से आया वह मेरे पास मौजूद है। उसमें साफ लिखा है कि डाक्टर ने यह कहा कि ऑक्सीजन की कमी है और यहां ऑक्सीजन दे नहीं सकते, आप इनको पाली लेजाने का कोई प्रबन्ध करें। तब उन्होंने कहा कि बाहर ले जाने के लिये गाड़ी का कोई प्रबन्ध कर दीजिये, तमाम अधिकारियों से कहा एस. डी. एम. से कहा, एस. डी. एम. की अदालत के सामने तो भूख-हड़ताल कर ही रहे थे, डाक्टर से भी कहा, लेकिन गाड़ी का इन्तजाम नहीं हो सका। तब इधर उधर भाग कर प्राइवेट गाड़ी का इन्तजाम किसी प्रकार किया लेकिन इसमें देरी हुई और इसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। अध्यक्ष महोदय, यह एक बुनियादी प्रश्न है कि किसी आन्दोलन के प्रति हमारी सरकार का क्या रुख रहता है। आज सारे देश में हाहाकार मची हुई है, बड़े आन्दोलन हो रहे हैं, सरकार के दरवाजे के सामने लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं मजदूर और किसान भूखे मर रहे हैं। उसके बाद जब वे भूख हड़ताल करने के लिए बैठते हैं तो जब तक उनका स्वास्थ्य खराब न हो जाय तो सरकार अपनी जिम्मेदारी उस वक्त तक लेती नहीं। वैसे तो सरकार अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है, न कोई काम की जिम्मेदारी लेती है और न स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन जब इस सरकार के सामने कोई भूख हड़ताल करने के लिए, कोई आन्दोलन करने के लिए बैठ जाय, तब भी यह सरकार अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह इस तरह की घटना है जिसके ऊपर एक अदालती जांच कमेटी बैठनी चाहिए और जुडिशियल जांच इसकी करानी चाहिए और वहां के अधिकारियों ने जो भी लापरवाही बर्ती है, उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। इस तरह कोई मंत्री महोदय के कहने से काम नहीं चलेगा। जब हमारे पास यहां पर तार आ गया कि उनकी तबीयत खराब है, तो जब यहां तार पहुंच सकता है, तो वहां जो आपकी सी. आई. डी. मौजूद है, जो यहां तक पता रखते हैं कि कौन आदमी हड़ताली के पास आता है, किसका क्या सम्बन्ध है और वे उस जगह का पूरा घेरा लगाये हुए रहते हैं, और एक एक मिनट की जानकारी करते रहते हैं, जांच करते रहते हैं तो जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो उस बीमार आदमी को प्राइवेट लोगों को क्यों दिया गया? बीमार आदमी को दूसरे लोगों को क्यों दिया गया? सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसको अपने कब्जे में रखती और पूरी तरह से बीमार आदमी की सुरक्षा और चिकित्सा करने का इन्तजाम करती और उसके बाद ठीक टाइम पर अस्पताल ले जाने के बाद उसे नहीं बचाया जा सकता तो बात दूसरी हो सकती थी लेकिन सरकार ने क्या प्रयत्न किया? सरकार ने बिल्कुल प्रयत्न नहीं किया। जब अस्पताल में बीमार आ गया तो आपने कहा कि उसको गठिया बाय थी, यह था, वह था। मैं समझता हूं कि यह बाद की बनाई हुई स्टोरी है और इसमें किसी किस्म की सच्चाई है नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह मामूली सवाल नहीं है, कि कोई आदमी भूख हड़ताल पर बैठे, उसे सरकार के अस्पताल के अन्दर ले जाया जाय, डाक्टर उसे देख लें

(श्री हरिराम चौहान)

लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के अन्दर उसकी मृत्यु हो जाय। मैं समझता हूँ इसके अन्दर कोई न कोई राज खुलेगा। इसलिए इसकी पूरी तरह से अदालती जांच करानी चाहिए। यह मामूली बात नहीं है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) यह राजस्थान का पहला शहीद है, जो मंहगाई और खाद्य की समस्या के खिलाफ भूख हड़ताल करने से शहीद हुआ है। उसका हमको पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। उस सम्मान को देने के साथ, अदालती जांच करने के बाद जिन अधिकारियों का दोष पाया जाय उनको दंड देना चाहिए।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने हामीद बेग, कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी की भूख हड़ताल के दौरान में मृत्यु होने के जो हालात बताये, उनको सुनकर और जो स्थिति मालूम हुई है उसको समझने के बाद मालूम होता है कि हकीकत यह है कि आज की जनता के प्रति सद्भावना और सहानुभूति सरकार के अन्दर नहीं है। राजनैतिक आन्दोलन हमने भी किये हैं, हम भी जेल में गये हैं। राजनैतिक आन्दोलन हमने अंग्रेज़ों के जमाने में देखे हैं और राजा महाराजाओं के जमाने में भी देखे हैं। जब कोई भूख हड़ताल पर बैठता था तो डाक्टरों के द्वारा उसका वेट लिया जाता था, उसका ब्लड प्रेशर लिया जाता था। महात्मा गांधी जब भूख हड़ताल पर बैठते थे तो उनका वेट लिया जाता था, ब्लड प्रेशर लिया जाता था। मैं कहता हूँ कि आज छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी देश का नागरिक है, वह भी अपना कुछ अस्तित्व रखता है लेकिन आज की सरकार उसका कोई ख्याल नहीं करती है। क्या इसमें से मानवता की भावना निकल गई है? क्या यह सरकार भूख हड़ताल को मजाक समझती है? जो बड़े बड़े आदमी हैं, और जिनको यह समझती है कि ये नेता हैं—उनका ब्लड प्रेसर देखा जायेगा, उनका वेट लिया जायगा। लेकिन क्या इस भूख हड़ताली ने जब भूख हड़ताल शुरू की तो आपके सरकारी डाक्टर मर गये थे? क्या उनको शर्म आती थी उस गरीब इन्सान को देखने में? आज हजारों आदमी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके सम्बन्ध में क्या सरकार कह सकती है कि डाक्टर ने उनको देखा है, ? क्या सरकार कह सकती है कि डाक्टर ने उनका ब्लड प्रेसर लिया है? क्या सरकार कह सकती है कि उनके स्वास्थ्य के बारे में मेडीकल बुलेटिन निकाली है? आप मेडीकल बुलेटिन राष्ट्रपति के लिए निकाल सकते हैं, महात्मा गांधी के लिए निकाल सकते थे, मौलाना आजाद के लिए निकाल सकते थे। लेकिन छोटे से छोटा कार्यकर्त्ता भी देश का नागरिक है। वह भी अपना अस्तित्व रखता है। आज जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में भूख हड़ताल करना हमारा कान्स्टीट्यूशनल राइट है, अपनी ग्रीवियेन्सेज रखने का हमारा राइट है। लेकिन सरकार इसकी अवहेलना करती है, और सरकार मानवता का आदर नहीं करती है और जिस तरह रावण के वंशज राज्य चलाया करते थे उस तरह चलाती है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आज हमीद बेग नहीं मरा है, आज सारे देश के अन्दर दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक लाखों आदमी इस बात के लिए तैयार हैं कि इस बेइज्जती और बेगैरत की जिन्दगी से और जो जनता के ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, उससे मर जाना अच्छा है। इस बात पर वे आमादा हैं

Page No. 40

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : जल्दी करो ।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या अधिकार है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या सारे आदमी मर जायं ?

श्री दलपतसिंह (आबू) : आप तो पुडिंग खा रहे हैं ।

श्री अब्दुल जब्बार : आपको मैदान में आना पड़ेगा और तब हम आपको बधाई देंगे, आपको वह जमाना याद दिलायेंगे, आप १९४२ को भूलो मत । मैं आपसे आज से परिचित नहीं, ज्वाला प्रसाद जी, मैं १९४२ से परिचित हूँ । हम आपको घसीट कर लायेंगे । और जो डायरी सरकार है, जुल्म करने वाली सरकार है, उसके खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा....

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग): ज्वाला प्रसाद जी के नेतृत्व में ?

श्री अब्दुल जब्बार : मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा और मेडीकल एण्ड हैल्थ के मिनिस्टर, जो खुद मोटे और ताजे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि यह अफसोस की बात है कि आपके राज्य में इस प्रकार लोग मर रहे हैं, भूख के मारे लोग मर रहे हैं । और बातों के लिए नहीं मर रहे हैं, लेकिन जनता को रोटी चाहिए इसलिए मर रहे हैं, जनता को नौकरी चाहिए इसलिए मर रहे हैं । और सरकार ऐश और आराम की जिन्दगी वसर करती है । मैं कहता हूँ, यह शर्म की बात है । आपकी इस हुकूमत में गरीब इन्सान अपनी रोटी और रोजी के लिए भूख हड़ताल करे और वह मर जाय और सरकार उस वक्त ध्यान दे जब हम स्थगन प्रस्ताव दें । इस स्थिति में मैं निवेदन करता हूँ कि आप समय रहते जाग जाइये । नहीं तो आप क्रांति के बीज पैदा करेंगे और उसका नतीजा अच्छा नहीं रहेगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मन्त्री महोदय बता सकते हैं कि मेडीकल एक्सपर्ट की ओपिनियन यह थी कि अगर यह व्यक्ति भूख हड़ताल नहीं करता तो नहीं मरता ? उसको बीमारियां थीं और वह बीमारियां भूख हड़ताल से एग्रीवेट हुईं, उसके कारण यह मरा ? इसका स्पष्टीकरण दे दें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : यह मेडीकल ओपिनियन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में, मैं कुछ नहीं कह सकता कि अगर वह भूख हड़ताल नहीं करता, तो क्या होता । वह क्रानिक रियूमेटिक डिसीज का बीमार था । और नेचूरल कोर्स में उसकी मृत्यु हुई है । उस पर भूख हड़ताल का प्रभाव हो सकता था या नहीं हो सकता था—इस सम्बन्ध में, मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री भैरोंसिंह : भूख हड़ताल उसकी मृत्यु का कारण थी या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह भी नहीं कह सकता । इससे मालूम होता है ....

श्री अब्दुल जब्बार : एक्जामिन क्यों नहीं किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कन्जेशन ऑफ लंग्स-कारण था । भूख हड़ताल के कारण नहीं मरा ।

Page No. 41

श्री भैरोंसिंह : पर्टीक्यूलर क्वेश्चन है। लंग्स और बाकी की खराबियों के अन्दर भूख हड़ताल का असर हुआ, इसलिए मृत्यु हुई। इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कह सकते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं कह सकता। रियूमेटिक की क्रानिक बीमारी थी और कन्जेशन ऑफ लंग्स हुआ। रियूमेटिक क्रानिक बीमारी सफीसियेन्ट है, कन्जेशन ऑफ लंग्स के लिए—यह कारण हो सकता है या दूसरा कारण हो सकता है—यह नहीं कह सकता। यह बताया है कि मृत्यु नेचुरल कोर्स में हुई है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक) : यह पोस्ट मार्टम रिपोर्ट थी या एन्टी मार्टम रिपोर्ट थी ?

श्री भैरोंसिंह : भूख हड़ताल का हिस्सा मृत्यु में नहीं है—यह स्पष्ट नहीं कह सकते तो इसकी जांच होनी चाहिए कि मृत्यु का कारण क्या है ? भूख हड़ताल से बीमारी के एग्रेवेट होने से मरा है या यों ही मरा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस स्थिति विशेष का ख्याल नहीं। लेकिन गवर्नमेंट इसके बीच में कहां आती है ? १७४ क्रिमिनल प्रासीजर का बड़ा साफ है, काज ऑफ डेथ् के सम्बन्ध में। हम बीच में आकर पोस्ट मार्टम करायें और काज ऑफ डेथ का पता लगायें, इसके लिए १७४ बड़ा साफ है...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह क्वेश्चन नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ठहरिये साहब। किन सरकंमस्टान्सेज में मृत्यु हुई, उसके सम्बन्ध में पोस्ट मार्टम से काज ऑफ डेथ मालूम करने का सवाल उठता है। १६ को वह भूख हड़ताल पर बैठा, १७ को उसकी मृत्यु हो गई। स्थिति ऐसी अजीब नहीं कि आफेन्स हुआ है। यह आफेन्स तब होता जब दस पन्द्रह दिन तक भूख हड़ताल चलती और तब हम कहते कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है। एक दिन में गवर्नमेंट पिक्चर में नहीं आती। काज ऑफ डेथ को बताने के लिए पोस्ट मार्टम कराया जाता है जो प्रश्न यहां पैदा नहीं होते। दूसरे श्री खान, इन्चार्ज हास्पिटल एवं मिस्टर जोशी कम्युनिस्ट पार्टी के इन दोनों की ओपिनियन है। और यह दोनों ही बराबर साथ रहे। दोनों की ओपिनियन एक है कि कन्जेशन ऑफ लंग्स और क्रानिक डिसीज ऑफ रियुमेटिज्म........

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें डा० की यह राय है कि मृत्यु नेचुरल कोर्स से हुई है। इसमें डा० जोशी की भी राय है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ऐसी स्थिति में लंग्ज की खराबी में उसे ओक्सीजन दे दिया जाता तो आदमी को मृत्यु से बचाया जा सकता था और बाली में उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके लिये तो न मैं एक्सपर्ट हूँ और न आप इसलिये न तो मैं कुछ कह सकता हूँ न आप कह सकते हैं। यह पोजिशन दूसरी है। इससे सरकार को कोई सरोकार नहीं। जो व्यक्ति बीमार हुआ, उसकी देख रेख के लिये, जो भी इन्चार्ज होस्पिटल का कर्तव्य था वह उसने ठीक तरह से पूरा किया।

श्री भैरोंसिंह : वाली होस्पिटल में उसको कोई डाइट भी दी गई थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : खाना देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता....

एक माननीय सदस्य : पांच दिन तक वह भूख हड़ताल में रहा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पांच दिन तक भूख हड़ताल का कोई प्रश्न नहीं रहता। वह १६ तारीख को भूख हड़ताल पर बैठा और १७ तारीख को बेहोश हो गया। वाली होस्पिटल के इन्चार्ज उनको बेहोशी की हालात में पाली लेकर रवाना हुआ और चार बजे रास्ते में वह मर गया। इस सारे प्रश्न का हमसे कोई संबन्ध नहीं रहता है।

एक माननीय सदस्य : बाली होस्पिटल में वह कब भर्ती हुआ ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस संबन्ध में अर्ज करना है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अचानक जिस प्रकार से मृत्यु हुई है उसका तो हमें भी दुःख है लेकिन जो पार्टीज़ इस तरह से इन्सानों को भूख हड़ताल पर बिठलाती हैं, यह तरीका गलत है। मैं उन पार्टीज़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से....

(शोर गुल)

इस राजस्थान के अन्दर गैर जिम्मेदाराना ढंग से लोगों को बगैर उनके स्वास्थ्य की चिन्ता किये, उसके स्वास्थ्य की जांच कराये बगैर, हड़ताल पर बिठला देते हैं, और उनको मौत के घाट उतारना चाहते हैं। इसलिये मैं यह कहूँगा कि क्रिमिनल ढंग से जो ऐसा करते हैं उसके लिये उनको रोक देना चाहिये।

श्री हरिराम चौहान : अध्यक्ष महोदय, आप लोगों को भूखों मारते हैं, उसके लिये कोई कुछ भी न करे....

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान–शोरगुल)

श्री अध्यक्ष: Order please ! Order !!

श्री हरिराम चौहान : अध्यक्ष महोदय, गोलियां चलाई उस समय क्या हुआ था....

(शोर गुल)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान। Order please.

श्री हरिराम चौहान : वे इस तरह से बोलते हैं जिस तरह से....

(शोर गुल)

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हमारे दिल में भी उनके लिये दर्द है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यह सरकार जो इस तरह की चीज चल रही है, सारे राजस्थान में, कि कोई भी व्यक्ति जब चाहा एक पाटिया लगाया और लेट गया भूख हड़ताल के नाम पर, यह क्या बात है ? यह क्या बीमारी शुरू हो गयी है ? कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को मैंने आन्दोलन करते हुए देखा है। उनकी और मक्कारियां, और हथकन्डे देखे हैं, मगर किसी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

भी मुल्क में मैंने कम्युनिस्टों को भूख हड़ताल करते हुए आज तक नहीं देखा। हिन्दुस्तान में ही ऐसी भूख हड़ताल हो रही है। हिन्दुस्तान में यह पार्टी जान बूझ कर सरकार को बदनाम कराने के लिये इस प्रकार के हथकन्डे काम में लेती है। समझ में नहीं आता कि कम्युनिस्ट क्या करना चाहते हैं?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : बीमार आदमियों को भूख हड़ताल पर बिठला देते हैं और उनके स्वास्थ्य की कोई जांच नहीं करवाते।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष यह सीधा सा सवाल है। यह कम्युनिस्ट कौमरेड की मृत्यु हुई उसके लिये दुख है और इस पक्ष में बैठने वालों को और उस पक्ष में बैठने वालों को भी दुख होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : हमें भी दुख है।

श्री मानसिंह महार : अब समस्या यह है कि जो इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिये जो पार्टीज़ उनको भूख हड़ताल पर बिठला देती हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बड़े जोर जोर से बोले इस संबन्ध में मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि यह भूखहड़ताल करना सिखाया भी उधर वालों ने ही है। हमारे कौल साहब हैं भूख हड़ताल पर बैठ गये थे। फिर अब आप हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि उनको सजा दी जाए। पहले उनको आप सजा देते, फिर हमें शिक्षा देते तो ठीक रहता। मगर कहने को तो आपने कह दिया और हम सब लोगों को क्रिटीसाइज कर दिया। हरिरामजी ने जो एतराज उठाया वह यह है कि वह कैसे मरा? यह कहा जाता है कि भूख हड़ताल में मर गया यह ठीक है। लेकिन जहां तक मुझे मालूम हुआ है कि उनके साथी को ऑक्सीजन की जरूरत थी और उसको ऑक्सीजन देनी चाहिये थी और इसके लिये डा० बाली ने अफसरों से मांग की कि ऑक्सीजन फौरन मंगवाया जावे। लेकिन सरकारी अधिकारी ऑक्सीजन मंगा नहीं सके और इस मजबूरी में उनकी हालत सीरियस हो गई और सीरियस हालत होते हुए मि० खान को पाली के लिये लेकर रवाना होना पड़ा और रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। अब तो सरकार भूख हड़ताल के लिये कोई बिल वगैरा लाकर उसको रोक सकती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी पार्टी किसी को भूख हड़ताल पर बिठलाए और अगर उसकी तबियत खराब हो जाए तो पार्टी की तरफ से ऑक्सीजन का प्रबन्ध किया जाना चाहिये था। मगर आप यह दोष भी सरकार पर मंडना चाहते हैं, और सरकार की जिम्मेदारी बताते हैं।

(श्री मुरलीधर व्यास, श्री हरिराम और श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा सभी एक साथ बोलने से शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : Order please ! Order please !!

श्री मुरलीधर व्यास : होना तो यह था कि सरकार इसकी जांच करा कर निर्णय

(श्री मुरलीधर व्यास)

करती कि किसकी गलती है ? और उसके लिये व्यवस्था करती। यह सरकार की जिम्मेदारी है। बनिस्बत कि इस प्रकार की गलत बहस की हो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : भूख हड़ताल पर आपने उसको बिठाया था। आपकी जिम्मेदारी थी....

(शोरगुल)

श्री मुरलीधर व्यास : इलाज कराते। वह मर गया। मैं यह निवेदन करूंगा कि मरने की जिम्मेदारी की जांच की बात करते लेकिन वे दूसरी बातें ही करते हैं।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : Order please, Order please.

श्री हरिराम चौहान : भूख हड़ताल करनेवाला कोई साधारण मजदूर नहीं था या कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था। वह राजस्थान के कम्युनिस्ट पार्टी की स्टेट कौंसिल का सदस्य था।....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !

(व्यवस्था सूचक-घंटी)

यह बहुत ही खेद जनक बात है कि एक भूख हड़ताली की मृत्यु हो गई। मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर इस सम्बन्ध में कुछ कहेंगे। मैं माननीय सदस्यों से कहूँगा कि इस पर गंभीरता से विचार करें और देखें और इसको इधर उधर ले जाने की कोशिश न करें। इस पर संजीदगी से विचार किया जाए। भूखहड़ताल के सम्बन्ध में सरकार कोई नीति संपादन कर सकती है। इसके लिये जैसा श्री ज्वालाप्रसाद और दूसरे कई माननीय सदस्यों ने कहा और इधर उधर ले जाने की कोशिश की उसको मैं वाजिब नहीं समझता। चीफ मिनिस्टर।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष, जैसा अभी आपने फरमाया हम लोगों को इस बात का दुख है कि भूख हड़ताल पर बैठने के बाद उनकी दूसरे ही रोज मृत्यु हो गई। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि माननीय सदस्य इस बात को भी पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं कि मृत्यु का कारण भूख हड़ताल नहीं होकर के उनकी अचानक बीमारी रियुमैटिक बीमारी जो उनको पहले थी उस बीमारी का ज्यादा बढ़जाना डवेलप होजाना और उस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। बाली में एस. डी. एम. के पास जीप होते हुए भी उन्होंने नहीं दी और दूसरी जगह से भी जीप उपलब्ध नहीं हो सकी, यह कहना कि एस. डी. एम, बाली ने जीप देने से इन्कार किया है ऐसी स्थिति नहीं हो सकती और अगर जीप उपलब्ध होते हुए भी नहीं दी है तो हम उसकी जानारीकर लेंगे। यह प्रश्न केवल भूख हड़ताली का ही नहीं है, लेकिन यह एक मानव के जीवन का प्रश्न है। आया उन्होंने जीप होते हुए भी नहीं दी या जीप उपलब्ध नहीं थी। होते हुए भी नहीं दी, इसकी हम जानकारी कर लेंगे। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा विशेष तौर से कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों से कि जो प्रश्न हो उसे उसी हद तक सीमित रख कर चलें तो वाजिब बात होगी। पर उस सीमा से

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आगे चल कर यह कहें कि एक ने एक रोज भूख हड़ताल की और दूसरे रोज उसकी मृत्यु हो गई तो सारी उसकी जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी जाय तो मैं समझता हूँ वह वाजिब बात नहीं होगी। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि भूख हड़ताल का तरीका अनुचित तरीका है।

श्री हरिराम चौहान : महात्मा गांधी ने ही चलाया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं कह लूं।

महात्मा गांधी ने दूसरों के हृदय का परिवर्तन करने के लिये बिना किसी बात को पूरा करने की शर्त के साथ, भूख हड़ताल के शस्त्र को अपनाया था। भूख हड़ताल की एवज में अमुक बात हो जाय, तभी भूख हड़ताल को तोड़ूंगा, इस प्रकार की शर्त रख कर कभी उन्होंने भूख हड़ताल के शस्त्र को काम में नहीं लिया। पर आज जगह जगह इस तरह किया जाता है। इस प्रकार की दुर्घटना पैदा होने की स्थिति हो उसको रोकना हम सबका कर्त्तव्य हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा न हों कि दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति पैदा हो कि एक बीमार आदमी भूख हड़ताल पर जाय।

जीप के लिये कहा गया कि एस. डी. एम. के पास जीप थी फिर भी उसने जीप नहीं दी, मैं इसकी जानकारी कर लूंगा कि वास्तव में एस. डी. एम. के पास जीप थी या नहीं। जहां तक सरकार के सामने प्रश्न है, इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो माननीय सदस्य इस तरह की भूख हड़ताल की सारी जिम्मेदारी सरकार पर डाल देते हैं, यह मैं समझता हूँ उचित नहीं है। सरकार भूख हड़ताली को उठा कर ले जाय तो एतराज किया जाता है। सरकार भूखहड़ताली को फोर्स फीडिंग करती है तो उसका भी विरोध किया जाता है। उस पर एतराज उठाया जाता है। तो मैं समझता हूँ इस बारे में कोई एक नीति निर्धारित हो जाय, कि आया गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनकी हालत का पूरा ख्याल रखना है, तो पहले दिन से ही सरकार अपनी जिम्मेदारी ले ले। यह एक इम्पोर्टेन्ट सवाल है कि एक तरफ भूख हड़ताल को अधिकार समझते हैं, उनको टच करते हैं तो एतराज किया जाता है, फोर्स फीडिंग करते हैं तो एतराज किया जाता है और भूख हड़ताल के दूसरे दिन ही यदि बीमारी के कारण मृत्यु हो जाय तो सारी जिम्मेदारी सरकार पर डाली जाती है, तो यह कहां तक उचित होगा ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इसके लिये उत्तरदायित्व आखिर किसका है ? इसके लिये उत्तरदायित्व तो सरकार का ही है। पहले दिन से ही जांच कर ले। अगर हालत खराब है, तो फोर्स, फीडिंग या जैसा कानून है वैसा आवश्यकता के अनुसार करे। यह सरकार का फर्ज है। पर मुख्य मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा उससे मैं ऐसा महसूस करता हूं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल महसूस नहीं करती। एस. डी. एम. के पास गाड़ी थी, और गाड़ी होते हुए भी गाड़ी नहीं दी।

श्री मथुरादास माथुर : गाड़ी नहीं थी।

Page No. 46

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जिस तरह से उठा है, और मुख्य मंत्रीजी ने जो कहा है उससे कुछ हद तक सहमत हूं कि भूख हड़ताल ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्षजी इस प्रश्न पर वादविवाद होगा तो बड़ी बहस चल जायेगी....

श्री भैरोंसिंह : आपने एक प्रश्न उठा दिया है ...

श्री रामकिशन : आपने एक सवाल उठा दिया है, उसके बारे में तो....

श्री अध्यक्ष : इस पर अब बहस न की जाय। मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि सभी पार्टियों के लोग बैठ कर सोचें कि किस तरह सरकार को करना चाहिये...

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मंत्रीजी पहले बता दें कि सरकार की कितनी जिम्मेदारी है ?

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि एक तरफ सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती है तो पार्टी वाले एतराज करते हैं। कोई कोड ऑफ कन्डक्ट तो है नहीं भूख हड़ताल के बारे में। इसलिये सब पार्टीज वाले मिल कर इस सम्बन्ध में कोई एक चीज निर्धारित कर लेंगे तो उचित होगा अब इस पर बहस नहीं होगी।

श्री हरिराम चौहान : मैंने जांच के लिये प्रश्न उठाया था कि इसकी जुडिशियल जांच होनी चाहिये, इस पर सरकार को क्या एतराज है ?

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है।

विधायी कार्य राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों को बेदखली) विधेयक, १९६४

(पूर्वक्रम से विचार-विमर्श एवं प्रवर समिति को)

श्री अध्यक्ष : Rajasthan Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Bill, 1964 पर जो बहस हुई थी उसका मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा अच्छा यह रहेगा कि इस बिल को एक दो दिन के लिये सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय ताकि अच्छी चीजें इसमें इन्कोर्पोरेट होकर सदन में आ सके।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : मैं समझता हूं सम्बन्धित मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं उससे एतराज नहीं होगा, वे यही कह रहे हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं बोल रहा था....

श्री अध्यक्ष : सेकिन्ड रीडिंग पर, थर्ड रीडिंग पर बोल लें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य का भाषण पूरा नहीं हुआ था।

श्री अध्यक्ष : मुझे तो ऐसा मालूम नहीं होता।

(श्री अध्यक्ष)

मैं यह तो नहीं मानता कि ५ मिनिट, १० मिनिट बोलने के बाद भाषण समाप्त हुआ माना जाय या कब समाप्त हुआ माना जाय, भाषण समाप्त हुआ तभी माना जायेगा जब कि आसन पर जो व्यक्ति हों वे सदन की कार्यवाही समाप्त करते समय यह कहें कि भाषण जारी रहेगा। आयन्दा भविष्य में जारी रखना चाहें तो कृपया यह व्यवस्था कराएं।

माननीय सदस्य यदि बोलने के लिये ज्यादा उत्सुक हों तो आज दो चार मिनिट के लिये बोल लें पर यह व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैंने कल भी कह दिया था।

श्री अध्यक्ष : आपके कहने से नहीं, आसन की तरफ से कहने से माना जायेगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इस विधेयक के बारे में, मैं कह रहा था कि क्योंकि यह अंग्रेजी में लाया गया है इस लिये इसकी हमें बिलकुल जानकारी नहीं है। इसलिये सबसे पहले तो इसका विरोध करूंगा कि जितने विधेयक आते हैं अंग्रेजी में आते हैं। हम शिड्यूल्ड कास्ट्स, के लोग और जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें इन सारी बातों से वंचित रहना पड़ता है, हम अपनी तरफ से उस पर कोई राय नहीं दे सकते। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह हमारी सबसे बड़ी शिकायत है कि इस तरह का बिल अंग्रेजी में ला कर हमें जानकारी नहीं देना और बिल को पास कर देना, यह हमारे साथ गवर्नमेंट की बड़ी भारी ज्यादती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कई बार गवर्नमेंट को आगाह किया है, आदेश दिये हैं कि बिल हिन्दी में आने चाहिये पर फिर भी बिल अंग्रेजी में आते हैं, जितने राजपत्र आते हैं वे सब अंग्रेजी में आते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह हिन्दी राज्य है जहां हिन्दी ज्यादा बोली जाती है, और हम शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स वालों को साथ लेकर चलते हैं तो यहां विदेशी भाषा के प्रयोग का क्या कारण है ? मैं तो यही समझूंगा कि हमें हमारे अधिकारों से वंचित रखने की सरकार की इसके पीछे नीति है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आयन्दा ज्यादा से ज्यादा कार्य हमारे यहां का हिन्दी में हो। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय आपस में हिन्दी में बात करते हैं, घर में भी हिन्दी में बात करते हैं पर यहां हमारे दुर्भाग्य से अंग्रेजी को महत्व देते हैं, अपने फायदे के लिये, इन्होंने जो हमें कुचलने की पुरानी प्रथाएं डाल रखी हैं, हमको नीचे ही रखना चाहते हैं, हमें ऊंचा उठाने की बात को पसंद नहीं करते, महत्व नहीं देते, और अंग्रेजी को महत्व देते हैं। आखिर हमें तो जो कुछ यहां पर हो, वह मालूम होना चाहिये। हम विधान सभा में आते हैं, जिस जनता का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उस जनता के सम्बन्ध की कोई बात ही जब नहीं समझ सकेंगे तो यहां आने का कोई फायदा नहीं। आखिर हम यहां पर कुर्सियों पर ही बैठने के लिये या मुंह देखने के लिये नहीं आये है, हम यहां आये है अपने अधिकार बताने के लिये, हम भी गरीब पिछड़ी जनता से कहेंगे कि क्या क्या दिक्कतें हमें आती हैं। कानून गरीबों के लिये बनाये जाते है, अमीरों के लिये इस तरह के नहीं, और जिन गरीबों के लिये कानून बनाये जाते हैं उनको उन कानूनों के

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

सम्बन्ध में कुछ जानकारी ही नहीं मिले, कुछ समझ में ही नहीं आये, कुछ पता ही नहीं चले, तो क्या फायदा ? तो मैं अर्ज करूंगा कि यहां कार्य हिन्दी में हों ताकि हम समझ सकें।

यह जो बिल लाया गया है, ज्यादातर पिछड़ी जातियों को, (बैकवर्ड क्लासेज) जो सदियों से इस तरह के जुल्म बर्दाश्त करती आ रही हैं, उन पर ही ज्यादा असर रखता है। मैं निवेदन करूंगा कि आजादी लाने में जिनका पहला हाथ था, जिन्होंने आजादी में सबसे ज्यादा भाग लिया था उन पर इस प्रकार के अत्याचार करना और जिन झोंपड़ियों में ये लोग रह रहे हैं, जिन जमीनों पर ये लोग रह रहे हैं, वहां से इन्हें हटाना, इनके साथ बड़ा अन्याय है। उनको हटा कर उन गरीबों के स्थानों पर अपने लोगों के महल बनाना चाहते हैं। जातिवाद और पार्टीवाद में आकर आप अपने लोगों को बसाना चाहते हैं पहले से ही इन लोगों पर आप अन्याय करते आये हैं, वही अन्याय इन लोगों पर चलाने की आज आपकी सरकार की मंशा है। इस अन्याय करने की मंशा या नीति की तरफ आपको देखना चाहिये। यह आपकी नीति अच्छी है या बुरी है, इसमें अधिक न जाकर मैं यही कहूँगा कि आप ऐसी नीति रखेंगे तो यह देश कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। हम लोगों को साथ नही लिया तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इन लोगों की हमेशा से यह नीति रही है कि हमें हमेशा इसी गिरी हुई दशा में बनाये रखें। १५ साल से कांग्रेस पार्टी पुकारती आई है कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स को ज्यादा से ज्यादा ऊंचा उठाने का यत्न करेंगे पर अभी तक तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप पहले राजाओं की बुराई करते थे, राजा खराब काम करते थे उनको हटा दिया पर आपने १५ वर्षों में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये क्या किया ? आपमें से कोई भी बड़े से बड़ा मन्त्री क्या उठ कर बता सकता है कि १५ वर्षों में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये यह काम किया ? संविधान के अन्दर इनके लिये जो प्रावधान रखे हैं उनको पूरा किया है ? शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये संविधान में सहायता देने के प्रावधान हैं, उनमें से कौनसे आपने पूरे किये हैं ? मन्त्री महोदय जो इस बहस का उत्तर दें, वे कम से कम इस बात का स्पष्टीकरण कर दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। यह पिछड़े वर्ग के लोगों पर हावी होता है। यदि इसे सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजें तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पर यह लागू होता है, जिनके पास झोंपड़ी भी रहने को नहीं हैं, उनके लिये इसमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उन पर इसका असर बुरा न हो।

साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसा यह बिल मंत्री महोदय लाये हैं इससे जाहिर होता है कि सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। इससे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को नुकसान हो सकता है, यह आपकी बहुत खराब मंशा है। इसलिये शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के सभी माननीय सदस्यों से कहूँगा कि वह दिन दूर नहीं है, ये लोग केवल आपसे फायदा उठाना चाहते हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली हैं, भाई भतीजावाद के आधार पर काम कर रहे हैं,

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

वे थोड़े ही दिनों में आपको कह देंगे कि हमने आपको ऊंचा उठा दिया। आज तक एक भी चीज आप लोगों के लिये नहीं की है कि जिसके लिये ये खड़े हो कर यहां आपको कह सकें कि आपके भले के लिये यह अच्छा काम किया है। पर वह दिन दूर नहीं जब ये आपको कह देंगे कि बस हमने आपको ऊंचा उठा दिया। और फिर आपकी पीढ़ियां आपको दोष देंगी कि आप लोगों ने विधान सभा में रह कर कुछ भी नहीं किया। आप यहां हमेशा नहीं रह सकेंगे, आपने यदि इस समय नहीं सोचा, अपने अधिकार इनसे नहीं मांगे तो जिन पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रतिनिधि बन कर आप आये हैं, उनके सामने आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। और भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे।

डाक्टर अम्बेडकर को जब कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला तो उन्होंने लड़कर आपके लिये अधिकार लिये, गांधीजी ने आपको अधिकार दिये, क्योंकि वे आपकी समस्याओं को जानते थे, वे जानते थे कि आप कितने सुखी हैं कितने दुखी हैं ? इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी अपने इन पिछड़े हुए वर्गों के लिये लड़ें। संविधान में जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये जो जो प्रावधान हैं उनको ये पूरा नहीं कर सकते, और आप कुछ नहीं करते, तो क्या आप लोगों को उन गरीब और पिछड़े हुए लोगों ने इसी लिये अपना प्रतिनिधि बनाया था जिनके पास न आज खाने को अनाज है और न रहने को मकान ?

मैं यह नहीं कहता कि पार्टी से बगावत कर दो, पर कम से कम अपने अधिकारों को तो मांगो ताकि इतिहास बताये कि जब हमें टाइम मिला तो हमने आवाज उठाई, अपने अधिकारों के लिये आवाज उठाई। वरना आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं कहेंगी कि हमारे नेताओं ने हमारे लिये अच्छा काम किया है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस बिल में यह प्रावधान है कि जितनी भूमि में झोंपड़ियां हैं, जितनी गवर्नमेंट की जमीन है उस पर से इन लोगों को हटा दिया जाय, इन लोगों के अधिकारों को छीन लिया जाय और इस गरज से छीनने का इरादा है कि उन जमीनों पर इनके लोगों के महल बनें, जैसे जयपुर में बड़ी बड़ी बस्तियां बसाई हैं। उन बस्तियों में पहले गरीब लोग, पिछड़े वर्गों के लोग रहते थे उनको वहां से हटा कर अपने भाई भतीजों के लिये मकान बना दिये। अब भी इनकी यही नीति है, अब भी गरीब लोगों को वहां से उठा कर फैंकने का सरकार का इरादा है। इसी मंशा से यह बिल लाया जा रहा है। मैं बार बार इस बिल का विरोध करता हूँ कि यह बिल इस सदन में पास नहीं होना चाहिये। कानून ने आपको अधिकार दिया है, आपको पूरे अधिकार हैं। यह लोग अपनी जाति, कुटुम्ब और कबीले वालों को बसा सकते हैं। गरीबों को हटा सकते हैं। इन पर कोई रोक नहीं है। जयपुर में गरीबों की झोंपड़ियों को हटा कर अपने लोगों के महल बना सकते हैं, ऐसे उदाहरणों की मेरे पास कमी नहीं है।

दिल्ली रोड पर कुछ शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग रहते थे। सीमित जगह में रहते थे और बार बार सरकार से मांग करते रहे कि हमें रहने के लिये जगह दो। जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो झोंपड़ियां बना लीं। ये जितने बड़े बड़े गवर्नमेंट के हुक्काम हैं, मन्त्री महोदयों

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

को पता चला तो उनके भाई भतीजे वहां गये, उनको हटा दिया और अपने महल बना लिये। इन गरीबों के लिये क्यों नहीं आपके दिल में रहम आता? इसलिये मैं इस बिल का बड़े जोरों से विरोध करूंगा।

एक निवेदन मैं यह भी करूंगा कि जैसा मुख्य मंत्री जी बार बार कहते हैं कि मैं १५ साल से जनता की सेवा करता आ रहा हूँ। मैं मुख्य मंत्रीजी को चुनौती देता हूँ। वे मुख्य मंत्रीजी जो १५ साल से जनता की सेवा करते आ रहे हैं, यह तो बता दें कि अब तक शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, जो १२॥ परसेन्ट आपने प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान रखा है सर्विस में, तो आप कितने प्रतिनिधि ला पाये? एक परसेन्ट या दो परसेन्ट को भी सर्विस में लगाया? आपने तो उनको फोर्थ क्लास बना रखा है। यही स्थिति उनकी पहले भी थी, पहले भी चपरासी थे और आज भी चपरासी हैं। क्या किया है आपने? यह सरकार × × × × × × है। उस जाति के लिए कुछ नहीं कर सकी जो सदियां से पिछड़ी हुई है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : कई लगाये हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : यह हमारी बिल्ली और हम से ही म्याऊं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : भीखाभाई भूल जाते हैं। इस कुर्सी पर अपनी योग्यता से आकर बैठ गये या हमने बिठाया। हमारे लोगों की ओर से अधिकार दिया है। फिर आप इस तरह की बात करते हैं। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आपको रहने के लिए बंगला मिल गया है, चढ़ने के लिए मोटर मिल गई है इसलिए आपको क्या? जनता मरे तो मरे।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मुझे पांच मिनिट का समय और दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिल से काफी हट कर बोल रहे हैं। काफी छूट दी है आपको।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : माननीय सदस्य ने अभी कहा कि "× × × ×"

ये शब्द बड़े ऑब्जेक्शनेबल हैं, इनको निकाल दिया जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह कोई खराब शब्द नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह सब हटा दिया जायेगा। अनुचित शब्द है वह हटा दिया जायेगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मेरे मुंह से यह शब्द निकल गया। आपने निकाल दिया। ठीक है। लेकिन मैं इन माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन लोगों के साथ बैठ कर इन लोगों के साथ फातिया लगाने लग गये। ये लोग तो अपना उल्लू सीधा करने के सिवाय कुछ नहीं करेंगे। अपने स्वार्थ

× × × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

के सामने इनके पास कुछ नहीं है । कम से कम आप अपने पीछे की तरफ तो देखो ।

श्री जेठमल बरवड़ : हम देख रहे हैं । आप सरकार की बदौलत पहुंच गये हो ।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : आपकी पार्टी में लोग....

(शोरगुल)

(मेजों का थपथपाया जाना)

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह हमारी कमजोरी है कि हम उनका साथ दे रहे हैं । ये लोग हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी हम उनका साथ देते हैं। एक व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कह रहा है, कितनी कमजोरियां हैं, फिर भी आप उनका साथ दे रहे हैं । आप लोगों को कम से कम भविष्य का तो खयाल रखना चाहिये । आपको शर्म आनी चाहिये । सोचना चाहिये ।

श्री जेठमल बरवड़ : आपको ख्याल होना चाहिये ।

श्री रावतराम : आपको शर्म आनी चाहिये । आपकी स्वतंत्र पार्टी में क्या है ?

(शोरगुल)

श्री जयनारायण सालोदिया : चापलूस कब से हो गये ? बैठ जाओ ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जल्दी समाप्त करें ।

श्री जयनारायण सालोदिया : स्वतंत्र पार्टी तो लाख दर्जे तुम्हारे से अच्छी पार्टी है । सारे बेईमान उस तरह के लोग थोड़े ही है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । बहुत गलत शब्द प्रयोग कर रहे हैं ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं पांच मिनिट लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य काफी बोल चुके हैं । काफी समय दिया गया है ।

माननीय मंत्री महोदय !

श्री डूंगाराम : थोड़ा समय दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : काफी टाइम दे दिया है । कृपया आप स्थान ग्रहण कर लें मंत्री महोदय ।

श्री परसराम मदेरणा (उप मंत्री-सामान्य प्रशासन) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पब्लिक प्रेमीसेज इविक्शन आफ अनअथोराइज्ड ऑक्यूपेन्ट्स बिल, १९६४ को लेकर माननीय सदस्यों ने रोष भरी और भावनापूर्ण तकरीरें इस सदन में की हैं उन्होंने बहुत सी बातें कहीं जो इस बिल से सम्बन्धित नहीं हैं । बल्कि ज्यादा इस बात पर वे स्ट्रेस दे रहे थे कि गरीबों के हित में यह बिल नहीं हैं । कच्ची बस्तियों में रहने वाले अनफौचुनेट लोग हैं, यह बिल उन पर लागू होगा । उन्होंने यह भी बात कही कि यह बिल जुग्गी और झोंपड़ी में रहने वाले हैं उनको इविक्ट करने के लिए यहां पर लाया गया है । इस बिल के द्वारा जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं वे इसके स्कोप में आवेंगे

(श्री परसराम मदेरणा)

और जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, इस बिल के स्कोप में जो प्रोविजन्स हैं उनसे कवरअप नहीं होंगे। बहुत सी बातें काफी रोष पूर्ण ढंग से समाजवाद और कॅपिटालिज्म का जिक्र करते हुए माननीय सदस्यों ने कहीं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक हरिजनों का गरीब इन्सानों का और कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को इक्वेट करने का सम्बन्ध है इसका जवाब अन्त में दूंगा। सबसे पहले इस बिल के जो मेन प्रोविजन्स और स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं उन पर आना चाहता हूं। यह बिल जो सदन में लाया गया है, यह राजस्थान प्रेमिसेज (रिक्वीजीशन एण्ड इविक्शन) ऑर्डिनेन्स, १९४९ के क्लॉज़ ११ को रिपील करता करता है। सैक्शन ११ को रिपील करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए रिपील करना चाहते हैं कि उस ऑर्डिनेन्स के सैक्शन ११ के नीचे समरी पावर्स कम्पिटेन्ट ऑथोरिटी को इविक्ट करने के हैं, और वह जो मशीनरी उस ऑर्डिनेनेन्स के नीचे प्रोवाइड की गई थी, वे ही पावर्स कम्पिटेन्ट ऑथोरिटी में वेस्ट करते हैं और जब पावर्स कम्पिटेन्ट ऑथोरिटी में वेस्ट करते हैं, तो काम्पिटेन्ट ऑथोरिटी इनडेफिनेट पर्सन्स आदि को इविक्ट कर सकता था आरबिट्रेरी तरीके से और जब इविक्ट कर सकता था तो हिन्दुस्तान की तीन हाइकोर्ट्स में पब्लिक प्रेमिसेज (इविक्शन) एक्ट १९५० जो सेन्ट्रल एक्ट है, उसका सैक्शन ११ हमारे सैक्शन ११ के एनोलोगस है, वर्ड बाई वर्ड है। हाईकोर्ट में लोग रिट लेकर गये। तो हाईकोर्ट ने ऐसा होल्ड किया है कि ऐसे कम्पिटेन्ट ऑथोरिटी में पावर्स वेस्ट करना वह किसी अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेन्ट को इविक्ट कर सकता है। तो वह नेचुरल जस्टिस के प्रिन्सिपिल्स के खिलाफ हैं और जब नेचुरल प्रिन्सिपिल्स ऑफ जस्टिस के खिलाफ है, तो फन्डामेन्टल राइट्स है सिटीजन्स के, उन पर कुठाराघात करता है और फन्डामेन्टल राइट्स पर कुठाराघात करता है, तो कॉन्स्टीट्यूशन के आर्टिकल १९ को ऑफेन्ड करता है और १९ को ही ऑफेन्ड नहीं करता, बल्कि प्राईवेट और पब्लिक लैंड, इविक्ट करने में डिस्क्रिमिनेशन है इसलिए इस कारण ऐसा हो सकता है कि यह आर्टिकल १४ को भी ऑफेन्ड करता है। इन दोनों मुद्दों पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया। आर्टिकल १४ को कन्ट्राबीन करने के सम्बन्ध में तीनों हाईकोर्ट एक मत नहीं हैं। किन्तु आर्टिकल १९ को जहां तक कन्ट्राबीन करने का प्रश्न है तीनों हाईकोर्ट्स एक मत हैं और तीनों हाईकोर्ट्स एक मत हैं तो कम्पिटेन्ट ऑथोरिटी के बारे मे आर्टिकल का हवाला दिया है और जब आर्टिकल का हवाला दिया है तो मैं उसका रिलेवेन्ट पोर्शन यहां पढ़ना चाहता हूं। कम्पिटेन्ट ऑथोरिटी को रिप्लेस करके स्टेट ऑफिसर को यह काम दिया जा रहा है, ज्युडिशियल प्रोसिजर प्रोवाइड किया है और जब ज्युडिशियल प्रोसिजर प्रोवाइड किया है तो इसका मतलब यह है कि ज्युडिशियल प्रोसिजर के जरिये जो लोगों के फन्डामेन्टल राइट्स हैं, उनको हीयर करने के लिए उनको मौका दिया जाय। जो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिये उसको प्रोवाइड किया है। वह अपॉर्चुनिटी दी गई है। इसलिए जो वाइसेज ऑर्डिनेन्स के सैक्शन ११ में थे, उनको कवर-अप करके यह बिल लाया गया है। कम्पिटेन्ट ऑथोरिटी के बारे में पंजाब हाईकोर्ट ने जो जजमेन्ट दिया है उसका रिलेवेन्ट- पोर्शन मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :—

(श्री परसराम मदेरणा)

(१.०० म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह मसूदा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

"The view that since Competent Authority is of importance in the matters of orders to quit and fixing of damages, the Government Premises (Eviction) Act is unreasonable in leaving it open to the Government to choose anybody for appointment as Competent Authority whether in fact he possesses the necessary qualification or not for determining the question of title likely to be involved in such orders, is not correct. The powers given to the Competent Authority under the Government Premises (Eviction) Act are so wide and capable of abuse and the protections provided by the Act are so inadequate, that the provisions of the Act as a whole amount to interference with the fundamental right of a citizen under Article 19 (1) (f) of the Constitution of India which is not saved by clause (5) of that Article. The only right given to any person affected by an order of the Competent Authority is under Section 5 by way of appeal to the Central Government which means an officer appointed by the Central Government and the protection afforded by this so called appeal is almost illusory. The section gives no right to the person affected to be heard by the appellate authority. Besides, there is no provision under Sections 3 and 4 for the issuing of any preliminary notice to show cause and the legislature has expressly taken away the powers of civil courts to entertain any actions challenging any orders passed under the Act or to issue any injunctions."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि कम्पीटेन्ट ऑथोरिटी को आरबिट्रेरी पॉवर्स थे। न तो नोटिस देते थे और न पार्टी को सुनते थे बल्कि सीधे ही अन-ऑथोराइज्ड ऑक्यूपेन्टस को इविक्ट कर सकते थे। अब पूरा जुडिशियल प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है। जो डिफेक्टस हाई कोर्ट्स के जजमेंट में बताये गये हैं उसी को दूर करने के लिये यह बिल लाया गया है। इस बिल के लाने की आवश्यकता क्यों हुई? वह मैं सदन को बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट के प्रेमिसेज जिनको पब्लिक प्रेमिसेज कहते हैं, उसको किसी तरह से किन्हीं व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया है और अन-ऑथोराइज्ड तरीके से उस पर बैठे हैं उसकी वजह से जो भी सिटीज की डवेलपमेंट स्कीम है, रोड्स आदि बनाने का मामला है, सिटीज का मास्टर प्लान है, उसके अनुसार सिटी को डवेलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार से बाधायें उपस्थित होती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा मालूम होता है यह जो प्रोब्लम है इसने इस नेचर का ऐटीट्यूड हासिल कर लिया है कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग पब्लिक प्रेमिसेज में जाकर बैठे हैं। गवर्नमेंट के पास पॉवर्स नहीं जिससे वह जमीन उनसे खाली करा सके। वे भी बहुत थोड़े आदमी हों, ऐसी बात नहीं है। लार्ज स्केल पर स्क्वेटर्स हैं। जब तक गवर्नमेंट के पास में पॉवर्स न हों,

(श्री परसराम मदेरणा)

तब तक उनसे वह प्रेमिसेज खाली नहीं करवा सकते। और जो ऑर्डिनरी प्रोसीजर हैं उसके अनुसार तो खाली कराने में बहुत लम्बा समय लग जाता है। अगर उसके अनुसार चलते हैं, तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, वे हैल्ड अप होजाती हैं। और जो सिटी का डवेलपमेंट प्लान्ड तरीके से करना चाहते हैं, वह अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिये यह बिल सदन के सामने लाया गया है। यह स्टैगरिंग प्रोब्लम है या नहीं इस बारे में, मैं आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूँ। आप यदि इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कि यह प्रोब्लम किस प्रकार से विकट बनती जा रही है। जयपुर के अन्दर ही म्युनिसिपल और ट्रस्ट की जमीन पर तीन हजार से ऊपर अन-ऑथोराइज्ड ऑक्यूपेन्ट्स बैठे हुए हैं।

हनुमागढ़ में म्युनिसिपल लैंड पर ७०० अन-ऑथोराइज्ड ओक्यूपेन्ट्स बैठे हैं।

जोधपुर में ट्रस्ट लैंड पर १५०० स्क्वेटर्स बैठे हुए हैं।

बीकानेर में १ हजार अन-ऑथोराइज्ड ऑक्यूपेन्ट्स बैठे हुए हैं।

मालपुरा में म्युनिसिपल लैंड के ऊपर करीबन १६५० के आसपास स्क्वेटर्स बैठे हुए हैं। हिन्डौन में ४०० गंगापुर में १३०० के आसपास।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये यह गवर्नमेंट के लिये अवश्यक होगया है कि गवर्नमेंट के पास इस प्रकार के पॉवर्स होने चाहिये जिनके जरिये स्क्वेटर्स को सरकारी प्रेमिसेज से इविक्ट कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब यह प्रश्न आता है कि हमने जो इस बिल के अन्दर प्रोसीजर रखा है, उसमें समरी तौर पर नेचुरल जस्टिस मीट करने के लिये जुडिशियल प्रोसीजर होना चाहिये उसका इसमें प्रावधान किया गया है, वह इस प्रकार का है। सब से पहले इविक्शन ऑफिसर, उस जमीन को खाली कराने के लिये, जिसके बारे में मालूम हो जाय, कि यह गवर्नमेंट लैन्ड है, और इस पर अन ऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बैठे हुए हैं, सब से पहले नोटिस देगा और उस नोटिस में ग्राउन्ड को स्पेसिफाई करेगा वह गवर्नमेंट लेन्ड किस प्रकार से है। उसके बाद पार्टी को सुनेगा, एवीडेन्स लेगा, उसके बाद में पर्सनल हीअरिंग की अपोर्चुनिटी देगा उसके बाद में वह इविक्शन के ऑर्डर करेगा और रीजन्स देगा। उन रीजन्स में एग्रीव्ड पार्टी यह फील करती है, कि यह ठीक नहीं हुआ। उस ऑर्डर में वह ३० दिन का समय देगा। उस अन-ऑथोराइज्ड पब्लिक प्रेमिसेज को खाली कराने के लिये उसके बाद भी अगर वह नहीं करता है तो इविक्ट करेगा। जब तक इस ऑर्डर का एक्वीजीशन हो, अपील का प्रावधान रखा गया है। वह भी डिस्ट्रिक्ट जज के पास रखा गया है। इविक्शन करने से पहले वह स्टे ऑर्डर दे सकता है। इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, जब स्टेट ऑफिसर रिजिडली इविक्शन के बाद इविक्ट करा सकता था। इस बिल के तीन स्ट्राइकिंग फीचर्स है। एक तो जो डेफीसिएन्सी ११ में थी उसको कवर अप कर दिया गया। दूसरा इसमें जुडिशियल प्रोसीजर रखा है।

(श्री परसराम मदेरणा)

तीसरा इसमें अपील का प्रावधान रखा है। इसके बाद में, मैं ऐसा समझता हूँ, हमने जो प्रोसीजर प्रोवाइड किया है वह जस्टिस मीट करता है। आरबीट्रेरी तरीके से, इविक्ट किसी को नहीं करना चाहते यह डिफीकल्टी गवर्नमेंट प्रेमिसेज़ के बारे में है।

कल मोरेलिटी की भी बात कही गई। लेकिन क्या मोरेलिटी के लिये दो प्रकार के स्टेन्डर्ड आप एप्लाई करना चाहते हैं? ऑर्डिनरी लॉ में छूट है। प्राइवेट आदमी की जमीन पर कोई ट्रैस पास करता है, स्केवटर बैठता है ऑर्डिनरी लॉ के कोर्स के अन्दर, उसका खाली करवाया जा सकता है, तो इस प्रकार का प्रोवीजन गवर्नमेन्ट लैन्ड के बारे में क्यों न हो? यह गवर्नमेन्ट की रेस्पोन्सिबिलिटी है, कि जो भी पब्लिक प्रेमिसेज़ हैं, चूंकि सरकार पब्लिक के प्रति रेस्पोंसिबिल है, इस प्रकार से सिटी के डवेलपमेन्ट के लिये, मास्टर प्लान आदि कहीं पर इन्फ्रिंज होता है, सेनीटरी कन्डीशन्स आदि जहां प्रोवाइड करनी हों, उसको मीट आउट करने के लिये, राज्य सरकार को इस प्रकार की पावर्स दी जानी चाहिये। ताकि राज्य सरकार जुडिसियल प्रोसीजर को इवोल्वकरके अनऑथोराइज्ड लोगों को गवर्नमेन्ट बिल्डिंग्स से हटा सके।

कल जो सदन में बहस हुई, उस बहस के दौरान बहुत से सदस्यों ने कुछ लीगल पॉइन्ट्स रेज किये थे। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि कितने साल पुराने लोगों को ट्रैस पासर्स मानेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर यह है कि इण्डियन लिमिटेशन्स एक्ट, ६३ में आर्टिकल १४२ में गवर्नमेन्ट जमीन के लिये ३० साल का हवाला है। और वे सब ट्रैस पासर्स हैं, जिन्होंने लॉ के अन्दर में टाइटिल हासिल नहीं किया है, और तीस साल के पीरियड से वहां बैठे हुए हैं। तो जो उसमें बताया गया है, वे सब इस बिल के जरिये इविक्ट करने के मुश्तहक हैं।

आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कि एडवर्स पजेसन में, प्राइवेट लैंड और गवर्नमेन्ट लैंड दोनों में, एक ही प्रकार का पीरियड होना चाहिये। मैं निवेदन कर दूं कि जो लिमिटेशन्स एक्ट है, वह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का है। हमने अलग से अडोप्ट नहीं किया है। इसमें इस बात का प्रावधान है कि प्राइवेट आदमी को टाइटिल १२ साल के बाद में हासिल होता है, और गवर्नमेन्ट लैंड पर तीस साल के बाद हासिल होता है। तो हम इसमें तरमीन नहीं कर सकते। जो एनोमली है या डिस्क्रिमिनेशन है, तो यह सब सेन्ट्रल एक्ट के जरिये है। हम इसकी कोई रिमेडी करने में मजबूर हैं।

आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि सेकण्ड अपील का प्रोवीजन भी होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। अगर सेकण्ड अपील का प्रोवीजन रखेंगे, तो हाई कोर्ट में जावेगा मामला, और इसमें लम्बा समय लग जावेगा। हां, एक बात है अगर कोई अपने को डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के बाद भी इतना एग्रीव्ड फील करता है, तो निश्चित तौर से उसके सामने प्रोसीडिंग्स हैं कॉन्स्टी-

(श्री परसराम मदेरणा)

ट्यूशन के ऑर्टिकल्स २२६ और २२७ में। यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिमेडी है।

इसके बाद में आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने यह और कहा कि इसको नान इन्डस्ट्रियल एरिया में एक्सटेन्ड कर देना चाहिये। यह सब तरह की सरकारी जमीनों के लिये है, वह चाहे फोरेस्ट में हो, चाहे पी० डब्ल्यू० डी० में हो, म्यूनिसिपल एरिया या अर्बन इम्प्रूवमेन्ट की हो, ये सब प्रकार की गवर्नमेन्ट लैंड या बिल्डिंग्स पब्लिक प्रेमिसेज कहलाती हैं, उन सब पर यह लागू है। सिवाय पंचायतों की जमीनों के। यह हमने इसलिये इसमें शामिल नहीं किया कि इनमें कोई ऐसा प्रोब्लम नहीं है, और दूसरे, अगर इन पंचायतों को जमीनें भी इसमें ले लेते हैं, तो यह इतना बड़ा काम बढ़ जाता है कि बहुत से एस्टेट ऑफीसर, हमें गांवों में मुकर्रर करने होंगे। फिर राज्य सरकार के पास में न ये स्टेटिस्टिक्स हैं न शिकायत है। म्यूनिसिपैलिटी और ट्रस्ट की जमीनों पर हमने इसको एक्सटेन्ड किया है। उनके इस बारे में, काफी प्रोब्लम्स थे तो उनको सोल्व करने के लिये यह किया है। थोड़े दिन पहले यू० आई० बी० के चैयरमैनों की बैठक हुई थी जिसका हवाला भी यहां दिया गया। उनकी यह राय थी कि बहुत से स्क्वेटर्स बैठे हैं और उनको बेदखल करने का प्रोवीजन उनके कानून में नहीं है। हालांकि म्यूनिसिपल एक्ट में २०३ के नीचे उनके पॉवर दिये जा सकते हैं, पर वह स्कीमों के बारे में है। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट में ऐसा प्रोवीजन नहीं है पर इन प्रोविजन्स के अन्तर्गत भी म्यूनिसिपैलिटी को भी इविक्ट कराने में काफी डिफिकल्टी महसूस होती है, और म्यूनिसिपैलिटियों की भी यह राय थी कि इसके लिये समरी प्रोसीजर होना चाहिये। दूसरी उनके सामने यह भी समस्या होती थी, कि वे इस तरह के ड्रास्टिक एक्शन लेने में घबराते हैं क्योंकि उनको इलेक्टोरेट का डर रहता है। तो उनकी सब की यह राय थी कि एक इन्डिपेन्डेन्ट मशीनरी के जरिये इनको हटाया जाना चाहिये ताकि उन पर बोझा न पड़े। इसलिये इस कानून को ट्रस्ट और नगरपालिकाओं तक एक्सटेन्ड किया है।

बैर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पचास साल से जो बसे हैं, उनको संरक्षण मिलना चाहिये। तो जैसा मैंने निवेदन किया कि तीस साल का प्रोवीजन है, तो उससे ऊपर के लोग इस बिल के परव्यू में नहीं आवेंगे। और तीस साल से नीचे के लोग जो बिना परमीशन के बैठे हैं, सिर्फ यह बिल उन पर ही लागू होगा।

नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सैक्शन १५ के लिये ज्यादतियां की हैं, उसे संरक्षण देना चाहते हैं। इस १५ के नीचे जो प्रोवीजन रक्खा है, तो कोई भी एस्टेट ऑफीसर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड फेथ में कार्यवाही करता है तो उसको प्रोटेक्शन देना जरूरी है। इस प्रकार का प्रोवीजन दूसरे इनेक्टमेन्टों में भी है।

उन्होंने यह भी कहा कि क्वान्टम ऑफ फोर्स कितना यूज करेंगे। यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को इविक्ट करना चाहते हैं तो आप उसका सिर फोड़ देंगे, बाल बच्चों को फेंक देंगे। तो जो क्रिमिनल ला में दिया हुआ प्रोसीजर है, उसके अनुसार डिफेन्स के

(श्री परसराम मदेरणा)

लिये उतना ही फोर्स यूज कर सकते हैं जितना जरूरी है। अब औब्जेक्टिव कन्डीशन्स होती हैं, लॉ आर्डर मेन्टेन करने की आवश्यकता है, तो किस तरह का फोर्स यूज किया जावेगा, वह पुलिस या जिस किसी की हैल्प लेना चाहते हैं, वह मौके पर देखकर कर सकते हैं, जैसे राइट्स होते हैं, तो मजिस्ट्रेट को मदद लेते हैं, और पुलिस उस मौके पर आवश्यक कार्यवाही जैसा ठीक समझती है, हालत को देखते हुए वैसी कार्यवाही इस तरह के केसेज़ होंगे कहीं, तो वहां की जावेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत से मुद्दे उठाये। एक यह भी था कि ऐतराज करने वाला व्यक्ति कौन हो? अगर एक डिपार्टमेन्ट ने किसी को बिठा दिया है तो दूसरा डिपार्टमेंट उसे अन-ऑथोराइज्ड मानेगा। तो इसके लिये ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी के अन्दर जिस प्रकार की ग्रान्टी लीज, या दूसरा सेल डीड वगैरह में जिसका इस प्रकार राइट एक्र हो गया है उसकी वजह से एतराज समझा जावेगा जब तक एडवर्स पजेशन टाइटिल नहीं हो गया है। इसलिये अगर उसको रेन्ट में या ग्रान्ट में या फ्री ग्रान्ट दी है या लीज पर बैठा है तो क्या पीरियड है ? कितने समय के लिये एन्टाइटल्ड है? पीरियड एक्सपायर हो गया है तो अन-ऑथोराइज्ड माना जावेगा और कहीं स्टेट ऑफिसर की डेफीनेशन गलत मालूम होती है, यह भी कहा गया। जायदाद का मालिक है, वह ऐसा लगता है। तो यह डेफीनेशन सरकार अपनी कन्वीनीयेन्स के लिये करती है। इसके लिये पी. डब्ल्यू. डी. का रेन्ट उसकी जमीनों का प्रोपरटी का वसूल करने का प्रावधान है जैसा मुख्तलिफ सूबों में है। उसका काम सरकार की प्रोपरटी की देखभाल करना है।

उन्होंने एक बात और भी कही कि डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी जो पब्लिक प्रोपर्टी में इविक्शन के बाद में पड़ी रहेगी, ये लिस्टें बननी चाहिये। इविक्शन के ऑर्डर उस फार्म में तामील करेगा जिस फार्म में तामील कराई गई है। फोर्सिबिली कराई गई है तो उसका हवाला देगा। सिविल कोर्ट में भी जिसको मुकर्रर करते हैं, उसके लिये वह किस तरह से क्या करेगा। यह नेचुरली प्रिज्यूम करके चलेगा कि कोई भी व्यक्ति प्रोपर्टी को छोड़कर चला गया है तो उसकी लिस्ट बनेगी और फिर उनका ऑक्शन जिस तरह से होता है होगा। यह भी प्रोविजन है कि १४ दिन तक इविक्ट होने के बाद उसका इन्तजार करेंगे। फिर भी व्यक्ति अपनी प्रोपर्टी नहीं उठाता है, तो फिर उन अखबारों के अन्दर उस प्रोपर्टी को शाया करेंगे, जो अखबार उस लोकलिटी में ज्यादा सर्कुलेट होगा। तो यह सब बातें लाते हैं, ताकि हैवी हैण्डेडनैस या हैरेसमेंट ट्रेस पासर्स को न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद में गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह कानून प्रिविलेज्ड क्लॉस पर नहीं लागू होगा और निश्चित रूप से झुग्गी-झौंपड़ियों वालों के ऊपर लागू होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कानून आज है, उसमें हम किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड क्लॉस का करने नहीं जा रहे हैं। यह कानून उन लोगों पर लागू होगा कि जो अन-ऑथोराइज्ड

(श्री परसराम मदेरणा)

ऑक्यूपेन्ट्स हैं। चाहे वह बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा हो, चाहे मिल का मालिक हो, या मजदूर हो, या ऑफिसर हो, आई० पी० एस० हो या आई० ए० एस० हो, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा कोई भी हो, कानून में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और जो भी अन-ऑथोराइज्ड आक्यूपेन्ट होगा उसी पर यह लागू होगा। मिसाल के तौर पर उपाध्यक्ष महोदय, कल जिस समय जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एल०एस०जी० मिनिस्टर साहब के एश्योरेंस के बारे में एक मुद्दा यहां उठाया था और उस एश्योरेन्स को रिपीट करते हुए कहा था कि जो भी एश्योरेन्स कच्ची बस्तियों में रहने वालों के लिए दिया गया है, उसका पालन किया जायेगा। उनके कहने का मतलब यह था कि जो एश्योरेन्स दिया था और इस बिल की बॉडी में अगर उसकी स्प्रिट शामिल नहीं है, तो उस एश्योरेन्स को स्प्रिट से लागू किया जायेगा। तो उसका मतलब यह है, कि जिनको यह प्रोटेक्शन देने जा रहे हैं वह भी इस कानून के अनुसार फिर भी प्रिविलेज्ड समझे जायेंगे। क्योंकि इस मामले में ह्यूमन कन्सीडरेशन को ध्यान में रख कर इस बिल के प्रोविजन को या तो रिज़िडली एप्लाई किया जाये या फिर ह्यूमन कन्सीडरेशन से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमेशा ह्यूमन कन्सीडरेशन को तरजीह दी जायेगी और उसके साथ ही साथ जहां भी इस तरह के फ्रेग्मेन्ट तरीके से पज़ेशन लोगों ने अन-ऑथोराइज्ड तरीके से कर लिया है उनको भी हटाने के लिए सरकार निश्चित रूप से कदम उठायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस कानून की जो इच्छा है वह आई.सी.एस. और आई.पी.एस. और आर. ए. एस. ऑफिसर्स के लाने की है, और जैसे गवर्नमेंट की कोई इस बिल को लाने की इच्छा नहीं है। मैं उनके भ्रम को दूर करना चाहता हूँ। वह इस समय सदन में नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन को इत्तला करना चाहता हूं कि यह जो बिल लाया गया है, सरकार ऐसा महसूस करती है कि इस बिल का उद्देश्य मोस्ट साउण्ड है और यह ठीक समय पर लाया गया है। अगर इस बिल को नहीं लाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट लैंड पर अन-ऑथोराइज्ड आकुपेशन होता चला जायेगा और यह प्रोब्लम बाद में जाकर इतनी मेग्नीट्यूड हो जायेगी कि उसके बाद में हल निकलना मुश्किल हो जायेगा और जो पहले ऑर्डिनेन्स के सैक्शन ११ के तहत पावर्स थीं, क्योंकि हाईकोर्ट ने उसको अल्ट्रॉवायर्स डिक्लेयर कर दिया है इसलिए यह जरूरी है कि अन-ऑथोराइज्ड आकुपेशन जो कि पब्लिक प्रेमिसेज में बैठे हैं, उस जमीन को उनसे लिया जाये।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रश्न पर आना चाहता हूं जिस प्रश्न को लेकर माननीय सदस्यों ने यहां काफी इमोशनल स्पीचेज़ दीं, और सरकार पर यह आरोप लगाया कि यह सरकार कैपिटलिस्ट्स की पोषक है, और यह समाजवाद के प्रतिकूल है और उसके विपरीत है और यह कानून जो लाया जा रहा है इससे गरीबों का गला कट जायेगा, और यह भी कहा गया कि इस बिल को लाकर जो हरिजन और

(श्री परसराम मदेरणा)

शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग और अनफारचुनेट गरीब लोग हैं, उनको खास तौर से बेदखल करने के लिए यह बिल लाया गया है। मैं ऐसा मानता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि इविक्शन का जो हम बिल लाये हैं इसको और हरिज़न और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों का जो मामला है और उनका जो प्रोब्लम है, या जो मसला है, उसके साथ में मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। यह दो अलग अलग बातें हैं क्योंकि हमारी राज्य सरकार गरीबों की डिफिकल्टीज़ को भली भांति जानती है और वह इसलिए कि हरिज़नों के वैल्फेयर के लिए, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के वैल्फेयर के लिए हमेशा प्लान के अन्दर प्रोवीज़न रहता है और हमने हजारों मकान उनके बनाये हैं, बहुत प्रकार की ऐड उनको दी है, हॉस्पीटल चल रहे हैं, सर्विसेज में उनका हमने रिज़र्वेशन रखा है। यह सब बातें जो जरूरी हैं, वह हम उनको दे रहे हैं। हम ऐसा महसूस करते हैं, कि समाज का जो बैकवर्ड तबका है, वह दूसरे उठे हुए तबकों के साथ आना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, ट्रस्ट जहां कहीं भी जमीन अलॉट करते हैं, आप यह कहेंगे कि छोटी इनकम वाले या जो दूसरे लोग हैं, वह इस बिल में आयेंगे, तो मैं निवेदन करूंगा कि अभी जो ट्रस्ट्स के चेयरमैनों की मीटिंग हुई थी उसमें दो प्रकार के फैसले लिए गए। एक तो फैसला यह लिया गया कि पहले इस प्रकार का ट्रस्ट में प्रावधान था कि २५० रुपये महीने से नीचे की जिनकी इन्कम है, उन्हीं को कन्सेशनल रेट्स पर हम प्लॉट्स अलाट करेंगे, लेकिन इस मीटिंग में यह तय किया है कि जिनकी इन्कम १०० रुपये महीने में कम है उनको भी प्लॉट्स अलॉट किये जायेंगे। हमने १०० रुपये से नीचे के इन्कम वालों की एक कैटेगरी बनाई है और दूसरी कैटेगरी १०० से २०० रुपये महीने में जिनकी इन्कम है उनकी बनाई है। पहली कैटेगरी जिसमें १०० रुपये से नीचे की आमदनी के लोग आते हैं, उनके विषय में हमने यह निश्चित किया है कि उनको जमीनों पर टेनेमेन्ट्स बनाकर हायर परचेज़ के सिस्टम पर उनको हम देना चाहते है। और हायर परचेज़ के सिस्टम पर देकर २५ साल के मन्थली इन्स्टॉलमेंट के हिसाब से उनसे पैसा वसूल करेंगे और २५ साल के बाद वह उनका मकान हो जायेगा। और इस तरह की जमीन ३ रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से उनको दी जायेगी। लेकिन जो वेकेन्ट प्लॉट्स लेना चाहते हैं, उनको दो रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से जमीन दी जायेगी और इसके पैसे भी उनसे १० साल के इन्स्टॉलमेन्ट के अन्दर जमीन की कीमत के वसूल किये जायेंगे।

उसके बाद में उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस मीटिंग में यह तय किया था कि जो पहली कैटेगरी के लोग हैं जिनकी इन्कम १०० रुपये से नीचे है उन व्यक्तियों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो कि गरीब तबके के लोग हैं, जिसमें हरिज़न और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग आते हैं जो भी ट्रस्ट स्कीम बनायेगी उसमें ५० पर्सेन्ट प्लॉट्स इस प्रकार के लोगों के लिए रिजर्व किये जायेंगे। उसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह भी तय किया है कि हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत लोन के सैंक्शन के लिए जो कि कलेक्टर के

(श्री परसराम मदेरणा)

यहां होता है उसमें दो प्रकार की स्कीम हैं, एक तो प्लॉन स्कीम और एक स्कीम एल० आई० सी० से दी जाती है। दोनों प्रकार की स्कीम में लोन लेने के लिए जो पहली और दूसरी तरह की कैटेगरी है, जिनकी आमदनी १०० और २०० रुपये माहवार से कम है, उनको प्रिफरेंस दिया जायेगा। जहां तक लैंड पर जो आलरेडी लोग रह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय ट्रस्ट के चेयरमैनों की मीटिंग में जिस मीटिंग में हमारे एल० एस० जी० मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब भी उपस्थित थे, उसके अन्दर यह भी तय किया गया कि जो व्यक्ति ट्रस्ट की लैंड पर बैठे हैं, वे आज ३ प्रकार के हैं। एक तो वे जो १९५२ से पहले से वहां पर बैठे हैं, और दूसरे वे जो कि ५२ और ५७ के बीच में वहां बैठे हैं, और तीसरे वे जो कि सन् ५७ के बाद से बैठे हैं। तो जो व्यक्ति सन् १९५२ से पहले के बैठे हैं उनके सूटेबल प्लॉट्स उसी एरिया में दिये जायेंगे। और यह कैसे पता लगे कि ५२ से पहले से कोई आदमी उस जमीन पर बैठा है या बाद में बैठा है? तो उसको हम इलक्टोरल रोल्स से देख कर पता लगायेंगे। उसका नाम यदि उसके अन्दर दर्ज है तो मान लेंगे कि वह ५२ से पहले का है। उसको जमीन वहां पर ही प्रोवाइड की जायेगी। दूसरी कैटेगरी के लोग जो ५२ से ५७ के बीच में बैठे हैं, उन लोगों को भी जहां तक हो सकेगा, उसी एरिया में दिया जायेगा। अगर वहां पर जमीन नहीं है, तो दूसरी सूटेबल प्लेस के अन्दर उनको आल्टर्नेटिव प्लॉट्स दिये जायेंगे और तीसरी कैटेगरी के लोग जो बैठे हुए हैं सन् ५७ के बाद, उनको इजेक्ट किया जायेगा।....

इस प्रकार का हमने इसलिए फैसला किया कि इस फैसले की वजह से जो गरीब लोग हैं, जो अपनी बस्तियों में बैठे हुए हैं, और कोई स्कीम तैयार हुई है, तो उस स्कीम के अन्तर्गत वहां से नहीं हटाना चाहिये; और जहां तक हो सके, उसी जगह पर सेटिल किया जाना चाहिए, उनको वहां जमीन दी जानी चाहिए, ताकि आल्टरनेटिव जमीन देने में उनको वहां से इविक्ट नहीं किया जा सके। हमने यह सेफगार्ड लिया है। यह कहना कि गरीब लोगों को राजस्थान सरकार जो है इविक्ट कराने के लिए यह कानून बना रही है, मैं समझता हूँ कि वह निराधार है।

हमने उस ट्रस्ट के चेयरमैनों की मीटिंग में यह भी तय किया था कि जहां तक हरिजनों को पट्टा देने का सवाल है उनको सिर्फ नौमीनल फी एक रुपये पर पट्टा देना चाहिये। कल एक माननीय सदस्य हरिजनों के पट्टे के बारे में कह रहे थे, कि फी वसूल की जानी चाहिए और पट्टे दिये जाने चाहिए। लेकिन हरिजनों को दूसरों के मुकाबिले में प्रिफरेन्शल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए।...

श्री रावतराम (सादूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। एक रुपये की नौमीनल रेट पर पट्टा दे रहे हैं तो वह कितने वर्ग गज का पट्टा होगा?

श्री परसराम मदेरणा : १२० स्क्वायर यार्ड्स।

श्री रावतराम : १२० वर्ग गज का बताया तो क्या १२० वर्ग गज में कोई आदमी अपना मकान बना सकता है? कितने कमरे बनते हैं? रियायत पर प्लॉट देना चाहते हैं,

(श्री रावतराम)

एक हरिज़न को तो, हरिज़न कमरे भी बनायेगा रहने के लिए और पशु बांधने के लिए भी। एक छोटे से परिवार के लिए १२० वर्ग गज में बनता क्या है ? सोचिये तो सही। राजस्थान में, मैं आपको बताऊं कि यह एक रुपये में पट्टे की प्रणाली चालू करने से हरिज़नों का नुकसान हुआ है। उनको कहीं भी आज तक पट्टा नहीं दिया।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जो पी. डब्ल्यू. डी. के इन्जीनियर्स, या ट्रस्ट का इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट जो उस बॉडी के साथ में रहते हैं, उनकी ऐसी मान्यता है कि १२० स्क्वायर यार्ड्स में एक टेनामेंट अच्छा बन सकता है जिसमें एक परिवार रह सकता है। अगर इतने छोटे प्लॉट नहीं बनायें तो बहुत से कच्ची बस्तियों के रहने वाले अपनी कदीमी जगह पर रहना चाहते हैं। अगर छोटे प्लॉट नहीं बनायेंगे तो कुछ आदमियों को वैकेट करना पड़ेगा। और वह जाने को तैयार नहीं होंगे, इसलिये यह उचित समझा गया कि १२० स्क्वायर यार्ड के प्लॉट बनाकर उनको उन पर बसाया जाय तो उसी एरिया के अन्दर बहुत से लोग बस सकेंगे। यह बात ध्यान में रखते हुए यह छोटे प्लॉट्स किये गये हैं ताकि कन्सेशन रेट्स पर उनको देकर गरीबों को या हरिजनों को या शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को वहां पर बसाया जा सके जिस जगह पर कि वह रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह बात कही गई कि यह जो बिल लाया जा रहा है, यह डेमोक्रेसी को आटोक्रेसी में बदलना है और यह कानून जो लाया गया है वह गरीबों को बरबाद करने के लिए और गरीबों के सताने के लिए लाया गया है, यह गलत है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कि इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य उनके लाट को बैटर करने के लिए या उनके स्टेण्डर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए जितने इच्छुक हैं उतना ही सरकार भी इच्छुक है। जहां तक गरीबों का नाम लेकर इस बिल को ट्विस्ट किया गया है, मैं ऐसा समझता हूं कि यह ठीक बात नहीं है। क्योंकि हमने पहले ही इस बात को सोच रखा है कि जहां तक हो सके गरीब लोग उसी बस्ती में बसें, और उनको प्रोटेक्शन मिले, हर प्रकार का लोन मिले, उनको मकान बनाकर हायर पर्चेज बेसिस पर दें। यह सभी कार्यवाही चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, उसके साथ साथ यह भी कहूँगा कि कच्ची बस्ती के लोगों को हटाने का प्रश्न जब जब आया है तो हमेशा राज्य सरकार ने इस बात में तत्परता दिखाई है कि कच्ची बस्ती के लोगों को उसी जगह पर बसाने की कोशिश करेंगे, जिन बस्तियों के बारे में हम यह सोच सकते हैं कि स्कीम्स के अन्दर उतनी जगह है और वह लोग बसाये जा सकते हैं। लेकिन स्कीम के अन्दर इतनी जगह नहीं है। क्योंकि आज जिस तरीके से बैठे हैं, उस तरीके से तो नहीं रहेंगे। वहां पर रोड़ बनानी पड़ेगी। आवागमन के साधन रखना है। लाइटिंग अरेंजमेंट करना पड़ता है। थोड़ी बहुत जगह खुली रखनी पड़ती है, हाइजिनिक पॉइन्ट ऑफ व्यू से। लेकिन राज्य सरकार का यह कतई इरादा नहीं है कि गरीबों से वेकेट करायें और प्रिविलेज्ड लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाये।

(श्री परसराम मदेरणा)

उपाध्यक्ष महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात और कही थी। उन्होंने यह कहा था कि सरकारी बंगलों के अन्दर वह अफसर भी रह रहे हैं, जिनके निजी मकान हैं। उन निजी मकानों को तो किराये पर दे रखा है और नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करूं, कि राज्य सरकार ने इस प्रकार का एक क्लीयर आदेश दिया है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति अपना खुद का मकान बना लेगा, तो वह खुद का मकान बनाने के बाद, अगर राज्य सरकार के मकान में रहेगा और जिस अर्से तक रहेगा, उससे डबल दी स्टेण्डर्ड रेन्ट वसूल किया जायेगा। लेकिन एक प्रोवीजन रखा है और वह प्रोवीजन अलॉटमेंट रूल्स जो राज्य सरकार ने बना रखे हैं उनमें से दो आदमियों को खास तौर से उनके आफिस की डिग्निटी और कामों को देखते हुए चीफ सेक्रेटरी और आई० जी० पी० को हालांकि उनके मकान हैं। राज्य सरकार के आदेश के जरिये उनको इजाजत दी है कि वे सरकारी मकानों में रह सकें। बाकी काफी व्यक्तियों ने खाली कर दिये हैं। ३-४ आदमी थे उनमें से २-३ ने खाली कर दिये हैं। और एक-दो को नोटिस दिया गया है कि डबल दी स्टैण्डर्ड रेन्ट वसूल किया जायेगा। दो-तीन केसेज़ ऐसे पूरे जयपुर के अन्दर नहीं है। हमने उनको ७-८ रोज पहले फिर नोटिस दे दिया है कि जल्दी से जल्दी मकानों को खाली करें और डबल दी स्टैण्डर्ड रेन्ट पी० डब्ल्यू० डी० को पे करें।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह बात उठाई गई कि मिनिस्टर और मिनिस्टरों के दामादों ने उनके मंत्रि-मंडल में रहने की वजह से प्लॉट हांसिल कर लिये हैं। इस चीज़ को जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था। उसको जनरेलाइज करना ठीक नहीं है। मिनिस्टर भी इस देश के सिटीजन हैं। अगर अपना सिर ढकने के लिए मकान बनाते हैं तो उसमें कोई ज्यादती नहीं है। लेकिन सभी मिनिस्टरों को जनरलाइज करना कि सभी मिनिस्टर मकान बना रहे हैं, और जो कोई भी मिनिस्टर या डिप्टी-मिनिस्टर आता है, उसका काम यही रहता है कि येनकेनप्रकारेण प्लॉट हॉसिल करें, और मकान बनाये, मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं, कि जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, न मेरा शहर में मकान है और न प्लॉट है और न इच्छा रखता हूँ कि इस तरह से प्लॉट लेकर मकान बनाऊं। जनरलाइज करके सभी मिनिस्टरों के लिए इस बात का मोटिव इम्प्यूट करना, मैं समझता हूँ उचित नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपने सब का नहीं कहा। कितने मिनिस्टरों को निकालते हैं और कितनों को लेते हैं। सबके नहीं हैं यह तो आपने माना है। उन मिनिस्टरों की सूची बतलायें जिनको आप नहीं लेते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इस सदन के दूसरे माननीय सदस्य खुद एग्रीकल्चर लैंड ले लें, कोई प्लॉट ले लें, कोई लोन ले लें और अपना मकान खड़ा करें तो किसी प्रकार का रूल्स का इन्फ्रिन्जमेंट नहीं है और अगर मिनिस्टर की कैटेगरी का कोई व्यक्ति बनाता है तो निराधार आरोप लगाते हैं कि मिनि-

Page No. 63

(श्री परसराम मदेरणा)

स्टरों ने इस तरह से प्लॉट हड़प कर लिये हैं और उनकी नीति यह रहती है कि अपने रिश्तेदारों को प्लॉट देकर नाजायज फायदा वे पब्लिक आफिस में बैठकर उठा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि यह तरीका ठीक नहीं है....

श्री विजयसिंह झाला : आप इन्डाइरेक्ट भीखाभाई पर आरोप लगा रहे हैं क्या ?

श्री भीखाभाई : मेरे पास कोई प्लॉट नहीं है। यहां पर भी नहीं है, डूंगरपुर में भी नहीं है और उदयपुर में भी नहीं है। बोलिये क्या कहते हैं ?

श्री विजयसिंह झाला : यह निश्चित है कि कुछ मिनिस्टरों पर आरोप जरूर लगा रहे हैं। हमें यह मालूम हो जाना चाहिए कि कौन से मिनिस्टरों पर आप आरोप लगा रहे हैं ?

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : माननीय सदस्य का नाम तो बता दें जिन्होंने एग्रीकल्चर लैण्ड एलॉट करवाई है, प्लाट लिये हैं और बंगले बनाये हैं।

एक माननीय सदस्य : जनसंघ पार्टी के नेता ने भी लिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order.

श्री विजयसिंह झाला : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, हम यह सूची चाहेंगे जब कि सदन के अन्दर यह आरोप लगा रहे थे कि कुछ ने प्लॉट लिये हैं अवैधानिक तरीकों से और उसको आपने स्वीकार किया है।

श्री उपाध्यक्ष : उसके विषय में पृथक से प्रश्न पूछें।

श्री विजयसिंह झाला : उसकी लिस्ट चाहूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर यह कहा कि अन्-आथोराइज्ड तरीकों से बड़े बड़े आदमी जहां पर मकान बना लेते हैं यहां पर मकान बना लेते हैं उनको क्यों नहीं इविक्ट किया जाता और यह जो कानून बनाया गया है वह गरीबों को एविक्ट करने के लिये है। उन्होंने खास तौर से मुख्य मंत्रीजी ने एग्रीकल्चर लैंड पर मकान बनाया है, उसका हवाला सदन में दिया। मैं उपाध्यक्ष महोदय, सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने एग्रीकल्चर लैंड पर जो मकान बनाया है, वह कानूनी परमिशन लेकर बनाया है और तहसीलदार से परमिशन ली है और क्योंकि म्युनिसिपल बाउन्ड्री में जमीन आई हुई है, इसलिये टिनेन्सी एक्ट की धारा ६६ के नीचे परमिशन लेकर और म्युनिसिपल कौंसिल और इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट से "नो ऑब्जेक्शन सरटिफिकेट" लेकर तहसीलदार से परमिशन ली है, इसलिये उनका यह कहना कि बिना परमिशन के बनाया है, ठीक नहीं है। मेरी निश्चित जानकारी है कि मुख्य मंत्रीजी ने परमिशन लेकर मकान बनाया है, रूल्स के अंतर्गत बनाया है। परमिशन नहीं लेने की बात के बारे में मैंने इन्क्वॉयरी करली है, यह धारणा निराधार है।

श्री विजयसिंह झाला : म्युनिसिपल बोर्ड और इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट से इजाजत ली है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट और म्युनिसिपल बोर्ड से 'नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट" लेने के बाद तहसीलदार ने हुक्म दिया है।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : ऐसे सैंकड़ों लोग हैं, जिनको इजाजत नहीं मिलती, इनको ही इजाजत क्यों मिल गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सैक्शन ६६ टिनेन्सी एक्ट में प्रावधान है कि कोई खातेदार क्लॉज १६ (५) की तहत इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, गांव में इम्प्रूवमेन्ट करता है, तो कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है शहर में कच्चा इम्प्रूवमेन्ट करना चाहता है तो इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। म्युनिसिपल टाउन्स में पक्का बनाता है, तो म्युनिसिपल बोर्ड या अरबन इम्प्रूमेन्ट ट्रस्ट जो भी है, उससे "नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट' लाना पड़ेगा। तहसीलदार ने जब इजाजत उन्हें दी उससे पहले म्युनिसिपल कौंसिल और इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट दोनों से 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' लेकर १।५० वें हिस्से पर तामीर बनाने की इजाजत दी। जो तामीर उन्होंने बनाई वह १।५० वें हिस्से से कम है बल्कि १।६१ वें हिस्से पर है। नियम के विरूद्ध नहीं है। परिधि के बाहर नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने बिल के प्रोविजन्स को लेकर...

श्री विजयसिंह झाला : एक इन्फोरमेशन मुझे और चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : मैं ऐसा मानता हूं...

(श्री झाला और श्री मदेरणा दोनों एक साथ बोलते हैं)

श्री उपाध्यक्ष : श्री झाला।

श्री विजयसिंह झाला : अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी के बारे में सूचना दी है, कि १।५० वें हिस्से में मकान बना हुआ है। धारा ६६ के अंतर्गत दूसरा प्रावधान भी है कि ज्यादा लिमिट में नहीं बनना चाहिये।....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह प्रावधान २ एकड़ का है। जो तामीर बनी है वह ३५८१ वर्ग फुट में है जब कि २५५८१ वर्ग फुट का एरिया है।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार की ऐसी मान्यता है कि यह जो बिल सदन में लाया गया है, वह एन्टायरली नैसेसरी नेचर का लैजिस्लेशन है और इस सदन के द्वारा जल्दी से जल्दी पास किया जाना चाहिये। मगर सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों ने इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के लिये विचार व्यक्त किये हैं और मोशन रखे हैं। मैं उनके इस मोशन को सिर्फ एक कंडीशन पर एक्सेप्ट करता हूं कि सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के बाद ३ दिन के भीतर उसको रिपोर्ट पेश करनी चाहिये। इस कंडीशन के साथ, मैं माननीय सदस्यों के सिलेक्ट कमेटी को भेजने के मोशन को एक्सेप्ट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन विधेयक को पब्लिक ओपीनियन जानने के लिये आये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

(संशोधन गिर गये)

Page No. 65

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का आया है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : He has conceded that it be referred to the Select Committee and the report be submitted within three days.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये आये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली इस प्रकार होगी और प्रवर समिति की रिपोर्ट....

Is there no time limit ?

श्री परसराम मदेरणा : इसको तीन दिन के लिये प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : नामावली इस प्रकार है :

१. श्री परसराम मदेरणा	चेयरमैन
२. श्री मांगीलाल रिणवा	सदस्य
३. श्री भैरोंसिंह	,,
४. श्री मानसिंह महार	,,
५. श्री अमरसिंह	,,
६. श्री चतुर्भुज उपाध्याय	,,
७. श्री भरतलाल	,,
८. श्री ज्ञानचंद मोदी	,,
९. श्री गंगाराम चौधरी	,,
१०. श्री मनफूलसिंह	सदस्य
११. श्री देवेन्द्र कुमार	,,
१२. श्री पोहूमल ईसरदास	,,
१३. श्री मानिकचंद सुराणा	,,
१४. श्री भगराज चौधरी	,,
१५. श्री हरिराम चौहान	,,

राजस्थान भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६४

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि-मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सौइल एण्ड वाटर कंजर्वेशन बिल, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मैंने एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर लिख कर दिया था। यह बिल, कल सदन में जो रूलिंग आपने दी थी, उसके विपरित है और विपरित इसलिये है कि इसका हिन्दी अनुवाद समय से पूर्व नहीं मिला है। कल जो रूलिंग दी थी वह इस प्रकार है।

"माननीय सदस्य की आपत्ति यह है कि हिन्दी अनुवाद ४८ घंटे पहले प्रसारित होना चाहिये ताकि जो माननीय सदस्य केवल हिन्दी समझते हैं, वह भी उसको पढ़ लें और अपने संशोधन आदि प्रस्तुत कर दें। मैं माननीय सदस्य के विचारों के साथ सहानुभूति रखता हूं और आशा करता हूं कि अनुवाद भी यथा समय प्रसारित कर दिया जायेगा तथापि रूल्स में ऐसी बाधा नहीं है और रूल्स के अनुसार विधेयक यथा समय प्रस्तुत हो चुका है

Page No. 66

(श्री विजयसिंह झाला)

इसलिये मेरी यह व्यवस्था है कि आयन्दा के लिए जहां तक हो सके अनुवाद भी यथासमय प्रसारित हो जाना चाहिए।"

यह समय से दो दिन पूर्व होना चाहिये और अनुवाद दो दिन पूर्व मिलना चाहिये। कल ११ बजे संशोधन आदि रखने का आदेश था उससे हम वंचित रहे। जो व्यवस्था कल दी थी उसके विपरित बात हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में आपत्ति आई है। मेरी व्यवस्था स्वयं माननीय सदस्य ने पढ़ कर सुनाई। उसकी मंशा यह है कि आयन्दा ख्याल रखा जाय। कल ही व्यवस्था हुई है और एक दम पालन होना कठिन है। फिर भी मैं सरकारी पक्ष से निवेदन करूंगा कि अनुवाद यथा समय ४८ घंटे में, या जिस समय बिल का नोटिस दिया जाता है उसी समय बिल का हिन्दी अनुवाद पेश हो जाय ताकि जो खाली हिन्दी समझने वाले सदस्य, हैं, वे उसका अध्ययन करके संशोधन रख सकें।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह मनी बिल है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : No. It is not a money Bill.

श्री भैरोंसिंह : इसका खर्चा कहां से होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : महकमा आलरेडी काम कर रहा है।

श्री भैरोंसिंह : कई कंजर्वेशन ऑफिसर होंगे, इन्क्वॉयरी ऑफिसर होंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये सभी हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसका बजट तो अलग होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सोइल कंजर्वेशन आलरेडी है। यह तो बिना कानून चल रहा था। अब कानून की जरूरत पड़ गई है।

श्री भैरोंसिंह : सवाल यह है कि कंसोलीडेटेड फंड से इसके अंतर्गत कार्य करने के लिये कोई खर्चा होगा या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नया खर्चा नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : यदि हैड फिक्स्ड है और उसके अंतर्गत खर्चा होता है तो ?....

श्री भैरोंसिंह : इसमें नये पुराने का सवाल नहीं है। हम एक्ट पास कर रहे हैं। उसके अनुसार खर्चा होगा कंसोलिडेटेड फंड में से। यदि कंसोलीडेटेड फंड में से खर्चा होगा तो गवर्नर की सैंकशन लेनी होगी। और इसमें गवर्नर की सैंकशन ली नहीं गई है, कांस्टीट्यूशन के अनुसार कोई भी मनी बिल सदन में बगैर सैंकशन के पेश नहीं किया जा सकता।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं स्वयं कह चुका हूँ, यह सोइल कंजर्वेशन का एक विभाग, एग्रीकल्चर विभाग के एक सैक्शन के रूप में पिछले कई वर्षों से काम कर रहा है। इस

Page No. 67

(श्री नाथूराम मिर्धा)

योजना के नीचे, दूसरी योजना, तीसरी योजना के तीन वर्षों में लगातार काम हो रहा है और चौदह जिलों में काम हो रहा है। इसके जितने ऑफिसर्स हैं, सोइल कन्जर्वेशन ऑफिसर से लेकर असिस्टेन्ट सोइल कन्जर्वेशन ऑफिसर, इन्सपेक्टर्स, सर्वेअर्स-ये सब लोग, जैसा मैंने आपसे कहा-लगातार पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। इसलिए जिस मशीनरी को सैट अप करने की बात है वह फील्ड में एग्जिस्ट करती है और एग्रीकल्चर की साइड है उसमें सोइल कन्जर्वेशन का काम पहले से, कई वर्षों से देखा जाता रहा है इसके बावजूद जो सैंक्शन गवर्नर से लेने की आवश्यकता थी, वह ली जा चुकी है और इसमें कोई अवैधानिक बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सैंक्शन कन्वे नहीं की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : सैंक्शन आ चुकी है।

श्री भैरोंसिंह : सैंक्शन आ गई है, लेकिन मैम्बर्स को कन्वे नहीं की गई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब इसको कन्वे हुई समझ लीजिये। मैंने कह दिया है न आपको।

श्री मानसिंह महार : अभी कह रहे थे-यह मनी बिल नहीं है इसलिए जरूरत नहीं थी। अब कहने लगे कि सैंक्शन आ गई है।

श्री उपाध्यक्ष : सैंक्शन आ चुकी है। उसके विषय में पत्र पेश हो चुका है। वह मैं आपको पढ़ देता हूं :-

"The Governor having been apprised of the subject matter of the above Bill has been pleased to accord his recommendation under clause (3) of Article 207 of the Constitution of India to its consideration by the Rajasthan Legislative Assembly" यह इस प्रकार की इसकी सैंक्शन दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : प्रस्ताव इस प्रकार है :-
"प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भूमि तथा जल संरक्षण विधेयक, १९६४ को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे"]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति के प्रतिवेदन के साथ राजस्थान भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। जहां तक इस विधेयक के सिद्धान्त और इस विधेयक के अन्तर्गत होने वाली कार्यवाही का सवाल आता है-मैं ऐसा समझता हूं, कि उसका किसी भी प्रकार से विरोध नहीं किया जा सकता। आज राजस्थान में इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में हमें भूमि के कटाव, भूमि के उड़ान और भूमि की उर्वरा शक्ति के नष्ट होने की सारी उन समस्याओं का मुकाबला करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे भूमि पर ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके। मैं ऐसा समझता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक हमारी सरकार इस प्रकार की मद रखती हुई चल रही है जिन मदों के द्वारा सोइल कन्जर्वेशन की व्यवस्था की जा सके। पहली पंचवर्षीय योजना में भी कुछ धनराशि निर्धारित की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी कुछ धनराशि निर्धारित की गई थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी इस प्रकार का प्राव-

(श्री भैरोंसिंह)

धान रखा गया है । यह सारे प्रावधान रखे गये थे, उनमें रकम भी खर्च हुई खर्च होने के साथ हमारी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के जो अचीवमेंट्स बताये हैं, उन अचीवमेंट्स में इस बात का भी उल्लेख किया है कि हमने सोइल कन्जर्वेशन के सम्बन्ध में कितनी और किस प्रकार से प्रगति की है । मैं ऐसा समझता हूं कि इस प्रगति में सरकार ने कभी इस बात की शंका प्रगट नहीं की, कि हमारे सामने कुछ कानूनी बाधायें उपस्थित हो रही हैं, कुछ ऐसी मुश्किलात सामने आ रही हैं, जिन मुश्किलात को यदि कानून बना कर रफा नहीं किया गया तो सोइल कन्जर्वेशन की प्रोग्रेस में कुछ बाधा उपस्थित होगी । इस संदर्भ में, ऐसा लगता है और इस सारे कानून के पढ़ने के बाद मेरी एक धारणा बनती है कि सरकार कानून के जरिये लोगों के सामने एक समस्या पैदा करना चाहती हैं । जहां तक, मैंने पहले कह दिया इसके सिद्धान्तों का सवाल आता है—मैं उसका विरोधी नहीं बल्कि उसके पक्ष में हूं । पर प्रश्न यह पैदा होता है कि हमने आज तक जितने कानून बनाये हैं, उनका जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ उस इम्प्लीमेंटेशन के जरिये जनता को राहत मिली है या जनता को हरेसमेंट हुआ, है ? यह प्रश्न हमारे सामने भविष्य में कानून बनाने के लिए मार्ग निर्देशक होगा । इस आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस राजस्थान विधान सभा ने कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एण्ड प्रीवेंशन ऑफ फ्रैगमेंटेशन एक्ट पास किया था, इस विधान सभा ने लेण्ड यूनीलाइजेशन का विधेयक पास किया था, इस विधान सभा ने समरी सैटलमेंट का विधेयक पास किया था इस राज्य विधान सभा ने इस प्रकार के कई कानून पास किये थे जिन कानूनों के अन्तर्गत जो सिद्धान्त थे, जो उनके अन्तर्गत होने वाली कार्यवाही थी, उनको हम लागू करें तो भूमि का उत्पादन किसी प्रकार बढ़ सके उस प्रकार की व्यवस्था करने का हमारा लक्ष्य था । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान में कन्सोलिडेशन एक्ट की जिस प्रकार की हालत हुई—कानून की हुई, वह समझ में आ सकती है—लेकिन इम्प्लीमेंट करने के कारण जनता को परेशानी हुई, उसको सामने रखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार कानून बनाती है, वह भलाई के दृष्टिकोण से बनाती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बाधा आती है । यह बाधायें केवल सरकारी स्तर तक नहीं, बल्कि जनता के स्तर पर वह बाधायें उनके दैनिक जीवन के अन्दर समस्यायें बन कर चलती है, तो इस प्रकार के कानूनों के बारे में गम्भीरता से विचार करने को मजबूर होना पड़ता है । उपाध्यक्ष महोदय, कन्सोलिडेशन की कार्यवाही चालू है, राजस्थान में जितनी तहसीलें हैं, राजस्थान में जितनी पंचायत समितियां हैं उन सबमें मिला कर अब तक राजस्थान में दस, बारह क्षेत्रों में कन्सोलिडेशन का काम चालू हुआ है । मैं राजस्थान सरकार को बता सकता हूं कि जहां भी कार्यवाही की हैं, वहां कांग्रेस के कैन्डीडेट हारे हैं, कांग्रेस वाकई वहां पर बहुत अनपापूलर है, और दूसरी पार्टी पापूलर हैं । मैं उस बात पर न जाकर निवेदन करूंगा कि एक समस्या जो आई है, वह यह है कि कन्सोलिडेशन की कार्यवाही से सरकारी अधिकारियों ने लूटा है, हमारा शोषण किया है, गरीबों की जमीन छीनी हैं, और पैसे वालों को वे जमीनें ट्रान्सफर की गई है ।

(श्री भैरोंसिंह)

उनके एक एक खेत, एक एक जमीन को ट्रान्सफर करने, रास्ता निकालने, गांव के चरागाह कायम करने आदि की अनियमितताएं की हैं. उनसे परेशान होकर लोगों ने यह रुख अख्तियार किया है। उसका परिणाम यह निकला है कि राजस्थान की सरकार और मुख्य मन्त्री जी ने, उदयपुर में जो कन्सोलिडेशन की कार्यवाही चल रही थी, और विशेष तौर पर जो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में कन्सोलिडेशन की कार्यवाही चल रही थी, उसको तुरन्त रोका और इस बात को स्वीकार किया कि कन्सोलिडेशन के अन्दर सरकारी अधिकारी रिश्वत के जरिये, अल्ट्रा मोटिव्स के जरिये लोगों को परेशान करते हैं, और इस कारण जो खेतों को कन्सोलिडेट करके अधिक उत्पादन के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए थी, वह नहीं हुई, बल्कि गरीबों के साथ अन्याय किया गया, और ऐसे लोगों द्वारा जमीन खरीदी गई, जो किसी प्रकार कानून के अन्तर्गत जमीन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे। जहां तक लैण्ड यूटीलाइजेशन का सवाल आता है, उसको राजस्थान में लागू नहीं किया। वह इसलिए नहीं कर पाये क्योंकि राजस्थान सरकार की खुद की कितनी ही जमीन पड़ी है जो जमीन यूटीलाइज नहीं हो पाती। अलग अलग खातेदारों को कहें—तुम्हारे पास अमुक मात्रा में जमीन पड़ी है, इसमें काश्त करनी पड़ेगी, इसमें बाई रोटेशन से करनी पड़ेगी तो वे कहते हैं काश्त करने की जमीन आपकी ही पड़ी है। इस प्रकार लैण्ड यूटीलाइजेशन के जरिये जो व्यवस्था करनी है, उसको लागू नहीं कर पाये। और वह इसलिए नहीं कर पाये कि सरकार की जमीन ही इतनी पड़ी हुई है कि अगर उसको अलॉट कर दें तो भूमिहीनों को जमीन अलॉट करने की प्रोब्लम सोल्व हो जाय और साथ ही अन्न के उत्पादन की प्रोब्लम भी काफी मात्रा में सोल्व हो सकती है....

(११. ०० म० पू०)

मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी सरकार १७ वर्षों से राज्य करने वाली और तो कुछ कर पाई या नहीं कर पाई, लेकिन पड़त जमीन का अलॉटमेंट भी लोगों को नहीं कर पाई। वह जमीन जिसमें लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके इर्रिगेशन के माध्यम से, इर्रिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी, मगर फिर भी वहां पर इर्रिगेशन नहीं होता है और ४॥ लाख एकड़ भूमि ऐसी है राजस्थान में, अगर उसको अलॉट करते हैं, तो लोग उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा कर कृषि का फायदा उठा सकते हैं। तो आपका यह कानून भी खतें में चला जायगा और इसका कोई उपयोग नहीं हो सकेगा। अब आप यह कानून पास करने जा रहे हैं। इस कानून को मैंने पढ़ा और पढ़ने से ऐसा लगा कि लोगों के सिवाय जो अंग्रेजी जानते हैं, इसका पूरा फायदा नहीं उठा सकेंगे। क्योंकि यह कानून अंग्रेजी में ड्राफ्ट किया गया है। गांवों में अंग्रेजी बहुत कम लोग जानते हैं, और वे इस कानून को समझ नहीं सकेंगे और इससे उनको इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। हमारी सरकार यह कहती है कि जो भी प्लॉन बनाये जावेंगे कंजरवेटरी बोर्डी से या पंचायत समिति से बनाये जावेंगे। जितने भी प्लॉन होंगे वे पब्लिक नोटिफिकेशन से गांवों में शाया किये जावेंगे, और गांव के लोग उसमें

(श्री भैरोंसिंह)

अपनी राय प्रकट कर सकेंगे। पंचायत समिति के सदस्य प्लॉन बना सकेंगे अब आपने यह अंग्रेजी में लागू कर रखा है। मैं यह कहूंगा कि सारे के सारे गांवों में अंग्रेजी जानने वाले कितने लोग होंगे? क्या वे लोग इसका मतलब जान पायेंगे! आप पंचायतों में सरपंचों की लिट्रेसी का अगर पर्सेन्टेज निकालें, तो आपको मालूम होगा कि उनका कितना पर्सेन्टेज़ लिट्रेरी सरपंचों का निकलता है; लेकिन आपने खास तौर से यह कानून काश्तकारों के हित के लिये बनाया है, और वे इस कानून की भाषा को नहीं समझ सकते, और जब वे इस कानून की भाषा को नहीं समझ सकते, इसका अर्थ नहीं समझ सकते, तो कानून से कम्प्लीकेशन्स पैदा होते हैं, और वे गरीब किसान उसके शिकार हुए बिना नहीं रह सकते। हमने इरिगेशन बेनीफिसियरी पर टैक्स का और खर्चा वसूल करने का प्रावधान रखा है। हमने यह सब बातें रखी हैं। लेकिन लोगों को समझाने की कोई व्यवस्था नहीं की। वैसे तो हम कह सकते हैं कि हम डेमोक्रेसी में चलते हैं और वह किस स्टेज में हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी वही फलीभूत होती है, जो कम से कम कानून बनाती है। अगर सरकार ने ऐसा ही रवैया रखा तो कानूनों के बनाने का सिलसिला बढ़ता ही चला जावेगा। सरकार को चाहिये कि लोगों को खुद ब खुद कुछ करने दे और कुछ जिम्मेदारियां उन पर भी रहने दे। सरकार की यह मान्यता है कि जब तक हम कानून नहीं बनावेंगे, लोग सही दिशा में आचरण नहीं करेंगे। मैं यह समझता हूँ कि अगर सरकार की यही धारणा रही, तो लोगों में वोलन्टरी वर्क करने की भावना, खत्म हो जावेगी और सरकार के कानूनों पर ही लोगों को काम करना होगा। धीरे धीरे एक दिन वह आ जावेगा कि बिना कानून के आदमी न सांस ले सकेगा, न खाना खा सकेगा, न कोई काम कर सकेगा। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि कानून के जरिये सब सैल्फ रैसपेंट और वौलेन्टरी वर्क की स्प्रिट खत्म हो जावेगी और ऐसी हालत में डेमोक्रेसी अच्छी तरह से फलीभूत हो, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने सोइल इरोजन की व्यवस्था की है। यह सब बोर्ड के द्वारा होगी और बोर्ड में सब आपने नोमिनेटेड मेम्बरों को रखा है। आपने रखा है कि विधान सभा के सदस्य होंगे, वे भी नोमिनेटेड होंगे। आप यह कर सकते थे कि वे इलैक्शन के जरिये वहां पहुँचते, या उनको अध्यक्ष महोदय, नामजद करते। इसकी व्यवस्था पहले बिल में थी लेकिन सिलेक्ट कमेटी में जब यह बिल आया तो यह जो व्यवस्था उसमें थी, कि असेम्बली के अध्यक्ष महोदय, नामजद करें, इसको हटाकर उसके लिये भी नोमिनेशन के पॉवर्स सरकार को दे दिये और एक पेज में यह लिखा है कि कौन कौन से अधिकार राजस्थान के सोइल कन्जर्वेशन बोर्ड को होंगे। उन सबको लिखने के बजाय आप केवल यही लिख देते कि सोइल कंजर्वेशन बोर्ड राज्य सरकार का नोमीनेटेड होगा। इसमें आपको अलग नामों को देने की क्या जरूरत थी? यदि गवर्नमेंट नोमीनेशन की व्यवस्था कर देती है, तो ये दो पेज तो खत्म हो जावेंगे। इसके बाद चार पांच धाराएं रहेंगी, तो उनको समझाने की

(श्री भैरोंसिंह)

कोशिश आसानी से कर सकेंगे । वर्ना मोटी किताब देखकर कोई भी काश्तकार उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा और छोटी पुस्तक होगी तो वह पढ़ने की कोशिश करेगा और समझने की कोशिश करेगा। जहां जहां लैंड के डवलपमेंट और सोइल इरोजन का प्रश्न आवेगा....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इधर तो भाषण हो रहा है और ट्रेजरी बैंच में किताब के पन्ने ही उलटे जा रहे हैं। भाषण की तरफ ध्यान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उनको ध्यान है।

श्री नाथूराम मिर्धा : सब ध्यान है। नोट कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वे नोट कर रहे हैं जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : उनके कहने का मतलब यह है कि अंग्रेज लोग तो केवल एक ही तरफ ध्यान देते हैं। आपने उनकी तरफ ध्यान न तो दिया और न वे आपकी तरफ ध्यान देते हैं।

ऐसी हालत में हमने इसमें व्यवस्था की है कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जमीन को एक्वायर करने की कार्यवाही करेंगे। मैं यह कहूंगा कि हमने लैंड एक्वीजीशन के लिये अलग से एक्ट के द्वारा व्यवस्था की है और इसके लिए अलग से एक्ट बना रखा है। सड़कों के नाम पर, स्कूलों के नाम पर, गोचर भूमि के नाम पर, लैंड एक्वीजीशन की कार्यवाही पूरे राजस्थान में की जाती है। जिससे लोग परिचित हैं और लोगों को अभ्यास बना है कि हम किस प्रकार से कानूनन कार्यवाही करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। नोटिस कब मिलता है ? कहां लैंड एक्वीजीशन की अपील हो सकती है ? उसकी रिवीजन कहां हो सकती है ? इन सब चीजों की व्यवस्था इस कानून में की गई है। फिर मैं नहीं समझता कि इस लैंड एक्वीजीशन के लिये अलग से व्यवस्था क्यों करेंगे ? आप ऐसा क्यों करते हैं कि वह नोटिस देंगे और वे ही लैंड एक्वायर करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमने प्रोसीजर लैंड एक्वीजीशन एक्ट में रखा है, उससे कोई भिन्न प्रोसीजर काम में लेंगे तो कम्पलीकेटेड प्रोसीजर होगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वह तो बहुत लम्बा प्रोसीजर है। उसमें तो सालों लग जाते हैं इसमें बहुत कम समय लगता है।

श्री भैरोंसिंह मैं समझता हूँ कि आप वकील हैं। आप तो कानून को अच्छी तरह समझते हैं। सैक्शन १७ ऐसा है, जिसमें गवर्नमेंट इम्मिजियेटली टेक ओवर कर सकती हैं अगर वह करना चाहे तो।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : फिर भी डिले होती है। कम्पलीकेटेड प्रोसीजर है।

श्री भैरोंसिंह : यह सरकार की गलती है। सरकार को यह करना चाहिये कि इतने दिनों में तो कम्पन्सेशन देना ही होगा। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है इसमें लिमिटेशन प्रोवाइड नहीं किया है। वह इसमें नहीं है। इसमें इतना ही फर्क है। यहां कम्पन्सेशन

(श्री भैरोंसिंह)

इसमें डिटरमिन कहना है कुछ समय के लिए क्योंकि हम सदा के लिए जमीन छीनने वाले नहीं हैं। उतने समय में उसको कितने समय का नुकसान होता है, उसको लैंड रेन्ट में रिड्यूस किया जाना है। उसको एग्रीकल्चरल प्रॉड्यूस के नाते कितना लोस होगा उसको असेस करने की इसमें व्यवस्था की गई है। इसमें एग्रीकल्चरल प्रॉड्यूस का कितना नुकसान होगा, इसकी मार्केट वेल्यू को असेस करने के कार्य, जो लैंड एक्वीजीशन ऑफिसर एक्सपर्ट होगा, वह करेगा। लैंड एक्वीजीशन ऑफिसर दुनियां भर के केसेज डील करता है और पूरे प्रोसीजर से वाकिफ है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह व्यवस्था कर दें कि जो भी जमीन ली जाने वाली है उस सबका फैसला लैंड एक्वीजीशन ऑफिसर करेगा और सोइल कन्ज़र्वेशन ऑफिसर किसी भी जमीन को लेने के लिए गवर्नमेंट की मार्फत लैंड एक्वीजीशन ऑफिसर के पास रिक्वीजीशन भेज दे। उसके बाद लैंड एक्वीजीशन ऑफिसर, जिस समय तक के लिए जमीन की मांग हो, उस समय तक उस लैंड को गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर करने की व्यवस्था कर ले। यह ठीक होगा। बनिस्बत इसके कि हम अलग अलग कानून में अलग अलग परिभाषा दें। अलग अलग कानून के अनुसार उसकी मार्केट वेल्यू क्या हो सकती है, यह कॉम्प्लीकेशन पैदा करेगा और लोगों में हार्डशिप पैदा करेगा।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार ने कहा कि हम लोगों की वेस्ट लैंड ले लेंगे। लोगों की वेस्ट लैंड का मतलब पड़त जमीन। जो लोगों की पड़त जमीन है उस पर सरकार अधिकार कर लेगी। कितने समय के लिए अधिकार करने वाली है? दस वर्ष तक के लिए। दस वर्ष तक पड़त जमीन सरकार के कब्जे में रहेगी। सरकार लोगों की पड़त जमीन को लेना चाहती है और इस कानून के जरिये सोइल कन्ज़र्वेशन करना चाहती है। मैं सरकार को निमन्त्रित करूंगा राजस्थान के चम्बल रिवाइन्स में जाकर सोइल कनजर्वेशन का काम शुरू कीजिये, मैं राजस्थान सरकार को निमन्त्रित करूंगा कि वह जैसलमेर और पोकरन के घोरों में जाकर सोइल कन्ज़र्वेशन का एक्सपेरिमेंट करें और वहां पर एक्सपेरिमेंट करके बताये कि जो सोइल कन्ज़र्वेशन, इरोजन आदि जो यह सारी कार्यवाही हो रही है, उसको रोकने के लिए इतनी सफलता प्राप्त की है। जैसलमेर में हमने इतनी जमीन को जो पड़त है, उसमें पेड़ पौधे लगाकर उपजाऊ बनाया है। आज सरकार की लाखों एकड़ जमीन पड़त पड़ी हुई है उसके सोइल इरोजन को रोक नहीं सकती चम्बल रिवाइन्स में लाखों एकड़ जमीन पड़त पड़ी हुई है, जैसलमेर और पोकरन के घोरों में लाखों एकड़ जमीन पड़त पड़ी हुई है, रेत उड़ेगी उसकी सरकार को चिन्ता नहीं है, लेकिन सरकार कहती है कि हमें तो काश्तकारों की चिन्ता है। काश्तकारों की चिन्ता के नाम पर उन काश्तकारों को इविक्शन के नोटिस दिये जावेंगे और उन गरीब काश्तकारों की जमीन को सरकार ले लेगी।

श्री दलपतसिंह : किस स्टेज पर पड़ेगी ?

श्री भैरोंसिंह : जिन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम रखा गया है उनमें कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं हैं, जहां रेतीली जमीन हो। पानी से जमीन कटती है उस पर यह लागू होगा। पानी से कटने वाली जमीन पर यह इम्मिजियेटली लागू होगा तो पहले तो सरकार को यह चाहिये कि वह एक्सपेरिमेंट्स अपनी जमीन में करके काश्तकारों को बताये कि हमने एक्सपेरिमेन्ट्स करके यह स्थिति पैदा कर ली है। जाओ, जैसलमेर में जाकर देखो, जाओ चम्बल रिवाइन्स में जाकर देखो कि हमने किस प्रकार से जमीन का सुधार किया है और कितनी जमीन की कीमत बढ़ी है तो लोगों में अपने आप एक भावना पैदा होगी। जब काश्तकारों में, यह भावना पैदा होगी तो सरकार को इस प्रकार के कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी सरकार के केवल आदेश और सर्कुलर से ही यह सब काम आसानी से हो सकेगा।

आपको, उपाध्यक्ष महोदय, मालूम होगा कि पंचायत और पंचायत समितियों में मेड़बन्दी की गई, कंटूरबन्दी की गई इस प्रकार का एक आन्दोलन चलाया और वह सफल हुआ या नहीं सरकार के आंकडे क्या कहते हैं। काफी सफल हुआ और काफी तादाद में काश्तकारों ने मेड़बन्दी की। प्लानिंग कमीशन की दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो रिपोर्ट है, उसमें यह बताया गया है कि इस प्रकार मेड़बन्दी वगैरहा से उत्पादन भी बढ़ा है। उसको उन्होंने स्वीकार भी किया है। मेड़बन्दी जो हुई वह आपके किसी कानून से नहीं हुई। किसी रूल से नहीं हुई। किन्तु पंचायत समितियों ने अपने आप से एक आन्दोलन चलाया, किसानों को इसके लिए समझाया कि मेड़बन्दी करो और पैदावार को बढ़ाओ। काश्तकारों ने मेड़बन्दी की। एक वौलन्टरी फन्क्शन था। कौनसा कानून था? कोई कानून नहीं था। आज कौनसी खामियां और दिक्कतें पैदा हो रही हैं कि हमारी सरकार कानून के जरिये यह सारी स्थिति पैदा करना चाहती है। आप कहेंगे हम इसलिए कर रहे हैं कि यह सारा सरकार का काम है और पंचायत समितियां और जिला परिषदों का नहीं। लेकिन यदि सरकार सोइल इरोजन को रोकना चाहती है, जमीन उड़ने से रोकना चाहती है, तो सरकार को अलग कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। पंचायत और पंचायत समिति एक्ट है, ग्राम पंचायत एक्ट में ही इसका प्रावधान कर दीजिये, प्रधान, जिला प्रमुख, पंचायत समिति, जिला परिषद् और ग्राम पंचायतें इसमें कार्य करेंगी। गांव वालों की सहायता से इसको करेंगी। लेकिन सरकार सोइल कन्जर्वेशन की कोई इस प्रकार की स्कीम बनाती है, कोई आदमी अपनी भूमि के कटाव को रोकने के लिए बांध नहीं बनने दें, पेड़ पौधे लगाने के लिए तैयार नहीं है, उस हालत में सरकार करें, यह सुपरफ्लुएस है, कलेक्टर के जरिये से पंचायत समिति कराये। आपने बोर्ड बनाया है कृषि मंत्रीजी इसके चेयरमैन होंगे। बोर्ड कार्य करेगा, पचास परसेन्ट लोग स्वीकार कर लेते हैं, गवर्नमेन्ट कन्सीडर कर सकती है। कृषि मंत्री जी इसके चेयरमैन, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकलचर, हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट। अपील जायगी कहां। एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास। मिनिस्टर वे ही। हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट वे ही। ये चीजें सुपरफ्लुअस हैं।

सबसे डेन्जरस और ऑब्जेक्शनेबल क्लॉज़ है लोगों से मजबूरी से काम करवाना। गरीब

Page No. 74

(श्री भैरोंसिंह)

किसान जिसकी खेत में से नाली जा रही है, उड़ते हुए खेत को रोक नहीं सकता, गरीबों के पास पैसा नहीं होगा और कोई अमीर आदमी की यह स्थिति होगी तो वह पैसा खर्च करके जमीन को उड़ने से बचा सकेगा, नाली को बंधवा देगा। वह हर तरह से उसकी कोशिश करेगा। लेकिन गरीब आदमी को वहां बड़ी दिक्कत आती है। पैसा उसके पास न होने से न तो वह नाली को रोक सकता है और न हो उसको रोककर बांध बन सकता है। हमने ऐसी कोई इस कानून में व्यवस्था नहीं की कि हम सबसिडी देकर, हम उनको मदद देकर इस कार्य को करवायेंगे। इसके विपरीत सरकार ने, इसमें यह प्रोविजन किया है कि यदि किसान अपने खर्चे से उसको नहीं करेगा तो सरकार अपने खर्चे से उसको करवायेगी और जो खर्चा हुआ है, उसको उन काश्तकारों से वसूल कर लेगी। यदि काश्तकार ने समय पर पैसा नहीं दिया, तो उस खर्चे पर जो ब्याज उस रकम का होगा, वह उससे वसूल किया जायेगा, मतलब ब्याज सहित रकम उससे वसूल की जायगी और अदा नहीं करेगा तो लैंड रेवन्यू की तरह वह रकम उससे वसूल की जायेगी। इस वालन्टियरी फन्क्शन में, इतने सख्त कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। आप धीरे २ आगे बढ़िये। आपके पब्लिसिटी विभाग के द्वारा पहले आप उन किसानों में यह प्रचार करवाइये, उनको इस मामले में शिक्षित कीजिये कि तुम को इस प्रकार कार्य करना चाहिये, शिक्षा देकर उनको सपोर्ट करने की कोशिश कीजिये। इससे अच्छा कोई कानून नहीं हो सकता। उनमें आप पहले भावना और जागृति पैदा कीजिये देखिये हमने फलां जगह ऐसा किया है, जाओ, तुम भी उसको देखो और ऐसा करो। उसके लिए आप उनको प्रचार से समझाइये। लेकिन आपने किसानों को इस कानून के शिकंजे में लेकर उन अधिकारियों को आपने मनमानी छूट दे दी है, जो यह कहेंगे कि तुम यहां पूलें मत लगाओ, तुम्हारे खेत में नाली आती है, तुम इसको इस प्रकार बांधो नहीं तो हम इसको करेंगे। जिस किसी अधिकार की किसी काश्तकार पर नाराजगी हो जायगी, तो उसको उसके द्वारा कहा जायगा कि तुम्हारे खेत में नाली है, उसको रोकने में दो हजार रुपया खर्च लगेगा। किसान के पास दो हजार कहां से होगा ? नहीं होगा, तो उसको डिटरमिन सोइल कन्जवेंशन अधिकारी करेगा और वह खर्चा करेगा, जिसकी जमीन में नाली जाती है। यह उसको बतायेगा कि तुम इसको चुकाओ। उस बेचारे का खेत भी गया और सरकार का सीधा कर्जदार भी हो गया। बेनी फिशियरीज़ का सवाल आता है। सरकार ने तरीका नहीं बताया है कि जिसके आधार पर कहा जा सके कि अमुक अमुक आदमी को क्या फायदा हुआ ? क्या बांटा जा सकता है ? और कौन कौन जिम्मेदार हैं ?

इन सारी चीजों की आज आवश्यकता नहीं मानता हूँ सिद्धान्त अच्छा है। लेकिन इसको लागू करने का जो तरीका है आपका, वह अच्छा नहीं है। एक तरफ हम पंचायत और पंचायत समितियों को प्रोडक्शन की मेन एजेन्सियां मान कर चलते हैं। मैंने एजेन्सीज़ इसलिए कि उनकी मार्फत जितना काम होगा उतना कृषि का उत्पादन अधिक होगा। या तो आप कह दीजिये कि हम पंचायतों पर

(श्री भैरोंसिंह)

भरोसा नहीं करते हैं। वे इनिशियेटिव क्रीयेट नहीं कर सकती, इसलिए सरकार को इनिशियेटिव पैदा करने के लिए यह काम करना होगा। यदि आपको पंचायत और पंचायत समितियों में विश्वास हो तो दखल मत करो। यदि कोई बात इम्पोर्टेन्ट हो, तो आप उसको मामूली अमेन्ड कर दो। पंचायत समिति सोइल-इरोजन का काम अपने हाथ में ले सकती है और जमीन लेने की आवश्यकता हुई, तो कलेक्टर से जमीन लेकर यह काम कर सकती है। इस सारे कम्प्लीकेटेड प्रोसीजर किसान को डालने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ, कि सरकार यह सारा कानून वापिस ले। मैं इसके सिद्धान्तों का विरोधी नहीं हूँ। सही सुझावों को, आपको आगे जाकर भी लागू करना पड़ेगा। इसलिए इस कानून में संशोधन करने पड़ेंगे। इसका जनता से सम्बन्ध आता है, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल व्यास

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : [प्रस्ताव इस प्रकार है :-

"प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भूमि तथा जल संरक्षण विधेयक, १९६४ को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"]

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक १९६४ जो प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, उसके लिये मैंने प्रस्ताव किया है कि इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि बिल की भाषा से प्रदर्शित होता है और जिस संबन्ध में यह बिल प्रस्तुत हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि राजस्थान के अन्दर बहुत सा इलाका ऐसा है कि जहां पानी बहने की वजह से और दूसरे कारणों से, जो भूमि की उर्वरा शक्ति है, वह नष्ट होजाती है, उसको किस तरह से रोका जाय, उसको रोकने की किस प्रकार से व्यवस्था की जाय, इस संबन्ध में यह कानून है। जहां तक हम देखते हैं, जैसा कि अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा, पंचायत समितियों और जिला परिषदों द्वारा सोइल इरोजन,, कन्जर्वेशन के जो कार्य होते हैं, उससे राजस्थान के कृषकों ने खेती बाड़ी के संबन्ध में प्रगति की है। ये जितनी भी समस्यायें हैं, इनको किसी प्रकार से हल कर सकते हैं उसके संबंधमें कोई न कोई कानून बनना आवश्यक है। बहुत से स्थानों पर यह देखने को मिलता है कि बहुत से काश्तकार जिनको मेडबन्दी के लिये या दूसरे कार्यों के लिये प्रोत्साहित किया जाता है, और कहा जाता है, वहां हालात इस प्रकार के होजाते हैं कि वे इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते और उसमें कई प्रकार की बाधायें आती है। इस कानून के द्वारा इस प्रकार का प्रबंन्ध किया गया है कि जहां जहां भी इस

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

प्रकार की समस्यायें पैदा होंगी, उनको इस विभाग द्वारा प्लॉन कराया जायगा ताकि जमीन की पैदावार की शक्ति बढ़ सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में बोर्ड के एक्जीक्यूट करने का भी प्रावधान किया गया है, उसमें ज्यादातर लोग इस तरह के नियुक्त किये गये हैं जो ज्यादातर सरकारी अधिकारी हैं। सरकारी अधिकारियों के अलावा जो नॉन आफिसियल्स हैं, जनता में काम करने वाले लोग हैं, उनको इसमें किसी प्रकार भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ज्यादातर इलाको में आप देखेंगे पंचायत समितियों के लोग हैं, सरपंच हैं, वे लोग काश्त के बारे में तवज्जोह रखते हैं, अपनी दिलचस्पी रखते हैं, वे लोग ही ऐसे बोर्ड में ज्यादा सफल और कामयाब हो सकते हैं, ऐसे लोगों का इसमें नितान्त अभाव है। अगर इस कानून को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का समावेश किया जाना चाहिये जो खेती बाड़ी के अन्दर दिलचस्पी रखते हों।

स्टेट लेवल पर जो कमिटी बनाई गई है उसमें भी ऐसे आदमियों का समावेश नहीं किया गया है। जैसे राजस्थान का सब से अच्छा खेती करने वाला किसान है, जिसको स्टेट द्वारा पुरस्कृत किया गया है, या दूसरे ऐसे लोग हैं को खेती के बारे में अपनी ओपीनियन दे सकते हों, वैसे नॉन ऑफिसियल लोगों को शामिल किया जाय बोर्ड के अन्दर ताकि वे ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सकेंगे।

दूसरी बात यह है कि इसको कानूनी रूप दिया गया है। हमारे यहां पर जमीन के संबंध में दो तीन कानून पास हुए हैं। उनमें ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई है। कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, लैंड युटिलाइजेशन एक्ट, ये जो भूमि संबन्धी कानून बने हुए हैं, जिनके द्वारा हमारी इच्छा थी विशेषतः लैंड कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग द्वारा ज्यादा से ज्यादा काश्तकार जमीन एक साथ काश्तकर सकते ताकि एक साथ ज्यादा पैदावार वह कर सके। जिस चीज को कानूनी रूप दिया जाता है। उसको लोग कम पसन्द करते हैं, इस प्रकार की भावना प्रदर्शित होती है। जहां तक मेरा विचार है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कानून बनाये जाते हैं, उनका पालन करवाने में फर्क रह जाता है। उस वजह से हम जिस चीज को कानूनी रूप दे देते हैं, उसका पालन नहीं होता है।

कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग और लैंड युटिलाइजेशन एक्ट का जहां तक ताल्लुक है, जिस प्रकार से हमारे अधिकारियों का सम्पर्क होना चाहिये, उस प्रकार का सम्पर्क उनका जनता से नहीं होता है। इसी वजह से कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग और दूसरी चीजों से लोग उकता गये हैं। उससे जितना फायदा देना चाहते हैं, वह उनको मिल नहीं सकता। इसलिये हमारे जितने भी कानून बनाये जांय सब से ज्यादा प्रेरणा इस बात की होनी चाहिये, कि वे लोग अपने इस काम में अग्रसर हों और ज्यादा सहूलियतें उनको इस काम के करने में मिल सकें।

जो प्लॉन गांवों के संबन्ध में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के संबन्ध में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर बनते हैं वे सब इस

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

स्कीम में इन्क्लूड नहीं होंगे। ये स्कीम्स पंचायत और पंचायत समितियों द्वारा होनी चाहिये ताकि वे खास तौर से इस बारे में ध्यानदे सकें कि अमुक अमुक स्थानों पर इन चीजों की आवश्यकता है। इन चीजों के बनने से ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा।

एक बात यह है कि ऐसी जमीन जिस पर सरकार चाहती है सोइल रिक्लेमेशन, सोइल इरोज़न से बचने के लिये और कन्जर्वेशन करने के लिये जो स्कीम बनाई जाय, वैसे लोगों के लिये तकावी नहीं है, ऐसी भूमि सरकार द्वारा काम में लाई जाय। इससे ऐसी परिस्थिति या ऐसा समय आ सकता है, जब कि उस काश्तकार की इच्छा के विरुद्ध सरकार को जमीन लेनी पड़े, उस हालत में एक्वीजीशन की कार्यवाही करने में विकट परिस्थित पैदा हो जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था से जो कार्यवाही की जायगी वह काश्तकारों के खिलाफ पड़ेगी।

श्री दलपतसिंह (आबू) : सरकार की तरफ से रिलीफ दी जा रही है कुछ टर्म्स पर रेवेन्यू की वसूली के समय उसकी वसूली होगी यह क्या कम रिलीफ है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं खुद भी यही कह रहा हूँ। सरकार की तरफ से ऐसी जमीन जिस पर काश्तकार अपनी तरफ से रकम नहीं लगा सकता, उसको सरकार अपने हाथ में लेकर उसको कामयाब बनायगी। ऐसी परिस्थिति में उस काश्तकार को किस प्रकार से नुकसान होगा यह मैं निवेदन कर रहा हूं। मान लीजिये किसी किसान के खेत से होकर एक नाला गुजरता है, उस नाले से उसकी जमीन का कटाव होता है। उस कटाव को रोकने के लिये काश्तकार के पास इतना पैसा नहीं कि वह उस नाले को बना सके, ऐसी परिस्थिति में सरकार बना देती है और वह रकम दस साल या किश्तों में वसूल करती है, उससे किसान को किसी प्रकार की हानि होने वाली नहीं है।

लैन्ड एक्वीजीशन ऑफिसर को इस एक्ट में जिस प्रकार के अधिकार दिये हैं उससे और ज्यादा कठिनाइयां पैदा होंगी। जहां तक मेरा ख्याल है, लैन्ड एक्वीज़ीशन ऑफिसर द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही करने में साल भर निकल जाता है, उसको मुआवजा टाइम पर नहीं मिलता है और दूसरी प्रकार की कन्डीशन भी है, कि वह लैन्ड हरदम के लिये नहीं ली जायगी, साल दो साल के लिये ली जायगी। लैन्ड एक्वीज़ीशन ऑफिसर जो इस प्रकार की कार्यवाही करता है पूरी जमीन लेने के लिये, उसमें और इसमें काफी भिन्नता है, इस चीज को सोइल कन्जर्वेशन ऑफिसर एक अलग तरह की अपनी संस्था है, अपने काम को अलग तरह से कर सकता है, उसमें किसी प्रकार से डवलपमेंट करना, ये सब अलग अलग चीजें है। कम्पेन्सेशन तय करना, एक्वीजीशन की कार्यवाही करना, इसके लिये अलग से प्रावधान है। इन चीजों को इसमें मिला देना कतई ठीक नहीं है।

जिस प्रकार के प्रावधान इस एक्ट में दिये गये हैं, वे ठीक प्रतीत होते हैं। टाइमली एक्वीज़ीशन करने में कम्पेन्सेशन समय पर मिल जायगा।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

पड़त जमीन के सम्बन्ध में, इसमें यह रखा गया है कि सरकार जमीन जो पड़त होगी उसका ताल्लुक इससे नहीं रहेगा । इसलिये उसकी मेड़बन्दी करने या उसको डवलप करने की बातों का प्रश्न नहीं उठता । इस एक्ट में जो प्रावधान किया गया है, उसके अनुसार जो जमीन काश्तकार की होगी जिसके कटाव से नुकसान होता हो, ऐसी पड़त जमीन को कब्जे में लेकर के, मेड़बन्दी करेंगे ताकि ठीक होजाय । उसको अच्छी तरह से डवलप कर सकें ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न पैदा हो सके ।

तीसरी बात यह है कि जो मेड़बन्दी या दूसरा काम किया जायगा उसमें सरकार द्वारा उनसे कहा जायगा कि अमुक काम आप कीजिए । लेकिन वह काम अगर वे आदमी ठीक तरह से नहीं कर सकते और उनके पास उस प्रकार का साधन न हो, तो सरकार खर्चा करे और वह रकम जो उसके डवलपमेंट के लिए लगाई है, एरीयर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल करेगी । ऐसी बात नजर नहीं आती जिसकी वजह से काश्तकार को किसी प्रकार का नुकसान हो या किसी प्रकार से हैरेसिंग हो ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इसमें कठिनाई इतनी आ सकती है, कि जो उसमें असेसमेंट किया जाय या उस जमीन में जितना खर्चा किया जाय, वह ठीक तरह से होता है या नहीं, किसान को हैरेस न किया जाय, पुराने बहुत से अधिकारी जो हैरेस करने के आदी हैं, वे न कर सकें । और जो खर्चा है डवलपमेंट के सम्बन्ध में, उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है ।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय ।

श्री रामकिशन (वैर) : [प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भूमि तथा जल संरक्षण विधेयक, १९६४ को दो सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचलित किया जावे ।"]

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक १९६४, को जनमत हेतु प्रसारित किया जाय, यह मेरा प्रस्ताव है । जहां तक मैंने इस बिल का अध्ययन किया है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि ढ़ाई साल में यह पहला मौका है कि मैं सरकार की समझदारी में थोड़ा सा विश्वास करने लगा हूं । यह बिल ऐसे ढंग का है कि यह आज नहीं, यह तो १९५२ में ही आ जाना चाहिए था और आज अनाज का संकट है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसके लिए प्रायश्चित क्या करते हैं ?

श्री रामकिशन : सरकार की बहुत अजीब हालत है । अगर विरोध करें, तो आप लोग कहते हैं कि विरोधी दल वाले तो हमेशा विरोध करते हैं और यदि समर्थन करें तो आप इस तरह से कहते हैं । अब आप कम बुद्धि वाले लोगों को क्या किया जाय ?

Page No. 79

(श्री रामकिशन)

मुझे ढाई साल में पहली बार महसूस हुआ है कि सरकार अपने देश और प्रदेश की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने का इरादा रखती है कि इस तरह से काम किया जाय जिससे हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़े। तो जहां तक इस बिल के संदर्भ और मंशा का संबंध है, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन जिस तरह से इस बिल में प्रावधान रखे गए हैं उसके बारे में, मुझे कुछ आशंका है। मैं समझता हूं कि मंत्रीजी जो कि राजस्थान के किसानों के एक प्रतिनिधि हैं, वह उन कठिनाइयों को समझने की कोशिश करेंगे।

इस बिल में बोर्ड का गठन किया गया है। उसमें प्रमुख सरकारी अधिकारी रखे गए है। मुझे इसमें एतराज नहीं क्योंकि ये विभागाध्यक्ष या सचिव ऐसे हैं, जिनको आपने विभाग की जानकारी भी हो सकती है। लेकिन पांच आदमी ऐसे रखने की बात की गई है जिनको विशेष रूप से सरकार नामजद करेगी, जो दिलचस्पी रखते हो। यह मेरी जानकारी में नही आ पाया कि सरकार को कैसे पता लगेगा कि इसमें दिलचस्पी कौन रखता है और कौन नहीं। मैं समझता हूं कि राजस्थान का हर किसान इस मामले में दिलचस्पी रखता है कि उसकी जमीन का कटाव रोका जाय, उसकी पैदावार बढ़ाई जाय; आखिर दिलचस्पी का मापदंड क्या है ? कृषि मंत्रीजी अपने उत्तर के समय स्पष्ट कर दें, नहीं तो उन पर यह आरोप लगने की संभावना है कि यह खास तौर के व्यक्तियों को रखने के लिए यह प्रावधान किया गया है, जिसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि इसके अंदर एक प्रावधान ऐसा है कि जो किसानों का संघ बना हुआ है उसका भी एक प्रतिनिधि होगा, चाहे वह नकली है या असली है। तो फिर पांच प्रतिनिधि किस लिए रखे जा रहे हैं।

इसमें दंड की व्यवस्था की गई धारा ३७ में। एक बात तो आप मानेंगे कि राजस्थान के लोग अनपढ़ है। उनको प्रचार के द्वारा समझाना चाहिए। वरना दंड से समझाने से तो उल्टा असर हो जाता है और फिर बिल के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इससे तो लोगों में आतंक फैलेगा। वे समझेंगे कि सरकार हमारी जमीनों को जबरदस्ती कब्जे में करना चाहती है। राज्य सरकार के लिए यह कलंक की बात है कि वह १७ साल तक प्रचार, प्रसार या विद्या द्वारा उनको नहीं समझा सकती कि वे अपनी जमीनों को कैसे कटाव से बचाएं। लेकिन सरकार को उसके बदले दंड की व्यवस्था करनी पड़ी। सरकार के लिए यह लज्जा की बात है कि उसने २०० रु० जुर्माने और ३ मास कारावास को इसके लिए जरूरी समझा। इससे तो लोगों में भय पैदा होगा और उनके आतंकित होने के बाद में आप जो नतीजा निकालना चाहते हैं वह नहीं निकल पाएगा।

तीसरी बात, इसमें बंजर भूमि का जिक्र किया गया है। बंजर भूमि राजस्थान में दो प्रकार की है। एक वह जो काश्तकार के कब्जे में है, चाहे उसमें खेती करते हों, या नहीं लेकिन उनका खाता है, हक है, और दूसरी बंजर भूमि जो सरकार की हैं। इस संबंध में मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकारी जमीनों पर ही आपको पहले इस कार्यक्रम को शुरू

(श्री रामकिशन)

करना चाहिए, क्योंकि यह प्रचार का केन्द्र बन सकता है। हर जिले में डेमोन्स्ट्रेशन का भी काम दे सकता है। सरकार पहले उनको कब्जे में ले, कटाव को रोके, तो आसपास के जो किसान होंगे, वे इसके लाभ को समझेंगे। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, कि सरकारी जमीनों पर आप पहले प्रोडक्शन कीजिए और सरकारी जमीनों को एक तरह से प्रयोगशाला बनाया जाय उसके बाद जो सरकारी जमीन इस तरह से तैयार हो, वह प्रदेश की जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, हरिजन हैं, उनको दी जाय तो लोगों का उत्साह बढ़ेगा और जब किसान देखेंगे कि यह सब कुछ हमारे कल्याण के लिए किया जा रहा है तो आपको पैनल्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो दूसरे उद्देश्य हैं, जिनको आप इस बिल के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे पैदावर बढ़ाने का मामला है, वह भी पूरे हो जायेंगे।

ये तीन बातें ऐसी हैं जिन पर कृषि मंत्री और सरकार को विचार करना चाहिए। जहां तक इस बिल के उद्देश्य का सवाल है, इसके जो दूसरे कन्टेंट्स हैं, मैं समझता हूं कि कानूनी खामियों को छोड़कर बाकी वह अपने आप में पूर्ण है। मैं अपने इलाके बैर की बात करता हूं, वह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। वहां सॉइल कन्जर्वेशन ऑफीसर ने प्लाट लिया सड़क के किनारे का इलाका था। लोगों ने कहा कि यहां हवाई अड्डा बन रहा है। हालांकि लोगों की भलाई के लिए काम किया जा रहा था। पंचायत समिति का प्रधान भी गया और बताया कि जमीन को बराबर किया जा रहा है। लेकिन अफवाह फैल गई कि हवाई अड्डा बन रहा है। तो बजाय इसके कि लोग उसमें सहयोग दें, चारों तरफ से लोग इकट्ठे हो गए। हम लोगों को खबर मिली, हम भी वहां पर पहुंचे और उनको बताया कि यह सब कुछ आपके कल्याण के लिए हो रहा है, तब जाकर उनकी समझ में बात बैठी। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अब १२-१४ साल में पहली बार आपको मौका मिला है। आप स्कूलों द्वारा, प्रचार द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा लोगों में पूरी तरह से प्रचार किया जाय। इस तरह से आपको यह फायदा होगा कि आपको पैनल्टी नहीं लगानी पड़ेगी वर्ना उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप दो चार पर जुर्माना करेंगे। १२ साल में पहली बार तो आप भला करने जा रहे हैं....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ऐसे केसेज़ कम होंगे।

श्री रामकिशन : जितने भी हों। आपको प्रचार और प्रसार द्वारा लोगों को प्रभावित करना चाहिए। जब लोगों को लाभ होगा, तो बाकी लोग अपने आप आकर्षित होंगे। आपने यह कैसे मान रखा है कि इसमें पैनल्टी इम्पोज़ करनी पड़ेगी? इसलिए मैंने जो प्रस्ताव रखा है, आशा है कि कृषि मन्त्री उसे स्वीकार करेंगे।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी (दीगोद): जहां तक भूमि कटाव का सवाल है राजस्थान में यह समस्या दिन प्रति दिन काफी गम्भीर होती जा रही है। राजस्थान में भूमि का कटाव रोकना चाहिए इसमें किसी प्रकार

(कुंवर श्री महेन्द्रसिंह गांवडी)

की दो राय नहीं । लेकिन यह कार्य ऐसा नहीं, कि एक हजार या दो हजार या एक लाख या दो लाख से पूरा हो जाय । इसके लिए करोड़ों रुपये की रकम चाहिए, काफी रुपया खर्च करना पड़ेगा, तब यह समस्या हल हो सकेगी। राजस्थान में ऐसा कोई जिला नहीं, जो भूमि कटाव से प्रभावित न हुआ हो । मैं आपके सामने कोटा जिले की समस्या रखना चाहता हूँ जहां से मैं आया हूँ । कोटा जिले में राजस्थान की दो प्रमुख नदियां, चम्बल व कालीसिंध हैं । इस कारण कोटा जिले की अधिकतर भूमि के अन्दर रेवाइन्स हो गए और भूमि कटाव की समस्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है । इन रेवाइन्स को रोकने के लिए, कोई एक किसान के या कोटा जिले के निवासियों के सामर्थ्य का सवाल नहीं कि वे अपने जेब से खर्च करके इसको रोक सकें । इन नदियों पर जाकर देखें । वैसे भी राजस्थान में इन दोनों नदियों के रैवाइन्स काफी मशहूर हैं । इन में ५०-५० फीट, १००-१०० फीट और १५०-१५० फीट गहरी रैवाइन्स हैं । तो इस भूमि कटाव को रोकने के लिए सारी स्कीम को, आपको अपने हाथ में लेना होगा । अपने राज्यकोष से ज्यादा पैसा खर्च करना होगा । फिर तो यह समस्या हल हो सकती है । चम्बल के किनारे पर जितने गांव बसे हुए हैं, वहां के निवासी कोई करोड़पति नहीं हैं, लखपति नहीं हैं । कोटा जिले के गांवों के अन्दर बहुत कम ऐसे मकान मिलेंगे जो पक्के बने हुए हों। बहुत से ऐसे कस्बे मिलेंगे जहां लोग छोटी मोटी दुकान चला रहे हैं मिठाई की या और चीजों की । उनका प्रमुख धंधा खेती इतना पैसा उनको नहीं देती जिससे उनकी हालत अच्छी हो । आज जो भूमि कटाव को रोकने के लिए सरकार खर्चा करने जा रही है वह पैसा लगान के रूप में उन लोगों से सरकार वसूल करेगी । अगर यह कार्य सरकार ने आपने हाथ में लिया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलने वाला है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा परिणाम वहां के लोगों को आर्थिक संकट में डालने का यह भी होगा कि आप शायद उनसे, यह उम्मीद नहीं कर सकेंगे, कि वे उत्पादन बढ़ाएं । यह संभव नहीं हो सकेगा और आगे जाकर वह आर्थिक व्यवस्था अधिक खराब होने से वहां के उत्पादन पर असर डालेगी । इसलिए जितनी भी भूमि कटाव की योजना है, जहां पर काफी गंभीर समस्या है, वहां बड़ी स्कीम्स को अपने हाथ में लेकर उन स्कीमों को सरकार स्वयं अपने पैसे से लागू करें और वहां के कटाव को रोके तो, मैं समझता हूँ कि वहां के लोगों के हक में और राज्य के हक में अच्छा रहेगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी बात जैसे श्री भैरोंसिंहजी ने मांग की कि इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय, मैं उसका समर्थन करता हूँ ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) :
[प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भूमि तथा जल संरक्षण विधेयक, १६६४ को दो सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ।"]

(श्री अब्दुल जब्बार)

आज सदन में राजस्थान सॉइल एण्ड वाटर कन्ज़र्वेशन बिल, १६६४ पर विचार हो रहा है। जहां तक इस बिल के सिद्धांत का सवाल है, वह बहुत अच्छा है। लेकिन यह जब सीधा किसान पर इफेक्ट करने वाला है, तो हमको देखना पड़ेगा कि असेम्बली में जो किसानों के रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ का पर्सेन्टेज़ है वह कितना है ? साथ ही साथ में, चैप्टर ७— रिक्लेमेशन ऑफ वेस्ट लैंड-पूरा ध्यान देने योग्य है, खास तौर से धारा २६ और ३० विचारणीय हैं। जहां दस साल के लिए किसी जमीन को रिक्लेम किया जाय, उसमें कम्पन्सेशन का सवाल होता है। सरकार उसमें खेती करेगी, लेकिन कम्पन्सेशन पे करने के लिए एक लिमिटेड अमाउन्ट फिक्स किया जाय। आज जो जमीन की वैल्यू है वह दस साल के बाद निश्चित ही बढ़ जायगी। उसका फर्क दस साल बाद क्या होगा, इस पर प्रकाश नहीं डाला गया है। केवल कम्पेन्सेशन का सवाल है। वह भी डिटरमिन किया जायगा। १० साल बाद उसके प्रोडक्ट्स की क्या वैल्यू होगी, लैंड की क्या वैल्यू होगी। डे बाइ डे चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, जमीन पर प्रेशर पड़ता है, तो फिर कीमत भी जरूर बढ़ जाती है, तो फिर प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़नी चाहिए। ऐसी हालत में इस बिल के अनुसार एक पर्टीक्यूलर एग्रीमेंट के आधार पर १० साल तक किसान को अमाउंट मिलता रहेगा।

साथ ही साथ इसमें प्रावधान है लगान की वसूली के लिए। जब सरकार १० साल के लिए जमीन ले ले तो फिर काश्तकार के पास कमाई का क्या साधन रह गया ? ७५ पैसा पर कैपीटा इन्कम है। एक किसान कमाने वाला है और दो चार डिपेन्डेंट्स हैं। ऐसी हालत में १० साल बाद कोई एरीयर रह गया और दस साल तक किसान को लगान बराबर देना है। सरकार ने पज़ेशन जमीन का ले लिया, तो उसके पास क्या रहा ? इम्मूवेबिल प्रोपर्टी होती है, तो कर्जा मिलता है। लेकिन इस कानून के अनुसार १० साल के लिए किसान के पास जमीन नहीं रहती है, तो उसकी मार्केट में क्या प्रेस्टिज़ रहती है। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या साहूकार उसको कर्जा नहीं देगा। ऐसी हालत में, इसमें, यह प्रावधान किसान पर सीधा असर करने वाला है।

साथ ही साथ, मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि दस साल के बाद पज़ेशन वापिस देने का जब समय आता है, तो Collector will settle the order of restoring possession.

अब कलेक्टर क्या करेगा ? यह माना कि जहां कन्ज़र्वेशन हुआ, अच्छी चीज हुई, पर जब कब्जा वापिस देने का सवाल आवेगा, तो मेज़रमेन्ट सर्वे किया जावेगा या निशान लगाये जावेंगे, जिसके आधार पर वह वापिस किया जावेगा ? अब जो कन्ज़र्वेशन में खर्चा आवेगा, सरकार कहेगी कि वह भी किसान दे और उस किसान के पास देने को पैसा कुछ होगा नहीं। तो हो सकता है पज़ेशन उसको वापिस न दिया जावे। तो यह भी किसान पर इफेक्ट करेगा।

प्रोडक्शन के लिये जो कन्ज़र्वेशन की स्कीम में जमीन एक्वायर की है, तो उसका

Page No. 83

(श्री अब्दुल जब्बार)

प्रोडक्ट्स किसान को दे दिया जावे ताकि उसके पास उसकी सही तरीके से मार्केट वैल्यू आ जावे, लगान उसका चुका सके, बच्चों को स्कूल भिजवा सके, अपना भरण-पोषण का खर्चा चला सके, साथ साथ मार्केट में वह अपनी साख बनाये रख सके। और निशान लगा दिये जावें जिसके आधार पर दस साल बाद वह ज़मीन उसको वापिस मिल जावे।

नहीं तो कलेक्टर ऑर्डर देगा, डेट फिक्स करेगा, किसान को बुलायेगा, ऑब्जेक्शन इन्वाइट करेगा और फिर पज़ेशन उसको मिला तो मिलेगा। यह किसान के साथ ज्यादती होगी। किसान इससे परेशान हो जावेगा।

आप जल्दबाजी न करें। कानून अच्छा है पर सवाल यह है कि सीधा यह किसान पर असर करने वाला है, इसलिये इसे पूरी तरह से देखा जावे, उनकी राय भी ली जावे। जन सम्पर्क विभाग है, उसे आप कहें कि वह लाउड स्पीकर लेकर गांव गांव में, किसान किसान के पास जावे और उनको इस कानून के बारे में जानकारी दे और उनसे राय मांगे। वे पत्र लिखें सरकार को, कि उनको इस कानून के बारे में क्या आपत्ति है, तो यह सही माने में किसान का भला करने वाला कानून बन जावेगा। उससे जो मंहगाई अनाज की हो रही है वह भी दुरुस्त होने में मदद मिल सकेगी। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे ताकि किसान की सही भावना सरकार तक पहुंचाई जा सके।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सॉइल एण्ड वाटर कन्ज़र्वेशन बिल मेरे ख्याल से सिद्धान्ततः एक अच्छी चीज है।

मैं इस बात को स्वीकार करते हुए यह अनुभव करता हूँ कि सरकार ने जिस भावना से इस विधेयक को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है वह भावना अच्छी है। किन्तु मुझे आशंका है कि बहुत सी सरकार की योजनाएँ जिस प्रकार कागजों में ही रह जाती हैं, वैसे ही यह भी न रह जाय। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि यह बिल सरकार दृढ़तापूर्वक कार्य रूप में परिणित करे।

सॉइल कन्ज़र्वेशन के लिये सबसे पहले मेरा सरकार से यह निवेदन है कि हमारी जो वन सम्पत्ति है उसके सम्बन्ध में गहन विचार करना चाहिये और वनों को संरक्षण दृढ़तापूर्वक दिया जाना चाहिये।

मैं यह मानता हूं कि बढ़ती हुई जन आबादी को देखते हुए वन का संरक्षण सुचारू ढंग से जिस तरह से करना चाहिये, नहीं कर सकें गे, किन्तु तब भी यथा–शक्ति वन संरक्षण के सिद्धान्त को अपनाकर सरकार दृढ़ता के साथ आगे कोई ठोस कदम लेती है, तो मेरे खयाल में अन्न उत्पादन के लिये किसान के लिये और राजस्थान के लिये, यह हितकर होगा।

भौगोलिक दृष्टिकोण के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय, यदि देखा जावे तो उत्तर से दक्षिण में राजस्थान के मध्य में अरावली की पर्वत शृंखलाएं हैं। वहां पर कोई काश्त नहीं होती। किन्तु उस पर्वत शृंखला के

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ऊपर यदि वनों को संरक्षण दिया जावे, तो वह एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है कि जिससे हमने अनादि काल से पश्चिमी रेगिस्तान से संघर्ष किया है और अगर अरावली पर्वत माला के ऊपर वनों का संरक्षण जहां भी सम्भव हो, जहां भी हम कर सकें, अगर सुचारू रूप से कर पावें, तो मेरे ख्याल से भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में और उत्पादन के सम्बन्ध में भी, हम उचित रूप से व्यवस्था कर सकेंगे।

मैंने स्वयं ने यह अनुभव किया है कि क्या उत्तर और क्या दक्षिण राजस्थान में, धीरे धीरे रेगिस्तान, पश्चिम में बढ़ता जा रहा है। बहुत से पहाड़ आज इस स्थिति में आ चुके हैं कि जो आधे से ऊपर पहाड़ रेत से दब चुके हैं। यह डिफोरेस्टेशन हमारे यहां फेल होने के परिणाम स्वरूप यह स्थिति है। इसलिये मेरा सरकार से पुरजोर निवेदन है कि बावजूद इस हालात के भी, इस सम्बन्ध में, हमारी अरावली पर्वत माला के वनों को, जिनका ह्रास हो रहा है, संरक्षण देने के सम्बन्ध में दृढ़ता से विचार करना चाहिये। यदि वन संरक्षण नहीं हो पाता है तो मेरे ख्याल से कोई भी आपकी योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित नहीं हो सकेगी

पश्चिमी रेगिस्तान के सम्बन्ध में भी, मैं निवेदन करूं कि मैं श्रीगंगानगर में गया, मैंने देखा वहां पर इस माने में अच्छा काम हो रहा है। इस हिस्से में वृक्षारोपण अगर इसी तरह सुचारू रूप से किया जाता रहा तो वहां पर अभी भी, इसके लिये बहुत गुंजाइश है, और हम इस दिशा में काफी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नहरों के दोनों और वृक्षारोपण के सम्बन्ध में भी सरकार उचित रूप से व्यवस्था कर रही है। यह मैंने अपनी आखों से देखा है। मैं आशा करता हूं कि वन संरक्षण के सम्बन्ध में भी गंगानगर जिले में और पश्चिमी रेगिस्तान में, जहां भी सम्भव हो, सरकार को उचित रूप से व्यवस्था करनी चाहिये। मेज, सब्जी आदि को भी प्रोत्साहन दिया जावे। वहां पर उगाई जो मेज और सब्जी आदि की हो, उनको संरक्षण दिया जावे और रोटेशन के द्वारा किया जावे तो मेरे ख्याल से यह उचित व्यवस्था होगी।

ट्यूब वैल भी खोदे जायं। जहां पर भी हो सके ट्यूब वैल खोदे जायं जिससे जनता को शुद्ध पानी पीने के लिये भी प्राप्त होगा और इसके साथ वृक्षारोपण के लिये भी रेगिस्तान में व्यवस्था हो सकेगी।

जहां तक हमारे दक्षिण राजस्थान का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मेड़बन्दी टैरेसिन कन्ट्रोल के द्वारा जनता को लाभ हुआ है और आदिवासियों के लिये टैरेसिंग एक महत्वपूर्ण योजना है। पर सरकार को मेरा निवेदन है कि अभी जो प्रावधान है, आधा श्रमदान और आधा अनुदान का, आदिवासियों के लिये यदि ७५ प्रतिशत अनुदान हो और २५ प्रतिशत श्रमदान रखा जावे तो उचित व्यवस्था होगी।

खेतों को हमवार करने में काफी परिश्रम करना पड़ता है और काफी परेशानी होती है। आदिवासियों के लिये यदि यह प्रतिशत का प्रावधान हो जावेगा तो मेरे ख्याल से पहाड़ों के बीच में उर्वरा भूमि जो है, वह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अधिक से अधिक उपजाऊ होगी, वहां पर चावल, चना हो सकेगा और अगर दुष्काल भी पड़े तो मक्का की एक फसल तो अवश्य हो सकेगी।

(१२ मध्यान्ह)

छोटे फार्म्स के संबंध में, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि डूंगरपुर जिले में जैसे एक तामड़िया नामक फार्म है, वह २६ एकड़ का है, वहां के आस-पास जंगल को रखने के कारण सारे जंगल नष्ट हो गये हैं। उनका ह्रास हो गया है और यह फार्म जो तामड़िया में है वह भी नुकसान में संचालित किया जा रहा है। It is running at a loss. ऐसी संस्थायें भी सरकार रखती है, तो यह एक मखौल सा है और इसके द्वारा मेरे ख्याल में कोई भी लाभ सरकार को हो, ऐसा मैं अनुभव नहीं करता हूं। यदि सरकार को बहुत सी जगहों पर वनों को संरक्षण देने में आपत्ति है, तो व्यक्तिगत रूप से सहकारिता के द्वारा, वन संरक्षण के द्वारा, वन संरक्षण की व्यवस्था सरकार कर सकती है।

कोऑपरेटिव फार्मिंग के विषय में सिलवी एग्रीकल्चरल फार्म भी सरकार स्थापित करे, तो मेरे ख्याल में वन संरक्षण के साथ साथ उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिल सकता है, भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ सकती है और नेचुरल मैन्योरिंग के द्वारा भी, मेरे ख्याल में, जनता का अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। मैं यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि गंवई जंगलों की व्यवस्था भी आप अलग से करें और सामुहिक रूप से गांव वालों के ऊपर यह उत्तरदायित्व रखें कि गांवों के जंगलों को वह सुरक्षित रखें और उससे अधिक से अधिक लाभ लें। यदि गांव वालों की दिलचस्पी जंगलों के संरक्षण में आप बढ़ायेंगे तो मेरे ख्याल में हर तरह से लाभ गांव वालों का भी होगा और उससे उत्पादन भी बढ़ेगा।

चम्बल और माही योजना के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है और वहां पर आजमाइश के तौर पर, एक्सपेरीमेन्टल बेसिस पर, यदि आप अमुक क्षेत्रों को ईयरमार्क करें और अमुक क्षेत्रों को अलग रखकर वहां पर तरह तरह की घास उगायें, जैसे हमारी तरफ बरू, नीकर, कातरघास आदि होती हैं, उसी तरह से वहां पर उगायेंगे, तो जो नदी के बहाव के कारण जमीन बह जाया करती है, वह जमीन नहीं बहेगी और घास की जड़ें जमीन को पकड़ कर तटों को मजबूत बना सकेंगी। मेरा यह निवेदन है कि इस संबंध में अगर आप ऊटपटांग रूप से हजारों एकड़ में कोई व्यवस्था करके चलेंगे तो फिजूलखर्ची होगी। मेरा यह निवेदन है कि "एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाय" के सिद्धान्त से अमुक क्षेत्रों में आजमाइश के तौर पर यह व्यवस्था आप करेंगे तो उचित होगा।

इस बिल की धारा ११ के अन्दर जो आपने डिस्ट्रिक्ट सॉइल एण्ड कन्ज़र्वेशन कन्सलटेटिव कमेटी का जो प्रावधान रखा है, वह उचित है। उसमें मुझे कोई विशेष एतराज के रूप से आपको निवेदन नहीं करना है। किन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि एम०

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

एल० ए० जो उस क्षेत्र के होते हैं उनको इस कमेटी के अन्दर स्थान क्यों नहीं दिया गया है ? आखिरकार वह भी डाइरेक्ट वोट से इलेक्ट होते हैं, उनमें भी योग्यता है और लगन है इस महत्वपूर्ण समस्या के लिए। इस कन्सल्टेटिव कमेटी के अन्दर अपने कुछ न कुछ सुझाव तो रख सकते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस कमेटी के अन्दर एम० एल० ए० को न रख कर जिला प्रमुख को रखा गया है। मैं अनुभव करता हूं कि एम० एल० ए० को भी उसमें स्थान मिलना चाहिए और यह महत्वपूर्ण है।

यह विधेयक, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक समझता हूं और मैं यह निवेदन करता हूं कि सरकार ने बहुत देरी के बाद ऐसा विधेयक इस सदन के समक्ष लाने का विचार किया लेकिन उसके साथ ही साथ कहावत प्रसिद्ध है कि "Better late then never" आपने हमारे दक्षिण राजस्थान के अन्दर जिस लापरवाही से वन संरक्षण की समस्या को हाथ में ले रखा है उसका भी मुझे कटु अनुभव है। पानरवा के अन्दर क्या क्या नहीं हुआ, कितने जंगल का खामखां ह्रास हुआ और नाममात्र कौड़ियों के भाव से जंगल बेचा गया। इन सब समस्याओं को देखते हुए, मैं समझता हूं कि अगर इस योजना को सरकार दृढ़ता के साथ कार्यान्वित करेगी तो इसमें राजस्थान का लाभ होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोधसिंह !

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि समय को देखते हुए ५ मिनट में ही यदि अपना भाषण सीमित करें तो कृपा होगी।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : [प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भूमि तथा जल संरक्षण विधेयक, १९६४ को पुनः एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक माह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत करदी जावेगी)।"]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह बिल हमारे सामने आया है इसका मैं स्वागत करता हूं; अच्छा तो यह होता कि जो सरकार १७साल राज्य करने के बाद में यह सोच रही है उसको इसके पहले ही इस पर सोचना चाहिए था और इस बिल को लाना चाहिए था। यह मामूली समस्या नहीं है। आज भारत में करोड़ों रुपयों का अनाज अमेरिका से खरीदा जाता है। मैं समझता हूं कि हमारे यहां पर जापानी पद्धति से खेती की जाये तो हमारे यहां जितनी आज आबादी है उससे भी यदि ५ गुना अधिक हो, तो भी हमारा सारा भारतवर्ष पेट भर सकता है। लेकिन कारण क्या है कि आज अनाज की कमी है ? इसका कारण यही है कि हमने खेती की तरफ ध्यान नहीं दिया। पानी की समस्या के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। मेड़बन्दी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। राजस्थान की जंगलों की सारी सम्पदा नष्ट होती जा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो जंगल हमारा रेगिस्तान होता चला जा रहा है, इसको रोकने के लिए हमारे जंगलों का कुछ हिस्सा किसानों को सौंपना चाहिए, जिससे जंगलों का डवलपमेन्ट हो सके। इस प्रकार हमारी सरकार ने जो मेड़बंदी का प्रावधान रखा है, यह किसानों

(श्री जोधसिंह)

के लिए रखा है, इसका मैं स्वागत करता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारा जो क्षेत्र है मेवाड़ का, वह पहाड़ी है और वहां पर किसानों के कब्जे में ४-४ और ५-५ बीघा जमीन है, वहां पर मेड़बन्दी होना जरूरी है। सरकार ने हमारे क्षेत्र में कई तालाब बनाये हैं उसके लिए मैं बधाई देता हूं; लेकिन वह तालाब ऐसे बने हैं कि उनमें से नीचे से पानी जाता है और जितनी जमीन में उस पानी से सिंचाई नहीं होती उससे ज्यादा तो जमीन खराब हो गई है। मैंने सरकार को कई बार निवेदन किया और सरकार कहती है कि नीचे से पानी नहीं जाता। मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उन सारी चीजों को देखे, सारी चीजों को दूर करे, तो बहुत बड़ा हमारा लाभ होगा और उससे ज्यादा अनाज पैदा हो सकता है। यही नहीं जो कैनाल वहां आती है उसमें....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : नीचे से पानी कहां से जाता है ? पेंदे में से ?

श्री जोधसिंह चौहान : जिसको सीपेज कहते हैं। वहां पर जो पाल बनाई गई है, वह मिट्टी की है और उसमें से भी नीचे से पानी जाता है और जिस तालाब में साल भर पानी रहना चाहिए वहां दो-तीन महीने में ही सारा पानी खत्म हो जाता है और सारी की सारी भूमि खराब हो जाती है। इस तरह से यदि इस तरफ ध्यान दिया जाये, तो भूमि की बचत हो सकती है और अनाज की उपज बढ़ सकती है। इसके लिए सरकार ने यह कमेटी बनाई है। सरकार किसानों को लाभ देना चाहती है। पंचायत समिति अपने क्षेत्र में किसानों को कहती है कि इतना अनाज पैदा करना, है लेकिन उनको कोई फेसेलिटीज़ नहीं दी जाती हैं। कमेटी हर जगह तो नहीं जा सकेगी, उसका ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति जायेगा। फिर भी मैं समझता हूं कि जो कार्य पंचायत समिति कर सकती थी, वह यह कमेटी नहीं कर सकेगी। इसमें कई प्रकार की गलतियां हैं। यही नहीं, सरकार इस कानून को बनाकर मैं समझता हूं कि भूमि के ऊपर जिस प्रकार का एक कानून बना हुआ है, अगर किसी व्यक्ति का मकान गिराऊ है तो उसको सरकार गिरा सकती है, उसी प्रकार से इस कानून के द्वारा जो गरीब किसान होंगे, उनकी भूमि में किसी प्रकार की खराबी होगी, तो सरकार भूमि को ले सकेगी और उसके बाद में उस किसान के पास कुछ नहीं बच सकेगा जो हमने इसमें प्रावधान रखा है कि १० वर्ष तक वह भूमि सरकार के कब्जे में रहेगी यह अन्याय होगा....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वह जमीन फालतू पड़ी रहेगी जिससे किसान को कोई भी आमदनी नहीं होती है, यह ऐसी जमीन के बारे में है।

श्री जोधसिंह चौहान : किसान की आमदनी बढ़ाने का प्रावधान रखा है। लेकिन थोड़ा सा इस कानून को इस प्रकार से बनाकर इस तरह का प्रावधान इसमें कर सकते थे कि भूमि में काश्त करनी पड़ेगी इस तरह से। इसमें इस प्रकार का प्रावधान रखते। उसमें इस बात का कानून नहीं बनाकर, इस प्रकार की व्यवस्था दिलाते और सरकार एक डिमोन्स्ट्रेटिंग फार्म बनाती कि फलांनी जगह पर इरोज़न रोका है और फलां तरीके से मेड़-

(श्री जोधसिंह)

बन्दी की है । हर पंचायत समिति के अन्दर सरकार का फार्म होता कि जिससे जनता को पता लग सके कि इस प्रकार करने से यह लाभ हो सकता है । किसान पढ़ा-लिखा नहीं है । किसान की भूमि लेंगे तो किसान समझेगा कि १० वर्ष तक मैं क्या करूंगा ? मैं यह प्रावधान ठीक नहीं समझता । अच्छा यह होता कि सरकार कब्जा नहीं लेती और सरकार उसको सुझाव देती कि यह करो ।

इसमें इस धारा के अनुसार सजा देंगे तो जैसा कि रामकिशनजी ने कहा मैं भी सजा का विरोध करता हूँ । सारी की सारी पाबन्दियां और बन्धन लगायेंगे तो किसान समझेगा, जैसा कि सहकारी खेती के बारे में खेत लेने पर किसान, समझता है, कि मेरी खेती चली जायेगी । सजा का यह प्रावधान होने से किसान सोचेगा कि मेरी ही तो भूमि है और मुझ को ही सजा मिलती है । यह एक प्रकार का अन्याय है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपको गलत नहीं समझाना चाहिए काश्तकारों को । आपको सही समझाना चाहिए ।

श्री जोधसिंह चौहान : आप गलत कर रहे हैं इसलिए किसान धोखा खा जाता है । सरकार के कर्मचारियों और सरकार की गलत कार्यवाहियों से किसानों का सरकार पर से विश्वास उठ गया है । उसकी ही बदौलत हम आपके सामने बैठे हैं ।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके साथ में, इसमें जो अध्याय ३ में २ सदस्य विधान सभा के रखे हैं । दूसरी जितनी कमेटियां बनीं उसमें तो सरकार ने नोमिनेट किया है । क्या अब भी हमारी सरकार को अध्यक्ष में विश्वास नहीं है कि वे नोमीनेट कर देते । इस प्रकार का अविश्वास सरकार का नहीं होना चाहिए ।

इसी के साथ-साथ मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इस बिल के अन्दर कई प्रकार की खामियां हैं । अच्छा हो कि सरकार इन खामियों को निकाले और उसके बाद बिल पेश करे, तो ठीक रहेगा । मैं निवेदन करूंगा कि मेरा गिरवा क्षेत्र है, वहां पर हर किसान के पास १-२ बीघा जमीन है, उनको फेसिलिटी दें । मेड़बन्दी करे और गांव में जितने तालाब हैं उनमें से पानी जाता है, तो सारे के सारे तालाबों को ठीक करायें । जंगलों को सौंपे ताकि किसान जंगलों पर पाबन्दी लगा दें कि १४-१५ हिस्सों में बांटे । जब से मेवाड़ सरकार का मर्जर हुआ है तब से वहां पर एक भी नया जंगल नहीं बन सका है । जो बड़े-बड़े जंगल हैं, उनमें एक आदमी सरकार रखती है । उसका इन्तजाम नहीं कर सकती हैं । पंचायत समिति उसका ठीक तौर से इन्तजाम करेंगी । हमारी खेती बढ़ेगी, वन-सम्पदा बढ़ेगी । मैं इस प्रकार का सुझाव देता हूँ कि सरकार अलग से कमेटी नहीं बनाकर सारे के सारे प्रावधानों को पंचायत समिति को दे तो उसका ज्यादा विकेन्द्रीकरण होगा और किसानों को आजादी आई है तो उसमें कुछ करने की सुविधा मिलती है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वे अपने खेत के लिए कुछ करेंगे और देश के लिए अधिक अन्न उपजा सकेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयलाल।

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थित)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित)

श्री दलपतसिंह (आबू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं ५ मिनिट के लिए बोल दूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह बिल हमारे सामने चल रहा है, उसके लिये सिलेक्ट कमेटी का निर्माण ८ अप्रेल को हुआ था। माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने यह बिल हमारी विधान सभा में ८ अप्रेल को यहां पर इन्ट्रोड्यूस किया था। हाउस के अन्दर सब मेम्बरों की भावना को देखते हुए फंडामेंटली यह तो दिखता है कि सब मेम्बर्स इस विधेयक का बड़ा आदर कर रहे हैं और सभी लोगों ने यह महसूस किया है कि यह बिल सरकार के द्वारा १० वर्ष पहले लाना चाहिए था। वह बिल सरकार कुछ क्यों लेट लाई है ? इस भावना की कद्र करते हुए मैं भी यह महसूस करता हूँ कि जैसा कि सब माननीय सदस्यों ने फर्माया कि यह लैंड युटिलाइजेशन एक्ट और कन्सोलिड़ेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट जो ५-७ वर्ष पहले लाये गये थे उसी तरह से इरोज़न वगैरह जो देश के अन्दर सबसे बड़ी समस्या है उसको रोकने के लिए यह बिल आप ले आते। लेकिन जब बिल अप्रेल में इन्ट्रोड्यूस हुआ, उस टाइम पर सब माननीय सदस्यों ने फरमाया और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने उस बिल को सिलेक्ट कमेटी बनाकर विशेष विचार करने के लिए रखा। उसमें विचार-विमर्श हुआ और अब बिल वापिस फाइनल स्टेज के ऊपर आया है, यह उसको जनमत के लिए वापिस प्रसारित किया जाय तो इस बिल के अन्दर जो डवलपमेंट की धारणा एग्रीकल्चर मिनिस्टर लेकर आगे चले हैं, उसके अन्दर रोड़े अटकाना है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारे सामने आज फूड प्रोब्लम की इतनी बड़ी समस्या है, उसको हल करने के लिए, यह भूमि की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इरोज़न को रोकने से सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी जमीन की बढ़ेगी, इरोज़न का रोकना जरूरी है। जितने भी नदी, बाढ़, झरने और नालों के द्वारा कई जगह भूमि पर कटाव हो जाते हैं, उन नालों को रोककर कटाव वगैरह को रोकने की यह स्कीम इस विधेयक के द्वारा, राजस्थान सरकार इन्ट्रोड्यूस कर रही है, उसका मैं स्वागत करता हूं, और जिस तरह से कि माननीय सदस्य कहते हैं कि जनमत के लिए भेजना चाहिए, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बिल को इसी सदन में आज ही इसको बिल्कुल तय कर देना चाहिए, ताकि राजस्थान के डवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा सक्रिय कदम हो सके।

आज आप देखेंगे कि कम से कम राजस्थान के अन्दर डिस्ट्रिक्ट सांचोर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा आदि कई जिले हैं जहां पर रेत के टीलों से इरोज़न हो गया है। हमारे जो बी० डी० ओज़, या विकास

Page No. 90

(श्री दलपतसिंह)

एक्सटेन्शन ऑफिसर हैं, ब्लॉक के अन्दर, वे लोग भी ५-७ साल से समझा रहे हैं कि इरोज़न को रोकना चाहिए, मेड़बन्दी करनी चाहिए। इसका कुओं पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है। हमारी देवधर तहसील में वहां पर पहाड़ के पास में टीले रेत के ज्यादा हो जाते हैं। रानीवाड़ा कॉन्स्टीट्यूएन्सी में और आबू कॉन्स्टीट्यूएन्सी के अन्दर इतनी बड़ी समस्या इरोज़न की है कि इन छोटे छोटे नालों और नदियों से काफी जमीन खराब हो चुकी है। जो जमीन खराब हुई है वह खाली जमीन का नुकसान नहीं करते हैं लेकिन उसका पानी पर भी असर पड़ता है और कुआं ही गहरा चला जायगा जो कि काश्तकार का सबसे बड़ा धन है, तो प्रोडक्टिविटी के अन्दर बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए ऐसे नदी नालों से इरोज़न को रोकना जरूरी है। इसलिए जो भी यह बिल आया है, उसके संबंध में, कई माननीय सदस्यों ने यह फरमाया है कि पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर के द्वारा लाउड स्पीकर से गांवों में प्रसारित कराना चाहिए। इस तरीके से प्रोपेगेण्डा करके पब्लिक को अवगत करना चाहिए। लोगों के अन्दर इस तरह की क्रान्ति लानी चाहिए। मैं समझता हूं कि पैकेज़ प्रोग्राम कई जगह खुल चुके हैं। क्रान्ति लाना है और लाउड स्पीकर से काफी जागृति लाना है। लेकिन मेरे ख्याल से पंचायत समितियों ने जितनी मेड़बन्दी की है, वह टेकनीकली फिट नहीं है और वह इस बोर्ड के द्वारा टेक्नीकल पॉलिसी टेक-अप करके पंचायत समितियों को एडवाइस किया जायगा और इस बोर्ड के द्वारा उन लोगों को टेक्नीकल एडवाइस देकर बताया जायगा कि मेड़-बंदी इस तरह करनी चाहिये, सॉइल इरोज़न के लिये ये ये तरीके काम में लाने चाहियें। यह बतावें तो ज्यादा अच्छा होगा। डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइज़ेशन का प्रवाह चल रहा है। इसके लिये जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई गई है, उसमें एम० एल० एज़० का होना ज्यादा जरूरी नहीं समझता हूं। एम० एल० एज़० के बजाय पंचायत समिति के प्रधान हैं उनको मेम्बर बनाया जाय तो बेजा नहीं होगा। एम० एल० एज़० के पास काम अधिक होता है। पोलिटिकल चीज पर यह कहना कि जनमत जानने के लिये इसे प्रसारित किया जाय, ठीक नहीं है। डवलपमेन्ट के काम के लिये जनमत जानना ठीक नहीं है। क्योंकि डवलपमेन्ट और पोलिटिक्स को अलग अलग रखना होगा। उस कमेटी में एम० एल० एज़० के बजाय प्रधान रहते हैं, तो प्रधानों को कमेटी की मीटिंग्ज में आना होगा। सॉइल इरोज़न को रोकने के लिये जो डिस्कशन होंगे, उनसे प्रधान वाकिफ होंगे और उनको नोलेज होगी तो वे पंचायतों में जाकर उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे और इरोज़न को रोकेंगे। ऐसी स्थिति में, मैं निवेदन करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी आज ही पारित किया जाय।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो ही मिनिट बोलूंगा। मैं बहुत जरूरी चीज कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल पेश हुआ है उसकी धारा १ की उप-धारा (२) में कुछ जिलों का वर्णन किया है। यह १७

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

जिलों में तुरन्त प्रभावशील होगा और ९ जिलों में उन तारीखों से प्रभावशील होगा जो गजट में प्रकाशित होंगी। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसी प्रकार का कानून राजस्थान विधान सभा में भूमि के संबंध में पास किया था और अलवर, भरतपुर जिलों में यह लागू होना था और बाकी जिलों में उन तारीखों से प्रभावशील होना था जो कि गजट में प्रकाशित होंगी। इस पर कुछ लोग हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट में जाने के बाद वह कानून रद्द हुआ। उससे मंशा साफ जाहिर होती है कि कोई कानून यदि किसानों के लाभ के लिये बनाया जाता है तो उसको कुछ ही जिलों में लागू करना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि आप समूचे राजस्थान में उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। यदि आप राजस्थान में कृषि उत्पादन की तरक्की देखना चाहते हैं, यदि राजस्थान में कृषि की बढ़ोत्तरी देखना चाहते हैं, तो मैं यह कह सकता हूं कि अलवर जिला है, जिसमें इसे लागू नहीं करना या जिले की नीति से लागू करना, न्याय-संगत नहीं है। जो ९ जिले छोड़े गये हैं और जिनमें लागू किया है, उनको देखते हुए, अलवर जिले को मैं ऐसा नहीं मानता जिसमें यह लागू नहीं हो। इसलिये मैं मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सूची दी है उसमें अलवर का नाम जोड़ा जाय और दूसरे ९ जिले जिनमें झुन्झुनू, चितौड़गढ़, बाड़मेर आदि हैं, उनके लिये में कोई कारण नहीं देखता कि उनको क्यों निकाला है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सॉइल कन्ज़र्वेशन बिल के बारे में जो विचार माननीय सदस्यों ने रखे, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस सदन में सभी ओर बैठनेवाले माननीय सदस्यों ने, इस बिल की भावनाओं और उद्देश्यों की सराहना की है। उन्होंने इस बात का एहसास किया कि यह कानून राजस्थान में अब लागू होना जरूरी है सिवाय एक आध माननीय सदस्य के। उनका यह कहना है कि यह कानून अभी विधान सभा में नहीं लाना चाहिये क्योंकि प्रजातंत्र में जितने कम से कम कानून हों, उतना ही प्रजातंत्र अच्छा चलता है और किसी कानून को लागू कर हम कुछ पाबन्दियां इन्सान के जन-जीवन पर लागू करते हैं, जिससे लोगों को हैरेसमेंट होता है, तकलीफ होती है, कानून के इम्प्लीमेंटेशन के सिलसिले में। मेरे ख्याल से, उन्होंने जो भावनाएँ व्यक्त कीं उनमें कुछ फोर्स है। मैं इस बात को आप के जरिये माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि जहां एक ओर माननीय सदस्य यह शिकायत रखते हैं कि ऐसा कानून हमारे देश के आजाद होते ही जल्दी से लागू होना चाहिये था, वहां दूसरी ओर कुछ ने यह भी कह दिया कि अभी यह कानून नहीं लाना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इस कानून को जल्दी इसलिये नहीं लाये कि इस कानून की क्या मंशाएँ हैं, किस तरह लोगों को सहयोग देना चाहिये, इन सारी भावनाओं से लोगों को पहले परिचित किया जाय, जनमानस जाग्रत किया जाय। इस कानून के जरिये जो काम करना चाहते हैं वह क्या है? किसके हित में है? देश के लिये हित में है या नहीं? ऐसी भावनाएँ लोगों में जाग्रत हों। ऐसी कामना रखते हुए यह कानून, हालांकि भारत सरकार से एक मोडल

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ड्राफ्ट सभी राज्यों के पास तीन-चार साल पहले प्राप्त हो चुका था। हमने भी उस पर विचार किया। सॉइल कन्ज़र्वेशन का क्या प्रोग्राम है ? कितनी ऐसी समस्याएं हैं ? कैसे उनको हल किया जा सकता है ? कितने बड़े धन और साधन की आवश्यकता है ? इसका अहसास लोगों को होना चाहिये। इन बातों का ख्याल करते हुए, हालांकि दूसरी योजना में सिविल कन्ज़र्वेशन को हाथ में लिया और तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी इसको चालू रख रहे हैं, फिर भी कानून को जल्दी इसलिये नहीं लाये कि चाहते थे कि पहले जन-मानस तैयार हो। मैं समझता हूँ कि यह उपयुक्त वक्त आया है जब कि इस सॉइल कन्ज़र्वेशन के प्रोग्राम को काफी पैमाने पर हाथ में लिया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूँ। जिन आंकड़ों के जरिये माननीय सदस्यों को ज्ञान हो सकता है कि इस विषय में हमने क्या किया और किस दिशा में कदम उठाया है, वह मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने कुछ सॉइल कन्ज़र्वेशन के प्रोग्राम के लिये लक्ष्य निर्धारित किये थे। उसमें फिज़ीकल और फाइनेन्शियल टारगेट जिस तरह रखा और जो अचीवमेंट्स हुए, उनके फीगर्स माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये रखता हूँ।

दूसरी योजना में, हमारे यहां सॉइल कन्ज़र्वेशन के लिये १८ लाख रुपयों की व्यवस्था थी। उसमें से १५॥ लाख रुपये खर्च कर सके। हमने लक्ष्य रखा था फिज़ीकल साइड में ४२००० एकड़ भूमि में कंटूरबंदी का काम करेंगे और जो धन-राशि हमने खर्च की उसमें हम करीब ३६००० एकड़ भूमि में कंटूरबंदी कर सके। तीसरी योजना में, हमने इस प्रोग्राम को बढ़ाने की कोशिश की और हमारा कुल लक्ष्य धन-राशि का ८४ लाख का है। उसमें से अभी तक २७ लाख रुपये खर्च हुए हैं। करीब ८४ हजार एकड़ में कंटूरबंदी का टारगेट था जिसमें से २० हजार एकड़ में कर सके। सेलाइन एल्कलाइन और मेड़बंदी का काम ४० लाख एकड़ में करने का है। उसी तरह सॉइल कन्ज़र्वेशन का काम ८०,००० एकड़ में हाथ में लिया है। कंटूरबंदी के नीचे ३३००० एकड़ में काम पूरा किया है। ड्राई फार्मिंग के नीचे २० लाख एकड़ का टारगेट है, उसमें से ५॥ लाख कर पाये है। टैरेसिंग का काम २००० एकड़ में कर पाये हैं। इसी तरह सेलाइन एंड एल्कलाइन लैंड का रिक्लेमेशन २००० एकड़ में टारगेट पूरा किया हैं। लैवलिंग और मेड़बंदी का काम ४० लाख एकड़ में करना है उसमें से १६ लाख एकड़ में किया है। सॉइल कंजर्वेशन इन डेज़र्ट एरिया में ८०,००० एकड़ का लक्ष्य था, वहां हमने २०,००० एकड़ पूरा किया है।

इन लक्ष्यों को देख कर आप यह महसूस करेंगे, कि हमने समस्या को हाथ में लिया है। लोगों की भावना को जाग्रत करने का प्रश्न है, उसमें भी हमने काफी बड़े पैमाने पर राजस्थान में कार्य किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिये हमें कुछ जगह दिक्कतें आईं। अभी तक जो सॉइल कन्ज़र्वेशन का

(श्री नाथूराम मिर्धा)

प्रोग्राम चल रहा है वह फोरेस्ट विभाग और कृषि विभाग के जरिये चल रहा है। मैं सोचता हूँ, यह प्रोग्राम अगर एक तरीके से हो, एक कन्सोलिडेटेड एप्रोच हमारे सारे स्टेट की हो, उसकी व्यवस्था जब तक नहीं करेंगे, जब तक सॉइल कन्ज़र्वेशन की प्रोलम, जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, जो कृषि उत्पादन के लिए जरूरी चीज है. को हल करने के लिए जो काफी जमीन राजस्थान में फैली हुई है, कहीं रेगिस्तान की प्रोब्लम है, जंगलों की प्रोब्लम है, कैचमेंट एरिया को टीक करने की प्रोब्लम हैं, कहीं खेतों के अन्दर लेवलिंग की और कन्टूर करने की प्रोब्लम है । इन सारी समस्यओं को कन्सोलिडेटेड बेसिस पर, प्लान्स के अनुसार योजना में लेकर चलेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों के अन्दर इस प्रोब्लम को सुलझाने की पोजीशन में आ सकेंगे । तो मैं कह रहा था, जिस प्रकार फोरेस्ट विभाग अलग से काम करता है, एग्रीकल्चर विभाग अलग से काम करता है, अब इस कानून की मन्शा को देखेंगे तो मालूम होगा कि कैचमेंट एरिया के बेसिस के ऊपर इस प्रोब्लम को हाथ में लेना चाहते हैं । सॉइल इरोज़न की जो प्रोब्लम एअर और हवा से बनती है और इन्सान की एक्टीविटीज़ से उसमें और एडीशन होता है तो वह उग्र होती है । इसको एक कोऑर्डीनेट वे में सुलझाने के लिए स्टेट लेवल पर बोर्ड इस कानून के अन्तर्गत बनाने की योजना है, जिसमें फोरेस्ट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट और दूसरे लोग जो इस प्रोब्लम में इन्ट्रेस्ट रखते हैं, वे किसान जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं और जो प्रोब्लम चलती है, उसको प्रेक्टीकल रूप में काम करके जमीन का ट्रीटमेंट करने में और लोगों का मानस बनाने में मदद की है, उन सबको एसोसिएट किया जाय । इसके साथ ही विधान सभा के तीन सदस्यों को भी इसमें स्थान दिया है । जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा असेम्बली के मेम्बरान को लेने का इस तरह प्रोवीज़न क्यों रखा गया ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी के सामने दो तीन तरह की विचारधाराएं आई । कई माननीय सदस्यों ने कहा–इलेक्शन से होना तो ठीक नहीं, स्पीकर साहब की मार्फत होना ठीक है । कइयों ने कहा कि गवर्नमेंट की मार्फत होना टीक है । मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे माननीय सदस्यों को रखना चाहते है, स्पीकर महोदय की सलाह लेकर, जो अपनी सेवायें देने और टाइम स्पेअर करने के लिए तैयार हों । ऐसे लोगों को स्थान मिले–ऐसी मन्शा है । उसमें किसी प्रकार का विवाद पैदा करने की आवश्यकता नहीं है । इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट लेवल और पंचायत समिति लेवल के ऊपर किन लोगों को क्या काम करना है, उसकी क्या जिम्मेदारी हो, इस बात पर भी जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा काम पंचायत समितियों और पंचायतों पर छोड़ देना चाहिए । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस बात को सब माननीय सदस्य रियलाइज़ करेंगे कि यह काफी टैक्निकल विषय है, इसलिए इसके अन्दर टैक्निकल लोगों का एसोसियेशन हर लेवल पर, सब लोगों के साथ जरूरी है । पंचायत समिति के लेवल पर जो योजना बनायेंगे, जिसमें अधिकार दिया है जन मानस बनाने का, कैचमेंट एरिया की जांच पड़ताल और सर्वे करने का, स्कीम बनाने का, इसके अन्दर जिला लेवल

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पर काम करने की बात महसूस की है, जितने दायरे की पंचायत समितियां हैं, उनमें से, जो इस काम को करने के लिए आते हैं और एक साथ इस प्रोब्लम को टैकल करने के लिए जुड़ जाती हैं, उनके लिए एक जिला लेवल पर ऑर्गेनाइज़ेशन हो, जिसमें कुछ जन–प्रतिनिधि हों। इसकेसाथ-साथ कुछ टैक्निकल लोग हों वे बैठें और जो कैचमेंट एरिया का प्लॉन बने उसमें जो फोरेस्ट की जमीन हो, वेस्ट लैण्ड हो, एग्रीकल्चरिस्ट की जमीन हो, इन सबका ट्रीटमेंट करने के सम्बन्ध में यह निहायत जरूरी होता है कि जिला लेवल पर एक ऑर्गेनाइज़ेशन हो। जिला लेवल पर जिला प्रमुख हों और इस प्रकार के लोग हों जो इस काम में दिलचस्पी रखते हों, उनका प्रावधान हमने रखा है। इसके अलावा सदन के अपोजीशन के नेता ने सुझाव दिया कि इसमें एम. एल. एज़. को रख दिया जाता तो अच्छा होता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूँ कि एम. एल. एज़. काफी व्यस्त हैं, उनके ऊपर काफी बोझ है, कई कामों को अलग अलग अंजाम देना पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने कहा–जिन माननीय सदस्यों को शौक है, सॉइल कन्जर्वेशन प्रोब्लम, जो बहुत बड़ी प्रोब्लम है, उसमें कुछ योगदान देने के लिए जिनके पास शक्ति और टाइम है, मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि उन एम. एल. एज़. के पास, जब भी मीटिंग होगी, विशेष निमंत्रण चला जायगा। इस प्रकार टैक्निकल प्रोब्लम को ट्रेस करके उसका किस प्रकार से निदान किया, जाय उसकी व्यवस्था करनी है। इस प्रकार जो टैक्निकल प्रोग्राम है उसको पूरा करने में उनका योगदान हो सकता है। इसके लिए हम एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर और इन्स्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ऐसे प्रश्न पर जो मीटिंगों के अन्दर अपने विचारों से योगदान देना चाहते हैं, उनको विशेष तौर से बुला लिया जाय और जो उनके सुझाव हों, उन पर गौर कर लिया जाय। इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी प्रोब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार अकेली सक्षम नहीं है और अकेले इस प्रोब्लम को हल नहीं कर सकती। यह राजस्थान की जनता के ७५ प्रतिशत किसान हैं, उनसे सम्बन्धित मामला है और जो इस प्रोब्लम से अफेक्टेड है उनकी इस प्रोब्लम को सुलझाने के लिए लगातार काफी लम्बे समय तक प्रयत्न करने पड़ेंगे, काफी धन-राशि खर्च करनी पड़ेगी।

इसके अलावा लैण्ड एक्वीज़ीशन का सवाल लेकर यहां बातें कही गईं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन के चैप्टर में कहा है, सरकारी जमीन हो, किसानों की जमीन हो, जो वेस्ट लैंड की तरह पड़ी है, ऐसी जमीन किसी भी कैचमेंट एरिया में हो, उसका ट्रीटमेंट करने के सम्बन्ध में, दरख्त लगाने के सम्बन्ध में, कटाव रोकने के संबंध में अगर जमीन की आवश्यकता हो, तो ऐसी जमीन को कलेक्टर एक्वायर कर सकता है, रीज़नेबल नोटिस और कम्पेन्सेशन देने के बाद। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कहा कि गरीब लोगों की जमीन लेली जायगी, जमीन छीन ली जायगी। मैं समझता हूँ कि कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है, न कानून की धाराओं में है। व्यवस्था तो इस प्रकार की है

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कि जमीन थोड़े टाइम के लिए, जब तक उस एरिया का ट्रीटमेंट प्रोपरली और साइन्टिफिक तरीके से नहीं हो जाय, तब तक ले ली जाय और उससे जो नुकसान हो, उसका मुआवजा थोड़े समय के लिए दिया जाय, लगान माफ कर दिया जाय और इसके लिए मैग्ज़िमम पीरियड दस साल का रखा है। उसके पहले अगर जमीन का ट्रीटमेंट हो चुका है तो उसको उस तरह मैंन्टेन करने की हिदायत देने के बाद, जो वापिस लेना चाहते हैं, उनको वापिस देने का प्रावधान इस में मिलेगा। इस तरह इसमें जो लैण्ड एक्वीज़ीशन का सिलसिला है वह जो दूसरा लैण्ड एक्वीज़ीशन का सिलसिला है वैसा नहीं है। इस प्रकार का सिम्पिल प्रावधान इसमें किया है कि जो एक्वीज़ीशन करेगा वह कलेक्टर करेगा या जो उसके द्वारा मुकर्रर किया जायगा, वह ऑफिसर करेगा। इसका पर्पज डेफीनिटली थोड़े समय के लिए है, उसके बाद जमीन वापिस लौटाई जा सकती है और ट्रीटमेंट करने के बाद लौटाई जा सकती है। इसलिए जो आपत्ति माननीय सदस्यों ने उठाई है, मैं समझता हूँ, किसी गलतफहमी में उठाई है। इस कानून की जो मन्शा है, जो भावना है, इसको समझने में कुछ दिक्कत रही होगी। इसके अन्दर जो कुछ प्रावधान किये गये हैं, इसमें वे उन सारी बातों को ध्यान में रख कर कि किस प्रकार से समस्या का सामना करना है, प्रावधान किये गये हैं। यह कृषि उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। किसान इसको अहमियत को समझ गये हैं। लेकिन कुछ कैसेज़ जब ऐसे आने लगे कि जब कैचमेंट एरिया लिया और उसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया तो सौ किसानों में से ९९ किसान तैयार हो गये, लेकिन एक आदमी अड़ कर खड़ा हो गया और कहा-न काम करता हूं, न कराने की आवश्यकता है। जहां ऐसे लोग समाज में हो सकते हैं, तो उनको रूल आउट करके नहीं चल सकते। जब ऐसी दिक्कतें सामने आती हैं तो हमको प्रावधानों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हमारे विभाग के अधिकारियों और काम करने वाले लोगों ने महसूस किया कि कई जगह काम जैसे आगे बढ़ता है, तो उसमें कुछ रुकावटें आती हैं, उनको दूर करने के लिए प्रावधान होना चाहिये। इसलिए मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त समय है, जिस समय काम चालू हुआ पड़ा है और काफी काम हो गया है उस समय लोगों का जन-मानस बनाना है। लोग इसकी अहमियत समझने लगे हैं, यह उन लोगों के लिए व्यवस्था की है, जो काम नहीं करेंगे, उनको इसके द्वारा मजबूर करवाया जायगा और किश्तों में रुपया वसूल किया जायगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि यह हमारे पास आखिरी रिसोर्ट था।

हम किसानों को काम करने के लिये हर तरह से मदद करते हैं। जिस प्रोग्राम को हमने एप्रूव किया है उसमें ऑर्डिनरी केसेज़ में उनको ७५ परसेन्ट लोन देते हैं और २५ परसेन्ट सबसिडी देते हैं। आम लोगों को ७५ परसेन्ट लोन और २५ परसेन्ट सबसिडी देते हैं। जहां तक आदिवासियों को लेकर विरोधी पक्ष के नेता ने कहा है उसके लिए हमारे विशेष नियम हैं। आदिवासियों के लिए हम ५० परसेन्ट सबसिडी देंगे और ५० परसेन्ट उनको लोन देंगे। जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था है, वहां गरीबों को परेशान करने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

की भावना नहीं है बल्कि उनको राहत ही दी जाती है। अगर कोई आदमी सब लोगों के हित की बात होते हुए भी काम में किसी प्रकार का रोड़ा अटकाना चाहता है तो उसको रोकने के लिये व्यवस्था की गई है। जिसमें देश का हित होता है और कोई व्यक्ति उसमें रोड़े अटकाना चाहता है उसको हम कानून के जरिये रोक लगाना चाहते हैं। इसमें सारी व्यवस्था बताई है कि इस प्रकार का बोर्ड होगा। उसमें जंगलात और कृषि विभाग का आपस में अच्छा सम्बन्ध हो। इन सारी बातों के लिए कानून लाने की आवश्यकता है और उसके उद्देश्यों और भावना का आदर किया हैं। अतः जो कुछ मैंने कहा है उससे, मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य जिन्होंने इसको सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है और जिन्होंने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव रखा है, वे अपने अपने प्रस्तावों को वापिस ले लेंगे और अपने प्रस्तावों को प्रेस नहीं करेंगे।

श्री अब्दुल जब्बार : जिस जमीन को सरकार १० साल तक रखेगी, उस पर प्रोड्यूस होगी उसका क्या होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह जमीन जो हम लेने जा रहे हैं वह वेस्ट लैंड है। उस पर कुछ भी पैदा नहीं होता है। उल्टा हम उस जमीन को सुधार कर उसको देंगे और उससे उसको आमदनी होगी।

श्री अब्दुल जब्बार : उस जमीन में बीड तो उगता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर वह वेस्ट लैंड के कैचमेंट एरिया में आता है तो चाहे वहा पर बीड हो मगर वह वेस्ट लैंड है।

श्री जुझारसिंह : १८ (ए) और १२ (२) के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस बारे में मुझे यह कहना है कि फिलहाल हमने १७ जिलों में ही लागू किया है, मगर हम सभी को लेना चाहते हैं। जिन जिन जिलों में यह योजना बढ़ती जावेगी उनको हम लिस्ट में एड करते जावेंगे। अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सबको अपने हाथ में ले सकें। जहां कहीं हम काम को हाथ में ले सकेंगे, लेंगे। उसमें अलवर, भरतपुर और दूसरे बचे हुए जिलों की भी बारी आवेगी।

श्री जयकृष्ण : उस समय तक कई कानून ऐसे हो जावेंगे जिसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अपने साधन और सुविधाओं के अनुसार आगे बढ़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत विधेयक पर जनमत जानने के लिये आये हैं, उनको स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के लिये आये हैं उनको स्वीकार किया जावे।

(श्री उपाध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

चूंकि सदन का समय समाप्त होने जा रहा है। क्या सदन की यह इच्छा है कि सदन का समय प्रस्तुत विधेयक पारित हो, उस समय तक के लिये बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय प्रस्तुत विधेयक के पारित होने तक बढ़ाया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा बिल जो आज के लिये रखा गया है उसको प्रवर समिति में भेजने का सरकार का विचार है। अगर इसको भी लिया जाय तो आज का एजेन्डा समाप्त हो जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : I think hon. Members will agree to it.

आगे भी एक बिल और है जिसे प्रवर समिति में सौंपने का विचार है। इसलिए आज का एजेन्डा समाप्त हो जावे, तब तक के लिये समय बढ़ाया जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस धारा में एक ही सदस्य के तीन धाराओं पर अमेन्डमेंट हैं। मैं समझता हूं कि उन पर वे कुछ कहेंगे और मैं उस पर कुछ कहूँगा लेकिन जिन पर कोई अमेन्डमेंट नहीं है उनको तो ले लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक की क्लॉज २ से ११ तक पारित की जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ से ११ विधेयक में अंग रूप से जोड़ी गई।

(विराम)

क्लॉज़ १२

श्री जुझारसिंह : [संशोधन इस प्रकार है :—

"In part (b) of the clause insert the words "and marginal areas" after the word "catchments."]

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १२ में मेरा छोटा सा अमेन्डमेंट है।

In part (b) of the Clause insert the words "and marginal areas" after the word "catchment".

वैसे तो जनरल वे में यह कवर हो जाता है, फिर भी, मैंने इसलिये अपना अमेन्डमेंट रखा है...

श्री उपाध्यक्ष : Please keep your statement very brief.

थोड़ा संक्षेप में कहें।

Page No. 98

श्री जुझारसिंह : Yes, I shall be very brief.

कोटा डिस्ट्रिक्ट में जहां से मैं आ रहा हूं, लैंड एलॉटमेंट इनुडिस्क्रिमिनेटली होता जा रहा है। इसकी वजह से सॉइल इरोज़न पिछले १० साल में बहुत बढ़ गया है। जनरल वे में एरिया इसके लिए मेन्शन है। लेकिन फिर भी इरोज़न ऑफ दी सॉइल को रोकने के लिए जब तक आप मार्जिनल एरिया स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो एरिया में अलॉटमेंट होता रहेगा और आपकी कोशिश होते हुए भी उसको आप नहीं रोक सकेंगे। काम आप करना चाहते हुए भी नहीं कर सकेंगे। बाद में आपको ज्यादा खर्चा करके लेना पड़ेगा। इसलिये मार्जिनल एरिया भी रख दिया जावे। इससे अलॉटमेंट भी हो जावेगा और सॉइल इरोज़न भी रुक सकेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि मार्जिनल एरिया के नाम से शब्द इसमें बढ़ा दिये जावें। मैं आपके जरिये माननीय सदस्य और सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि धारा १२ के क्लॉज (b) में जो शब्द लिखे गये हैं, वे इस प्रकार हैं :-

"(b) to direct the District Soil Conservation Officer to make survey, collect data and prepare plans for the district or any selected area, or catchments therein and to perform functions incidental thereto;"

ये सिलेक्टेड एरिया खास तौर से इस लिये रखा है कि इसको वे मार्जिनल समझते हैं। खास तौर से जो नदियों के बिल्कुल पास में आ चुके हैं और वर्षा होने से कटाव की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है, उस भावना को समझकर सिलेक्टेड एरिया स्पेसिफिकली रखा गया है। मैं समझता हूँ कि इसमें मार्जिनल एरिया शामिल है।

श्री उपाध्यक्ष : I think you will withdraw ?

श्री जुझारसिंह : I beg permission to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : Is it the pleasure of the House that he should withdraw the amendment ?

(स्वीकृत)

श्री जुझारसिंह : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक की क्लॉज़ १२ पारित की जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज १२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ी गई।

(विराम)

क्लॉज़ १३

श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह : [संशोधन इस प्रकार है :—

Add the following new part (bb) to the clause, namely :-

(श्री जुझारसिंह)

"(bb) to tender advice to the Tehsil Allotment Committee for allotment of the land for areas covered under Soil and Water Conservation Plan;"]

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा धारा १३ में एक अमेंडमेंट है कि इसमें एक धारा और जोड़ दी जाय :—

"(bb) to tender advice to the Tehsil Allotment Committee for allotment of the land for areas covered under soil and water conservation plan."

यह उसी तरह का है जैसा १२ में मूव किया था। आजकल इन्डिस्क्रिमिनेट अलॉटमेंट होते हैं जिनसे कि इरोज़न बढ़ता है। किस तरह से इरोज़न को रोका जाय यह अलॉटमेंट कमेटी नहीं समझती है और इस प्रकार के अलॉटमेंट कर देती है जिनसे कि इरोज़न, जिसको हम रोकना चाहते हैं, वह रुकता नहीं बल्कि बढ़ता है। इसलिये अलॉटमेंट कमेटी को इस प्रकार के अलॉटमेंट्स जिनके करने से इरोज़न के चान्सेज़ रहते हैं, उनको करने की इजाजत तब तक नहीं दी जाय जब तक कि सॉइल कन्ज़र्वेशन बोर्ड उनके सम्बन्ध में अपनी राय न दे दे।

अलॉटमेंट कमेटी जो अलॉटमेंट करती है वह इन्डिस्क्रिमिनेट अलॉटमेंट करती है, जो नदी के किनारे एरियाज़ हैं, जिनके महत्व को अलॉटमेंट कमेटी नहीं समझती।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप खुद भी अलॉटमेंट कमेटी के मैम्बर हैं।

एक माननीय सदस्य : इससे क्या होता है?

श्री जुझारसिंह : बोर्ड के सुझावों के बाद ही अलॉटमेंट कमेटी को इस प्रकार के एरियाज़ में अलॉटमेंट करने की इजाजत दी जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि-मंत्री) : माननीय सदस्य की भावना यह है कि इस प्रकार की जमीनों को नहीं तोड़ा जाय जो कटाव बढ़ाती हैं। उन जमीनों को जोतने से सॉइल कन्ज़र्वेशन की प्रोब्लम बढ़ती है। पर माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य का ध्यान क्लॉज़ ४ (ए) की तरफ आकर्षित करूंगा। धारा ४ (ए) यह कहती है :

"4. Power to regulate, restrict or prohibit certain matters within notified areas.--In respect of any notified area or part thereof, the State Government may, by order published in the Official Gazette, regulate, restrict or prohibit--

(a) the clearing or breaking up of land for cultivation;"

तो इसलिये जहां ऐसी समस्याएं हैं, जहां सॉइल कन्ज़र्वेशन के प्रोग्राम को हाथ में लेना है, वहां नई जमीनें नहीं बनाई जांय इसका पॉवर ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास धारा ४ (ए) के मातहत है। इसलिये माननीय सदस्य के सुझाव को धारा १३ में लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Is the hon. Member satisfied?

श्री जुझारसिंह : Yes. I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : Is it the pleasure of the House that the hon. Member be permitted to withdraw his amendment ?

(स्वीकृत)

श्री जुझारसिंह : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि क्लॉज़ १३ पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३ पारित हुआ और विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४ से २७ तक पारित किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४ से २७ तक पारित हुए और विधेयक के अंगीभूत हुए।

(विराम)

क्लाज़ २८।

श्री जुझारसिंह : [संशोधन इस प्रकार है :—

Add the following proviso to sub-clause (1):– "Provided that the works of Soil and Water Conservation as already constructed by the pre-merger States of Rajasthan and maintained by them shall now be maintained by the State Government."]

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २८ के लास्ट में, मैं एक प्रोविजो एड करना चाहता हूं जो इस प्रकार से है :

"Provided that that the works of soil and water conservation as already constructed by the pre-merger States of Rajasthan and maintained by them shall now be maintained by the State Government."

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी फॉर्मर स्टेट्स में सॉइल कन्ज़र्वेशन का काम चलता था। कोटा में महकमा बन्धात नाम का एक महकमा चलता था जिसका काम सॉइल कन्ज़र्वेशन के काम को हाथ में लेना और उसको मेन्टेन करना था। मर्जर के पहले लाखों रुपयों का काम इस महकमें के द्वारा हुआ था और अब जो क्लॉज़ २८ है उसमें :

"maintain and repair"

ओब्लीगेशन, सॉइल कन्ज़र्वेशन का काम करना, सॉइल कन्जर्वेशन के काम को मेन्टेन करना, उन व्यक्तियों के ऊपर रखा है जिनको कि इससे फायदा होने वाला है। पर ऐसे वर्क पहले फॉर्मर स्टेट्स के समय में स्टेट्स के द्वारा मेन्टेन किये गये हैं, वह चाहे प्राइवेट लैंड में हो, चाहे गवर्नमेंट लैंड में हों। उनका मेन्टीनेन्स, जिन लोगों को अभी फायदा हो रहा है, उन पर नहीं डालना चाहिये, गवर्नमेंट पर ही रहना चाहिये। यही मेरा सुझाव है। मुझे आशा है मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : [संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"Replace the "full-stop" at the end of the sub-section by a "colon" and add a Provisio hereto :-

"Provided that the State Government may waive in whole or in part, any contribution for maintenance or repair of any work of soil and water conservation already constructed by a covenanting State of Rajasthan and maintained by it."]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक अमेंडमेंट प्रोविज़ो के रूप में जिस प्रकार पूरे सेक्शन के नीचे जोड़ना चाहा है, मैं उस भावना की तो कद्र करता हूँ। कोटा स्टेट में पुराने बन्ध बने हुए थे, सॉइल कन्ज़र्वेशन के प्रोग्राम से बने हुए थे, उनको स्टेट मेन्टेन करती थी, उनको अब भी स्टेट ही मेन्टेन करे, इसे मैं स्वीकार, भावना के रूप में, करता हूं। पर यह ठीक करने के लिए उपयुक्त यह होगा कि क्लॉज़ २८ का सब-क्लॉज़ (१) जहां पर खत्म होता है, फुल स्टाप के आगे एक कॉलम कर दिया जाय और एक प्रोविज़ो जोड़ दिया जाय। उस प्रोविज़ो को मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ, जिसको मैं समझता हूँ सदन स्वीकार करेगा :

"Provided that the State Government may waive in whole or in part, any contribution for maintenance or repair of any work of soil and water conservation already constructed by a covenanting State of Rajasthan and maintained by it."

जो भावना उनकी थी कि इस प्रकार के बन्धात, सॉइल कन्ज़र्वेशन के सिलसिले में सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ से, बनाये गये थे और इस प्रकार के बन्ध गवर्नमेंट के जरिये ही मेन्टेन होते थे, तो अब भी स्टेट की तरफ से मेन्टेन किये जायं। मैं समझता हूँ इससे उनकी भावना पूरी हो जाती है। जिस रूप में कि वे अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं, वही सब-क्लॉज १ के रूप में रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : I hope, in view of this, you will withdraw.

श्री जुझारसिंह : क्योंकि मन्त्री महोदय ने इस आशय का अमेंडमेंट मूव कर दिया है इसलिए मैं अपने अमेंडमेंट को विद्ड्रॉ करने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Is it the pleasure of the House that the hon. Member be premitted to withdraw his amendment ?

(स्वीकृत)

श्री जुझारसिंह : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रोविज़ो अमेंडमेंट के रूप में क्लॉज़ २८ में मूव किया गया है, मन्त्री महोदय द्वारा, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २८ यथासंशोधित स्वीकार की जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २८ यथा संशोधित विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २९ से लगाकर ५३ तक मय दोनों शिड्यूल के पारित किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २९ से ५३ तक मय दोनों शिड्यूल के पारित हुए और बिल के अंगीभूत हुए।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ प्रियेम्बल, टाइटिल, इनेक्टिंग फोर्मूला इत्यादि पारित किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रियेम्बल, टाइटिल, इनेक्टिंग फार्मूला इत्यादि पारित किये गये और बिल के अंगीभूत हुए।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सॉइल एण्ड वाटर कन्जर्वेशन बिल, १९६४ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान सॉइल एण्ड वाटर कन्ज़र्वेशन बिल, १९६४ पारित हुआ।

(१.०० म० प०)

राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६४

(प्रवर समिति को)

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड इविक्शन) (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मन्त्री महोदय से पहले इस विषय में स्पष्टीकरण करने के लिए निवेदन करूंगा ताकि जो संशोधन जनमत के लिए अथवा प्रवर समिति में भेजने के लिए आए हैं, उनके विषय में माननीय सदस्य पुनः विचार कर सकें।

श्री परसराम मदेरणा : बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के अमेंडमेंट्स रखे हैं, और मैं उन अमेंडमेंट्स को एग्री करता हूँ कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में रेफर कर दिया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : बाद में सिलेक्ट कमेटी को जाता, पहले जनमत के लिए जाता तो....

श्री उपाध्यक्ष : Order please! मैं समझता हूँ कि कोई अमेंडमेंट्स मूव नहीं हुए हैं। प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक राजस्थान

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रेमिसेज़ (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड इविक्शन) (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ को प्रवर समिति में दिया जाय।

(स्वीकृत)

बिल प्रवर समिति को सौंपा गया।

सदस्यों की नियमावली इस प्रकार है:—

(१) श्री मथुरादास माथुर।
(२) श्री परसराम मदेरणा।
(३) श्री तेजाराम गहलोत।
(४) श्री स्वरूपनारायण पुरोहित।
(५) श्री धर्माराम आर्य।
(६) श्री शंकरलाल जाट।
(७) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।
(८) श्री प्रतापसिंह।
(९) श्री केदारनाथ शर्मा।
(१०) श्री रामानन्द अग्रवाल।
(११) श्री मथुरेशबिहारी माथुर।
(१२) श्री दुर्गालाल बाढ़दार।
(१३) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।
(१४) श्री हरदत्तसिंह।
(१५) श्री मोहरसिंह राठौड़।
(१६) श्री काना भाई नुवाल।
(१७) श्री लक्ष्मीचन्द।
(१८) श्री जुझारसिंह।
(१९) श्री जावन्दसिंह।
(२०) श्री हरिराम चारू।
(२१) श्री भरतलाल।

प्रस्तुत विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट अगले सेशन के प्रथम सप्ताह तक पेश होगी।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. १.०४ बजे; दिनांक २१–८–६४ के म. पू. ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३७५ का उत्तर देखिए)

सूची

जिन गांवों को तालाब के पूरा भरने पर पानी प्राप्त हो सकेगा

(१) मलाका गुडा (२) मींछडी (३) कर गैर (४) देबारी (५) सीतल (६) चगेडी

जिन गांवों को पानी नहीं मिल सकेगा

(१) खियाड़ (२) चनगेरी (३) औरडी (४) नन्दवैल (५) तूस (६) गूजड़ा (७) ढबोक (८) नाहर मागरा (९) धानोली (१०) नामडी

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३४८ का उत्तर देखिये)

सूची

क्रम सं० नाम क्षेत्र	तादाद ग्राम	अवधि बन्दोबस्त से	तक	कुल वर्ष	कितना समय व्यतीत हुआ ।
१. पंचपाना	३६१	१९४१	१९५१	१०	२४
२. ठिकाना खेतड़ी	१६२	१९४१	१९५१	१०	२४
३. बारदारी	४६	१९५१	१९७०	२०	१४
४. उदयपुरवाटी भोमियान	७२	१९५४	१९७४	२१	११
५. मुढकी परसरामपुरा	२	१९६०	१९७४	१५	५

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE QUANTITY OF WHEAT RECEIVED
BY M/s Assam Roller Flour Mills, Jaipur
from May 1962 to July 1964

(In M. Tonnes)

Name or the Mills	Name or the Month	Quantity Received
1	2	3
M/s Assam Roller Flour Mills, Jaipur	May, 1962	678
	June, 1962	1034
	July, 1962	500
	Aug., 1962	1250
	Sept., 1962	1360
	Oct., 1962	223
	Nov., 1962	643
	Dec., 1962	864
	Jan., 1963	339
	Feb., 1963	554
	March, 1963	559
	April, 1963	651
	May, 1963	633
	June, 1963	1619
	July, 1963	1231
	Aug., 1963	1469
	Sept., 1963	1082
	Oct., 1963	1059
	Nov., 1963	1061
	Dec., 1963	1717
	Jan., 1964	2000

1	2	3
	Feb., 1964	2252
	March, 1964	1600
	April, 1964	1591
	May, 1964	2083
	June, 1964	1988
	July, 1964	1985

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ८२ का उत्तर देखिये)

List of Seed Multiplication Farms established during the Second Plan Period.

S.No.	Name of Farms.	Name of District.
1	2	3
1.	Maujpur.	Alwar.
2.	Tinkarori	-do-
3.	Sewar.	Bharatpur.
4.	Baseri	-do-
5.	Badwa	Jaipur.
6.	Barawanda	Sawai-Madhopur.
7.	Malarna Doongar.	-do-
8.	Khasoli	Churu.
9.	Hanumangarh	Hanumangarh.
10.	Basbisana	Jhunjhunu.
11.	Sri-Madhopur.	Sikar.
12.	Samdari.	Barmer.
13.	Rasiawas	Jalore.
14.	Matharia	Jodhpur.
15.	Riyan	Nagaur.
16.	Harsoli.	-do-
17.	Pali.	Pali.
18.	Surayata	-do-
19.	Ora-Dam	Sirohi.
20.	Matunda.	Bundi.
21.	Khanpur.	Jhalawar.
22.	Ladpura.	Kotah.
23.	Malpura.	Tonk.

1	2	3
24.	Borwat.	Banswara.
25.	Mejadam	Bhilwara.
26.	Rupahali	-do-
27.	Chittorgarh.	Chittorgarh.
28.	Mungana.	-do-
29.	Mavli.	Udaipur.
30.	Lava Sardargarh.	-do-
31.	Dhariawad.	-do-
32.	Damoria	Dungarpur.
33.	Durgapura.	Jaipur.
34.	Tabiji.	Ajmer.
35.	Sawai-Madhopur.	Sawai-Madhopur.
36.	Brinpura.	Pali.
37.	Chandan	Jaisalmer.
38.	Borakhere.	Kotah.

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ८५ का उत्तर देखिए)

सूची (क)

आय-वित्तीय वर्ष १९६३-६४ नगरपालिका, चित्तौड़गढ़

१. ओपनिंग बैलेन्स—१५,०००) रु०

२. आवर्त्तक आय—१,६१,४२५) रु०

३. अनावर्त्तक आय—१,२३,१९९) रु०

२,९९,६२४) रु०

सूची (ख)

अनुदान की राशि जो नगरपालिका, चित्तौड़गढ़ को वर्ष १९६३-६४ में दी गई

१. नार्मल ग्रान्ट-इन-ऐड—८,४४४) रु०

२. मंहगाई भत्ता—५,९९७) रु०

३. सड़क निर्माण—१२,५००) रु०

४. व्हील बैरोज— २,०००) रु०

२८,६४१) रु०

उपरोक्त आय में से २२,९१९) रुपया प्रशासन पर तथा एक लाख रुपये विकास कार्यों में खर्च करने का बजट में प्रावधान स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त अनुदान की राशि में से सड़क निर्माण हेतु दिये गये अनुदान को विकास कार्य (सड़क निर्माण) में ही व्यय करने का नियम है।

* शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक २० अगस्त, १९६४)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१	८	सिंचाई,	[सिंचाई,
,,	९-१०	सप्लाई, कृषि विभाग]	सप्लाई एवं कृषि-विभाग]
८	२२	श्री देवीलाल : इसमें	इसमें
१३	४	श्री अध्यक्ष ;	श्री अध्यक्ष :
२९	शीर्षक	गतारांकित	तारांकित
३०	अन्तिम	अनुपस्थित कृपया	अनुपस्थित-कृपया
३८	१९	श्रीशंकरलाल	श्री शंकरलाल
३९	१७-१८	(खेतड़ी):....गया]	(खेतड़ी....गया]:
४५	शीर्ष	श्री सतीशखन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
४६	,,	अगषाल	अग्रवाल)
५३	८	not they	they not
६१ व ६३	शीर्षक	अनुपस्तिथ	अनुपस्थित
७३	२४	rhumetism	rheumatism
७७	शीर्षक	हडताल	हड़ताल
,,	१३	(निम्बाहेडा)	(निम्बाहेड़ा)
८२	शीर्षक	अन्य	सम्बन्धी
,,	१७	श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें	इसमें
९२	३	विधाई कार्य राजस्थान	राजस्थान
१०८	अन्तिम से ५	इविक्शन	एविक्शन
१२८	अन्तिम	(संशोधन गिर गये)	संशोधन गिर गये
१२९	शीर्षक	सार्व्रजनिक	सार्वजनिक
१३०	६	खाएडश	खएडश :
,,	११	उहाध्यक्ष	उपाध्यक्ष

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१३६	शीर्षक	१० अगस्त	२० अगस्त
१५०	प्रथम	भूनि तया	भूमि तथा
१६१	शीर्षक	कुंवर श्रीं	कुंवर श्री
१७६	,,	जवं जल	एवं जल नियन्त्रण
,,	अन्तिम से ५	टेकनीक्ली	टैक्नीकली
१८०	,, ,, २	धारा १ का	धारा १ की
१८४	२१	टरागेट	टार्गेट
,,	अन्तिम	आईं।	आईं।
१८५	६	प्रोलम	प्रोब्लम
१८६	अन्तिम	स्कीम बनाने	स्कीम बनाने
१६१	शीर्षक	चवं जल	एवं जल
१६६	,,	भूनि	भूमि
२०१	५	Provisio	proviso
२०५	शीर्षक	(किरादा बेदखली)	(किराया और बेदखली
,,	शीर्ष	(श्री परसराम मदेरणा)	श्री उपाध्यक्ष
२०६	अन्तिम	हुई।)	हुई)
२०६	७ आइटम्स१व२	Name or the	Name of the

❀ **नोट :** विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।